लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र
Fifth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XVII contains Nos. 1 to 10]

Preservation Unit
Fumigated
On 15.2.84
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय सूची/CONTENTS

अंक 3, बृहस्पतिवार, 2 अगस्त, 1972/3, श्रावण 1894 (शक)

No. 3, Wednesday, August 2, 1972/Sravana 11, 1894 (Saka)

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	निधन सम्बन्धी उल्लेख	**Obituary Referances**	1—3
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	4—21
42.	चंडावल गांव, राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन	P. C. O. at Chandaval Village, Rajasthan	—4
43.	छोटे पैमाने के उद्योगों में पूंजी-निदेश की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Ceiling in Respect of Investment in Small Scale Industries	—4
44.	विविध भारती के कार्यालय को नई दिल्ली से बम्बई स्थानान्तरित करना	Shifting of Vividh Bharatı office from New Delhi to Bombay	—6
46.	मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी, ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी और जैसप एण्ड कंपनी द्वारा कच्चे माल की कमी के बारे में शिकायत	Complaint Re. Shortage of Raw Materials by M/s Burn & Co. Braithwaite & Co. and Jessop & Co.	—8
47.	नई दिल्ली में जनसंघ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प	Clash between Jan Sangh and Congress Workers in New Delhi	—11
48.	पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की उपस्थिति के बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय	Calcutta High Court's Ruling on Presence of C. R. P. in West Bengal	—13
49.	पार्सलों के लिए भिन्न-भिन्न डाक दरें	Differential Postal Rates for Parcels	—15
50.	अमरीकी अन्तरिक्ष भू उपग्रह द्वारा भारत के संसाधनों का सर्वेक्षण	Survey of Indian Resources by American Space Eırth Resources Satellite	—15

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign+marked above the name of Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

अता.प्र. संख्या U.S. Q.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
51.	उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद कारों के मूल्य	Prices of Cars after Supreme Court's Judgement	—16
52.	पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख महिला संगठन के प्रतिनिधि मंडल की प्रधान मंत्री के साथ बात चीत	Meeting of Delegation of a Leading women Organisation of west Bengal with Prime Minister	—19
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	21—24
ता० प्र० संख्या S.Q.No.			
41.	स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of Pension to Freedom Fighters	—21
45.	कानपुर में टेलीविजन केन्द्र	T. V. Station at Kanpur	—22
53.	गृह मंत्रालय में राजनैतिक प्रभाग का कार्यकरण	Functioning of Political Division in Home Ministry	—23
54.	बंगला देश से हथियारों का चोरी छिपे लाया जाना और पश्चिम बंगाल तथा बिहार में बेचा जाना	Smuggling of Arms from Bangladesh and their sale in West Bengal and Bihar	—23
55.	1 जून 1972 को सिलीगुड़ी टेलीफोन एक्सचेंज से गतिरोध	Siliguri Telephone Exchange Deadlock on Ist June, 1972	—24
56.	गोआ प्रशासन में पुर्तगाली एजेन्ट	Portuguese Agents in Goa Administration	—24
57.	डायामेंन्ट बी.सी. सेटेलाइट लांचर के विकास के लिए फ्रांस की भारत को सहायता देने के लिये अनिच्छा	French Reluctance to Help India in the Development of Diamant BC Satellite Launcher	—24
58.	24 जून, 1972 के बिल्ट्ज में 'इज माई लाई इन महाराष्ट्र' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार	News Item 'Is Mai Lai in Maharashtra' Appearing in Blitz dated 24th June, 1972	—25
59.	ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों से होने वाली हानि	Loss on Post Offices in Rural Areas	—25
60.	बिहार में गरीबी	Poverty in Bihar	—25
अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.			
401.	देश में शराब की तस्करी तथा बिक्री	Sale and Smuggling of Liquor in the Country	—26
402.	शराब पीकर गाड़ी चला रहे ड्राइवरों का पता लगाने के लिए भारतीय यातायात पुलिस को एक संयंत्र प्रदान करने की व्यवस्था	Traffic Police to be provided with an equipment to determine drunken drivers	—26

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
403.	शिमला के आकाशवाणी प्रसारणों में त्रुटियां	Shortcomings in Simla Broadcast	—26
404.	लापता तार मनीआर्डर	Untraced TMO	—27
405.	बल्लभगढ़ में टेलीफोनों का खराब रहना	Ballabgarh Telephones out of order	—27
406.	आटा पीसने वाली मशीनें बनाने वाली फर्म	Firms manufacturing roller flour milling machinery	—27
407.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग में कार्य कर रहे अधीक्षकों को स्थायी घोषित करना	Confirmation of Superintendents working in National Sample Survey	—28
408.	दिल्ली दमकल सेवा प्राधिकारियों को समीपवर्ती राज्यों में आग बुझाने के निर्देश	Instructions to Delhi Fire Service Authorities to Extinguish fire in adjoining States	—28
409.	भारत में वैज्ञानिकों का भविष्य	Fate of Scientists in India	—29
410.	मानवीय पर्यावरण के बारे में स्टाकहोम में हुआ सम्मेलन	Conference or Human Environment held at Stockholm	—30
411.	टेलीविजन केन्द्र, दिल्ली में एक कलात्मक चित्र का गुम होना	Missing Painting in Delhi T. V. Centre	—30
412.	राष्ट्रीय एकता प्रभाग द्वारा साम्प्रदायिक दंगों के लिये पाये गये कारण	Reasons for outbreak of Communal Riots Examined by National Integration Division	—31
413.	मध्य प्रदेश के लिये टेलीविजन केन्द्र	T. V. Centres for M. P.	—33
414.	तांबे के तारों की चोरी करने वालों का अन्तर्राज्यीय गिरोह	Inter State Gang of Copper Wire Thieves	—33
415.	गोलपाड़ा, आसाम में कागज मिल की स्थापना	Establishment of Paper Mill in Goalpaa Assam	—33
416.	राज्यों में कृषि जन्य उद्योग	Agro Industries in the States	—34
417.	गुजरात में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस देना	Issue of Licence for setting up of Industries in Gujarat	—34
418.	वरिष्ठता के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का क्रियान्वयन	Implementation of the supreme Court's decision on Seniority	—35
419.	आदिवासियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की जन संख्या	Population of Adivasis, Scheduled Caste and Scheduled Tribes	—35

अता. प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
420.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक विभाग द्वारा बेरोजगार स्नातकों का सर्वेक्षण	Survey conducted by Scientific and Technical Personnel Division of CSIR regarding Jobless Graduates	—36
421.	दुग्ध चूर्ण की कमी	Shortage of Milk Powder	—36
422.	भारत और बंगला देश के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग	Cooperation between India and Bangla Desh in the field of Atomic Energy	—37
423.	एक्स-रे फिल्मों की कमी	Shortage of X-Ray films	—37
424.	एग्रो इंडीस्ट्रीयल का कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश द्वारा विदेशी सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors with Foreign Collaboration by Agro Industrial Corporation, Uttar Pradesh	—37
425.	विशाखापत्तनम बाह्य बन्दरगाह के उद्घाटन के अवसर पर कार्यक्रमों के बारे में समाचार देना	Programmes covered on occasion of inauguration of Vizag Outer Harbour	—38
426.	हैवी इलैक्ट्रीकल्स इक्विपमेंट प्लांट, हरिद्वार को हुई हानि	Loss incurred to Heavy Electricals Equipment plant, Hardwar	—39
427.	देश में गुरु पानी के संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Heavy water Plants in the country	—39
428.	कपास का वायदा व्यापार	Forward trading in Cotton	—40
429.	मृत्यु दण्ड को समाप्त करना	Abolition of Death Penalty	—40
430.	श्रृंगार सामग्री बनाने वाली कंपनियों के बारे में विदेशी पूंजी निवेशबोर्ड द्वारा अध्ययन	Study by Foreign Investment Board regarding Companies Manufacturing Cosmetics	—41
431.	गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा बड़ी परियोजनाओं को बिजली के अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई	Supply of Electric Spare parts to big Projects by Private Sector	—41
432.	न्यायापालिका को कार्यपालिका से अलग करना	Separation of Judiciary from Executive	—42
433.	18 से 21 वर्ष के आयु के बीच आने वाले व्यक्ति	Persons between the Age Group of 18 and 21 years	—42
434.	स्वाधीनता की 25वीं जयन्ती के अवसर पर राजनैतिक बन्दियों की रिहाई	Release of Political Prisoners during 25th Anniversary Celebrations of Independence	—44
435.	त्रिपुरा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाना	Separation of Judiciary from Executive in Tripura	—44

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
436.	लोकसभा द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पास किये जाने के फलस्वरूप साम्प्रदायिक दंगों का फैलना	Out break of Communal Riots as a result of Aligarh Muslim University (Amendment) Bill Passed by Lok Sabha	—44
437.	आर्थर बटलर एंड कम्पनी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर का बंद होना	Closure of Arthur Butler and Co. Ltd,, Muzaffarpur	—45
438.	पटना के अतिरिक्त बिहार में प्रस्तावित एक डाक व तार चिकित्सालय खोला जाना	Opening of the proposed P & T Dispensary in Bihar other than Patna	—45
439.	आकाशवाणी पुनर्गठन	Reorganisation of AIR	—45
440.	निष्कासन आदेश की समाप्ति के उपरान्त काश्मीर के बारे में शेख अब्दुल्ला का वक्तव्य	Sheikh Abdullah's Utterances regarding Kashmir after Lifting of Externment Order	—46
441.	स्टाकहोम में मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन	UN Conference on Human Environment held in Stockholm	—46
442.	सत्यमेव जयते	Satyameva Jayate	—47
443.	ग्रामीणों के लिये चिकित्सा सुविधायें	Medical facilities for villagers	—47
444.	भारतीय जन सम्पर्क संस्थान के कार्यकरण की जांच	Inquiry into performances of Indian Institute of Mass Communications	—47
445.	श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से सरकारी विज्ञापन	Government Advertisements through DAVP	—49
446.	फिल्म और टेलीविजन संस्था, पूना के कार्यकरण सम्बन्धी रिपोर्ट	Report on working of Film and T. V. Institute, Poona	—50
447.	दिल्ली पुलिस के सम्बन्ध में खोसला आयोग की सिफारिशें	Recommendation of Khosla Commission on Delhi Police	—52
448.	कानपुर से आकाशवाणी को विज्ञापन	AIR Adverisements from Kanpur	—52
449.	आयु से पूर्व सेवानिवृत्ति सम्बन्धी नियमों में संशोधन	Amendments in premature retirement Rules	—53
450.	भूतपूर्व शासकों को अन्तरिम भत्तो की अदायगी	Payment of transitional Allowance to former rulers	—54
451.	इंडियन इंडीपैंडैंस लीग (अन्दमान) के सदस्य द्वारा किये गये कार्य को मान्यता देना	Recognition of the role played by Members of Indian Independnce League (Andamans)	—54
452.	रोड रोलरों का उत्पादन	Production of Road Rollers	—55

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
453.	भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ मानने के लिए राष्ट्रीय समिति	National Committee for celebration of 25th Year of Indian Independence	—55
454.	भारत पाक शिमला समझौते पर शेख अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया	Reaction of Sheikh Abdullah on Indo-Pak Simla Agreement	—55
455.	इंजीनियरिंग फर्मों द्वारा औद्योगिक मशीनों का निर्माण	Production of Industrial Machines by Engineering Concerns	—56
456.	शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए राजस्थान के धार रेगिस्तान में परमाणु परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report re : Atomic Test in Thar Desert in Rajasthan for Peaceful purpose	—56
457.	दैनिक मजूरी पर काम करने वाले टैस्ट काल आपरेटरों को नियमित करना	Regulation of daily wages Test Call Operators	—57
458.	पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में चीन और पाकिस्तान में बने गोला बारूद का बरामद किया जाना	Recovery of Chinese and Pak make Ammunition in Murshidabad District of west Bengal	—57
459.	इटली की फर्म के सहयोग से स्कूटर का निर्माण	Manufacture of Scooters in Collaboration with Italian Firm	—58
460.	दिल्ली में शराब पीने के परिणामस्वरूप होने वाली मौतों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI finding regarding Liquor Deaths in Delhi	—58
461.	दिल्ली में 5000 टेलीफोन मशीनों का खराब हो जाना	5000 telephone machines out of order in Delhi	—58
462.	परमाणु शक्ति का विकास	Development of Nuclear Power	—59
463.	मैसर्स मैटल बाक्स कम्पनी लिमिटेड के कार्यकरण की दशा	Working Conditions of M/s Metal Box Co. Limited	—59
464.	पश्चिम बंगाल में श्रमिक संघों के अधिकार बहाल करने सम्बन्धी सी० आई० टी० यू० और यू० टी० यू० सी० से ज्ञापन	Memorandum from CITU and UTUC regarding restoration of Trade Unions rights in west Bengal	—60
465.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल	Central Industrial Security Force	—60
466.	राज्यों में पुलिस दलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Police Force in States	—61
467.	उत्तर बिहार में सीमेंट का ऊंचा मूल्य	Higher Price of Cement in North Bihar	—61

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
468.	लाइसेंस नीति के उदार बनाये जाने की प्रतिक्रिया	Response to liberalisation of Licensing Policy	—62
469.	विश्व बैंक से लघु उद्योगों को सहायता	Aid to Small Scale Industries from World Bank	—62
470.	गोआ में परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना	Nuclear Power Plant in Goa	—63
471.	राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा कैथौड-रे-ट्यूबें और टी०बी०ट्यूबें बनाने और उनको नया रूप देने के लिए विकसित की गई प्रक्रिया	Process developed by National Physical Laboratory for Fabricating and Reconditioning of Cathode-ray tube and TV Tubes	—63
472.	अन्तरिक्ष अनुसन्धान के बारे में भारत-फ्रांस समझौता	Indo French agreement in space research	—63
473.	संयुक्त क्षेत्र सम्बन्धी कारण	Joint Sector Concept	—64
474.	समाचार पत्रों के स्वामित्व का प्रसार	Difusion of ownership of Newspapers	—64
475.	राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन की अदायगी	Payment of pension to Political Sufferers	—65
476.	भारत के पूर्वी भाग में सी० आई० ए० की गतिविधियाँ	CIA activities in Eastern Region of India	—65
478.	आंध्र प्रदेश में तहसीलदारों की पदोन्नति	Promotion of Tehisldars in Andhra Pradesh	—65
479.	पश्चिम बंगाल चलचित्र उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Study Team on west Bengal Films Industry	—66
480.	राज्यों में टेलीविजन केन्द्रों के लिये स्वीकृत राशि	Amount sanctioned for T.V. Centres in States	—67
481.	अधिकारियों के विरुद्ध मामलों की छानबीन करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त समितियां नियुक्त करने के लिए राज्य सरकारों को दिये गये अनुदेश	Instructions given to State Governments to appoint High Powered Committees to Screen cases against Officers	—68
482.	इन्टरनेशनल यूनियन आफ रेलवे की स्वर्ण जयन्ती पर विशेष डाक टिकट जारी करना	Special Stamp on Golden Jubilee of International Union of Railways	—68
483.	राष्ट्रीय डाक संहिता	National Postal Code	—69
484.	पिछड़े क्षेत्रों में घाटे पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलना	Opening of PCO on loss basis in Backward Areas	—70

अता.प्र. संख्या US.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
485.	दोषपूर्ण लेखा व्यवस्था के लिए दिल्ली टेलीफोन के कर्मचारियों को परेशान किये जाने का आरोप	Alleged victimisation of staff of Delhi Telephones over Defective accounting System	—71
487.	संयुक्त क्षेत्र को औद्योगिक नीति का अंग बनाना	Joint Sector as a part of Indutrial Policy	—71
488.	डाक से भेजे गए लिफाफों पर से डाक टिकटों की चोरी	Pilferage of Postal Stamps from mailed Covers	—72
489.	अशोक पेपर मिल्स लि० दरभंगा का आसाम को स्थानान्तरण	Shiftng of Ashoka Paper Mills Ltd., Darbhanga to Assam	—72
490.	रूस के साथ सीधा दूर संचार संपर्क	Direct Telecommunication link with Russia	—73
491.	मद्रास में टेलीविजन केन्द्र	T. V. Centre at Madras	—73
492.	मध्य प्रदेश के ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोन घरों की मांग	Demand for P. C. Os. in Madhya Pradesh Villages	—73
493.	इन्दौर को सीधी टेलीफोन सेवा	Direct Telephone to Indore	—74
494.	भारतीय स्वाधीनता का रजत जयन्ती समारोह	Celebration of 25th Anniversary of India's Independence	—74
495.	छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car	—74
496.	सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा बड़े अफसरों की धांधली के बारे में प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted by BSF Jawans against high handcdness of high Offieials	—75
497.	विभिन्न मंत्रालयों तथा, विभागों में कैरियर मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to set up Career Management Units in various Ministries and Departments	—76
498.	अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय तार और टेलीफोन निगम द्वारा दोषपूर्ण केबलों की सप्लाई	Supply of faulty cables by international Telegraph and Telephone Corporation of USA	—76
499.	पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों को कठिनाइयाँ	Difficulties faced by Small Scale Industries in West Bengal	—76
500.	भारत इलैक्ट्रानिक्स द्वारा निर्मित 100 किलोवाट का प्रसारण ट्रांसमीटर	100—K. W. Broadcast Transmitter produced by Bharat Electronics	—77
501.	राष्ट्रीय शिक्षा ग्रिड	National Educational Grid	—77
502.	पश्चिम बंगाल और बिहार से लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र	Applications from West Bengal and Bihar for Licences	—78

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
503.	दिल्ली टेलीविजन केन्द्र में कथित भाई भतीजावाद	Alleged Nepotism in Delhi T. V. Centre	—78
504.	आकाशवाणी से समाचार प्रसारण के घंटों की संख्या	Number of Hours of News Breadcast over AIR	—78
505.	आकाशवाणी को स्वायत्त संस्था बनाने के लिए प्रदर्शन	Demonstrations to make AIR an Autonomous Organisation	—79
506.	त्रिपुरा में आदिवासियों के विरुद्ध केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा बी०एम० पी० को तैनात करना	Deployment of CRP and BMP against Tribes in Tripura	—79
507.	त्रिपुरा में कागज का कारखाना खोलने के लिये विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट	Report of Expert Team for starting Paper Mill in Tripura	—80
508.	त्रिपुरा में डाक टिकटों, लिफाफों आदि की कमी	Shortage of Postal Stationery in Tripura	—80
509.	उद्योगों के आरम्भ करने हेतु केरल लाइसेंसों के लिए विचाराधीन पड़े आवेदन पत्र	Pending Applications from Kerala for Licences for Starting Industries	—81
510.	केरल में क्रास बार स्विचिंग उपकरण	Cross Bar Switching Equipment in Kerala	—82
511.	केरल राज्य के लिये वर्ष 1972-73 के लिये रोजगार प्रधान संयोजय योजना	Employment Oriented Additive Plan for the State of Kerala for 1972-73	—82
512.	गुजरात में उद्योगों का बन्द होना	Closure of Industries in Gujarat	—83
513.	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये रियायतें	Concessions for setting up of Industries in Backward Areas	—83
514.	कीमतों को बढ़ने से रोकना	Check on Rising Trend of Price	—83
515.	प्रत्येक पिछड़े जिले में औद्योगिक उपक्रम स्थापित किया जाना	Setting up of Industrial Undertaking in each Backward District	—84
516.	नेशनल न्यूज प्रिन्ट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर को हुई हानि	Loss suffered by National News print and Paper Mills Ltd., Nepanager	—84
517.	पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का हटाया जाना	Withdrawal of CRP from West Bengal	—84
518.	योजना संसाधन विकास विभाग के कार्यक्रम के बारे में मैसूर राज्य द्वारा दिये गये सुझाव और विकास कार्यों के लिये निधि का नियतन	Suggestions made by Mysore State in the working of plan resources development and allocation of funds for Developmental works	—85

अत.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
519.	अखबारी कागज की कमी	Shortage of Newsprint	—85
520.	आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने के अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्ति	Persons detained under maintenance of Internal Security Act	—86
521.	टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये सरकारी उपक्रमों को लाइसेंस देने में सरकार का विरोध	Govrnment's Opposition to Issuing of Licences to Poblic Undertakings for Manufacture of TV Sets	—87
522.	दिल्ली में डाकुओं के सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोह	Civic Reception Held in Honour of Dacoits in Delhi	—88
523.	पोस्टकार्डों पर हानि	Loss on Post Cards	—88
524.	बिजली की कमी के कारण गुजरात में औद्योगिक हानि	Industrial Losses in Gujarat due to Power Shortage	—89
525.	गुजरात में जापानी स्वरूप के ग्रामीण उद्योग	Japaness Style Rural Industries in Gujarat	—89
527.	खादी के लिये खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गठित तकनीकी समिति का प्रतिवेदन	Report of Technical Committee Constituted by KVIC for Khadi	—90
528.	इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों में व्याप्त बेरोजगारी दूर करना	Removal of Unemployment among Engineers and Scientists	—91
529.	प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति	Progress made by India in the Field of Technology	—92
530.	साबुन और औषधियों के सम्बन्ध में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो का प्रतिवेदन	Report of Bureau of Industrial Costs and Prices on Soap and Drugs	—92
531.	उत्तर प्रदेश में आणविक विद्युत केन्द्र	Atomic Power Station in U. P.	—93
533.	भूतपूर्व राजा महाराजाओं को क्षतिपूर्ति की अदायगी	Payment of Compensation to Former Rulers	—93
534.	आकाशवाणी, टेलीविजन और वृत्त चित्रों का सत्तारूढ़ दल के लाभ के किये कथित दुरुपयोग	Alleged Misuse of Radio, Television and Documentary Films to Advantage of Ruling Party	—94
535.	महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद	Maharashtra Mysore Boundary Dispute	—94
536.	कलपक्कम आणविक संयंत्र के लिए यूरेनियम की सप्लाई हेतु फ्रांस से समझौता	Agreement with France for supply of Uranium for Kalpakkam Atomic Plant	—94

अता.प्र. संख्या U.S,Q, No.	विषय	Subject	संख्या Pages
537.	टाइम्स आफ इण्डिया के युद्ध संवाददाता को मान्यता दिया जाना	Accreditation of Times of India War Correspondent	—95
538.	मान्यता प्राप्त प्रेस संवाददाता	Accrediated Press Correspondents	—95
539.	अमरीकी भू-संसाधन उपग्रह की जासूसी की गतिविधियां	Espionage activities by American Earth Resources Satellite	—95
540.	पेन्टाकोपा एक्सचेन्ज के निर्माण के लिये करार की अवधि बढ़ाया जाना	Extension of Contract for manufacture of Pentacopa Exchange	—96
541.	अनुदेश टेलीविजन के साथ परीक्षण के लिये नासा के उपग्रह का उपयोग	Use of NASA's Satellite for Experiments with Instructional Television	—96
542.	आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में राकेट छोड़ने का केन्द्र	Rocket Launching Station at Sriharikota in Andhra Pradesh	—97
543.	लाइसैंसों की क्रियान्विति के लिए सेल की स्थापना	Cell for Implementation of Licences	—98
544.	औद्योगिक नीति संकल्प में परिवर्तन	Changes in Industrial Policy Resolution	—98
545.	भूतपूर्व राजा महाराजाओं के विशेषाधिकारो को समाप्त करना	Aboiltion of Privileges of former Rulers	—98
546.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एशियन केबल्स कारपोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध जाँच	CBI Inquiry against Asian Cables Corporation Ltd,	—99
547.	प्रधान मंत्री सचिवालय में कर्मचारियों की संख्या	Staff Strength of P. M's Secretariat	—100
548.	आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबन्द किये गये राजनैतिक बन्दी	Political Prisoners detained under maintenance of Internal Security Act	—101
549.	लोक सभा द्वारा पास किये गये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक में किये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में जनता को बताना	Educating public regardidg changes made in the Aligarh Muslim University (Amendment) Bill passed by Lok Sabha	—102
550.	देश में आपात की स्थिति समाप्त करना	Lifting of Emergency in the country	—102
551.	अन्तरिक्ष अनुसंधान आयोग के मुख्यालय की बंगलौर में स्थापना	Location of Headquarters of Space Research Commission at Bangalore	—102
552.	अन्तरिक्ष अनुसन्धान के लिये रूस से समझौता	Agreement with Soviet Union for Space Research	—103

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
553.	थुम्बा अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र में सी० आई० ए० की गतिविधियां	CIA Activity in Thumba Space Research Station	—103
554.	पुलिस अवासन और पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता	Assistance to States for Police Housing and Modernisation of Police Forces	—104
555.	नारियल के खोलों और चावल की भूसी से सक्रिय कार्बन का निर्माण	Manufacture of active carbons from Coconut Shells and Rice Husk	—104
556.	सिंगोली (मध्य प्रदेश) में टेलीफोन की सुविधाये	Telephone Facilities in Singoli M. P.	—105
557.	केन्द्रीय आरक्षित पुलिस को नीमच में आवासीय सुविधा	Accommodation of CRP at Neemuch	—105
558.	मध्य प्रदेश के रतलाम और शाजापुर में चीनी साहित्य का मिलना	Chinese Literature found in Ratlam and Shazapur District of Madhya Pradesh	—105
559.	रेडियम किरणों द्वारा औषध उत्पादों को कीटाणु रहित करने के लिये संयंत्र	Plant for Sterlising Medical Products through Irradiation	—106
560.	अन्तरिक्ष आयोग	Space Commission	—106
561.	राजस्थान परमाणु बिजली घर के लिये केलेण्ड्रिया की सप्लाई में विलम्ब	Delay in Delivery of Calenderia for Rajasthan Atomic Power Project	—106
562.	भूमिगत अणु परीक्षण	Under Ground Nuclear Explosion	—107
563.	तारापुर अणुशक्ति संयंत्र में परिवर्तन	Modifications in Tarapur Atomic Plant	—107
564.	कलपक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के लिये टर्बो सेट	Turbo set for Fast Breeder Test Reactor at Kalpakkam	—108
565.	लखनऊ विश्वविद्यालय में सी०आई० ए० के एजेंट	CIA Agents in Lucknow University	—108
566.	12 मार्च, 1972 को नई दिल्ली में कांग्रेस के जुलूस पर गोली चलाना	Firing on a Congress Procession on 12-3-72 in New Delhi	—108
567.	लघु उद्योगों में शेविंग ब्लेड बनाने का कार्य	Manufacture of Shaving Blades in Small Sector	—109
568.	बम्बई नगर के दोनों भागों का विकास	Development of the Twin City of Bombay	—110
569.	हिमाचल प्रदेश डाक सर्किल का गठन	Formation of Himachal Pradesh Postal Circle	—111

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
570.	आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रकाशित करने वाली सरकारी पत्रिकायें	Goverument Journals Embodying AIR Programmes	—111
571.	तांबे के तार की चोरी	Theft of Copper Wire	—113
572.	पर्वतीय क्षेत्रों के लिये पृथक विभाग की स्थापना करना	Separate Cell for Hill Areas	—114
574.	ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्वासित किये गये स्वतन्त्रता सेनानियों अथवा जिन्होंने फर्जी नाम लिखवाये को पेंशन देना	Payment of pension to Freedom Fighters exiled by British Government or those who assumed Fake names	—114
575.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में अप्रोच पेपर में दिये गए उद्देश्य	Objectives outlined in the approach paper on the Fifth Five Year Plan	—115
576.	पूर्वी बंगाल के लोगों की तरह कश्मीरियों से व्यवहार के बारे में शेख अब्दुल्ला का वक्तव्य	Sheikh Abdullah's Statement regarding trceting of Kashmiris as in the case of East Bengalis	—115
577.	आणविक विस्फोट के द्वारा खनिज निकालना	Exploration of Minerals by Atomic Explosions	—115
578.	राजनैतिक दल परिवर्तन को रोकने के लिये विधान	Legslation to prevent defections from Political parties	—116
579.	पंजाब के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये दवे आयोग	Dave Commission of Inquiry into Charges of Corruption against former Pujab Ministers	—116
580.	दिल्ली में कारों और स्कूटरों की चोरी	Lifting of Cars and Scooters in Delhi	—117
581.	फिल्म परिषद	Film Council	—118
582.	पंजाब में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी एजेन्ट/जासूस	Pak Agents/Spies arrested in Punjab	—118
583.	राजा गार्डन, फरीदाबाद में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना	Provision of PCO at Raja Garden Faridahad	—118
584.	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड कर्मचारी संघ हरिद्वार का ज्ञापन	Memorandum from HEL workers Association Hardwar	—119
585.	जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण	Analysis of Census figures	—119
587.	खोसला समिति रिपोर्ट की सिफारिशों की कार्यान्विति	Implementation of recommendations of Khosla Committee Report	—119
588.	ट्रैक्टर निर्माण उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग	Utilisation of Installed Capacity of Tractor Industry	—120

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
589. अमृतसर और बम्बई के टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना में प्रगति	Progress made for establishment of T. V, Stations at Amritsar and Bombay	—120
590. आकाशवाणी के गीत तथा नाट्य प्रभाग के कलाकारों का आन्दोलन	Agitated Artistes of Song and Drama Division of AIR	—121
591. देश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची	Waiting List of Telephone Connections in the country	—121
592. केन्द्र राज्य सम्बन्ध	Centre State relations	—122
593. आंध्र प्रदेश में छोटी कार परियोजना के लिये भूमि	Land for small car project in Andhra Pradesh	—122
594 अमरीका की आई०टी०टी० कम्पनी द्वारा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री के साथ सहयोग	ITT, USA's collaboration with Indian Telephone Industry	—122
595. बम्बई में हरिजन बौद्धों द्वारा आयोजित प्रदर्शन	Demonstration Organised by Harijan Budhists in Bombay	—123
596. राज्यों को योजना कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता के वितरण की कसौटी	Criteria for disbursement of Central Assistance to States for Plan Programmes	—123
597. दिल्ली पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Delhi Police and DDA	—123
599. डाक तथा तार विभाग के उड़ीसा सर्किल में आवास के लिये नियत राशि	Amount allotted for Housing in Orissa Circle of P & T	—124
600. आकाशवाणी के इंजीनियरों द्वारा ज्ञापन	AIR Engineers Memo	—124
सभा के कार्यवाही वृतान्त से शब्दों को निकाल दिये जाने के बारे में	Re Expunctions from Proceedings	—125
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	—126
उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के मछरिया गांव में दस हरिजनों को जिन्दा जला दिये जाने का समाचार	Reported burning alive of ten Harijans in Machhariya village of Moradabad District in U. P.	—126
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	—126
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	—126
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	—127

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
नियम 377 के अधीन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re. Motion under Rule 377 (Querry)	—129
कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972	Coking Coal Mines (Nationalisation) Bill	129—143
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री शाहनवाज खाँ	Shri Shahnawaz Khan	—129
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath hatterjee	—131
श्री सी० चित्तिबाबू	Shri C. Chittibabu	—133
श्री रामनारायण शर्मा	Shri R. N. Sharma	—134
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	—134
श्री मूलचन्द डागा	Shri. M. C. Daga	—134
श्री के० बालदन्डायुतम	Shri K. Baladhandayutam	—135
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi	—135
श्री एन० श्री कान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	—136
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	—137
श्री शिव चन्डिका	Shri Shiva Chandika	—137
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Baattacharyyia	—138
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta	—139
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam	—139
उपदान संदाय विधेयक, 1971	Payment of Gratuity Bill, 1971	—143
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider, as reported by Select Committee	
श्री आर०के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	—143
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnatn Chatterjee	—144
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	—146
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	—147
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	—148
श्री सी० चित्तिबाबू	Shri C. Chittibabu	—150
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	—151
श्री सोमचन्द सोलंकी	Shri Somchand Solanki	—151
श्री एन० श्री कान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	—152

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 2 अगस्त, 1972/11 श्रावण, 1894 (शक)
Wednesday, 2 August, 1972/Sravana 11, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*

निधन सम्बन्धी उल्लेख
Obituary References

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को अपने दो मित्रों श्री जे० के० चौधरी तथा डा० धर्मप्रकाश की दुःखद मृत्यु की सूचना देनी है।

श्री जे० के० चौधरी 1967-70 के वर्षों में चौथी लोकसभा के सदस्य थे। वे तत्कालीन संघराज्य क्षेत्र त्रिपुरा से त्रिपुरा-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर आये थे। वे बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे वे अपने साथियों के प्रिय थे तथा उन्हें उनका आदर प्राप्त था। स्वभाव से बहुत ही नम्र तथा सज्जन थे। शैक्षिक मामलों में वे बहुत रुचि रखते थे। त्रिपुरा और कछार में उन्होंने बहुत से शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की। 75 वर्ष की आयु में 6 जुलाई, 1972 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई।

डा० धर्मप्रकाश वर्ष 1946-52 के दौरान संविधान सभा तथा अस्थायी संसद के सदस्य थे। वर्ष 1958-68 के दौरान वे राज्यसभा के सदस्य थे। वे कर्मठ स्वतन्त्रता सैनानी थे तथा हरिजनों और पिछड़ी जातियों के उत्थान में उनकी विशेष रुचि थी। वे बहुत सी सामाजिक तथा शिक्षा संस्थाओं से सम्बद्ध थे। 72 वर्ष की आयु में 31 जुलाई, 1972 को दिल्ली में उनका देहान्त हो गया।

हम अपने इन मित्रों की मृत्यु पर शोकाकुल हैं और मुझे विश्वास है कि शोकसंतप्त परिवारों को सम्वेदना सन्देश भेजने में सदन भी हमारे साथ शरीक है।

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सदन के दो भूतपूर्व सदस्यों की दुखद मृत्यु पर जो सम्वेदना प्रकट की गई है, सदन सहित मैं भी उसमें शरीक होती हूं। वे हम सभी के परिचित थे तथा विविध क्षेत्रों में सक्रिय थे।

श्री जे०के० चौधरी चौथी लोकसभा में हमारे साथी थे। 14 वर्ष की आयु में वह आतंकवादी आन्दोलन में सम्मिलित हो गये थे। उसके पश्चात वे महात्मा गांधी के प्रभाव में आये और हमारे आन्दोलन में सक्रिय हो गये। वे एक प्रमुख शिक्षाविद् थे और देश के पूर्वीभाग के कई कालिजों में प्रिंसिपल रहे। सामाजिक कार्यों में उनकी अत्यधिक रुचि थी और उन्होंने बहुत से कल्याण संस्थानों की स्थापना की थी।

जैसा कि आपने बताया है डा० धर्मप्रकाश अस्थायी संसद तथा संविधान सभा के सदस्य थे। वे उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये कार्य करने वाले बहुत से संगठनों से सम्बद्ध थे। आदिवासियों तथा गूजर लोगों के सम्मेलन कराने में उनकी बड़ी रुचि थी।

ये दोनों ही सदस्य मेरे पास बहुत सी समस्यायें लेकर आते थे बाद में संसद सदस्य न रहने पर भी संसदीय कार्यों में उनकी रुचि निरन्तर बनी रही।

मैं शोक संतप्त परिवारों को सदन की सहानुभूति तथा संवेदना प्रेषित किये जाने का अनुरोध करती हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): देश के दो महान पुत्रों के निधन पर हम सभी दुखी और शोकाकुल हैं। दिवंगत आत्मा श्री जे० के० चौधरी केवल स्वतन्त्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं थे अपितु एक प्रमुख अध्यावसायी भी थे और उन्होंने शिक्षा की प्रगति के लिये सदैव ही प्रयत्न किया। दूसरे महानुभाव को यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, फिर भी जैसा कि मैंने सुना है वे समाज कल्याण तथा शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य करने के कारण प्रसिद्ध हैं। इन दोनों के निधन से हम सभी को दुख हुआ है। श्रीमन् आप हमारी ओर से हमारी संवेदनायें शोक संतप्त परिवारों को प्रेषित करायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): श्री जे० के० चौधरी की दुखद मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। जब वे संसद सदस्य थे, मैं उन्हें तभी से जानता था। वे बहुत ही निष्ठ तथा सरलचित्त व्यक्ति थे। बंगाल और आसाम में वर्षों से जो सामाजिक कार्य वे कर रहे थे हम उस कार्य से परिचित थे।

श्री जे०के० चौधरी तथा डा० धर्मप्रकाश की दुखद मृत्यु पर आपके तथा प्रधान मन्त्री के उद्गारों के साथ अपने दल सहित मैं भी शरीक होता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारी तथा हमारे दल की सम्वेदनायें तथा सहानुभूति शोक संतप्त परिवारों को प्रेषित करायें।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : सदन में जो उद्गार व्यक्त किए गए हैं मैं भी उसमें शरीक होता हूं।

श्री जे० के० चौधरी चौथी लोकसभा में एक माननीय सदस्य थे। कई बार उनसे बातचीत करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। वे सरल चित्त थे। शिक्षा तथा समाज कल्याण के कार्यों में

केवल यहां पर ही नहीं अपितु देश के दूसरे भागों में भी उन्होंने बड़ी रुचि प्रदर्शित की थी । इस अवसर पर जो उदगार व्यक्त किए गए हैं मैं एक बार फिर उसमें शरीक होता हूं तथा शोक संतप्त परिवारों को अपनी सम्वेदनायें प्रेषित करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूं ।

Shri Attal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I associate myself and my group with the sentiments expressed in the House and convey my heart felt condolences for the sad demise of Shri Chaudhary and Dr.Dharam Prakash. I had close relations with Dr.Dharam Prakash, We have been together in Rajya Sabha. Besides being a freedom fighter, he had been continuously striving for social liberty and equality. He came from a Harijan family but his hard work made him an eminent national leader. Even during the last moments of his life, he was pained to see that no positive step has so far been taken to solve the problems of scheduled castes and tribes on a national level.

He himself established a social welfare institution called "Manar Sewa Sangh". He opened branches of this institution in several parts of the country and dedicated himself to the pledge of social service and continued working in his own way. His sad devise is a great loss to us.

I pay my humble homage to the departed souls.

Shri Shyam Nandan Mishra (Begusarai) : Mr. Speaker, Sir, I on behalf of my group pay homage to both the departed souls and convey my heart felt condolences to the bereaved families.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मुझे श्री जे० के० चौधरी को जानने का सौभाग्य प्राप्त है जो एक प्रमुख शिक्षाविद् तथा सच्चे और ईमानदार लोकसेवक थे, वे वास्तव में उदासीन भाव से राजनीति में आये थे । उनकी देश भक्ति की भावना ने दासत्व के प्रति विद्रोह किया, इसी कारण उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया । मैं उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना और सहानुभूति प्रकट करता हूँ ।

डा० धर्म प्रकाश पिछड़ी जातियों के प्रसिद्ध नेता थे । वे उनके उत्थान के लिए लड़ते रहे । वे इन जातियों की सेवा केवल सेवा भाव से नहीं करते थे अपितु इन जातियों को अन्य जातियों के समान स्तर पर लाकर सम्पूर्ण राष्ट्र को एक जाति के रूप में देखना चाहते थे । मैं उनके निधन पर अपनी संवेदना प्रकट करता हूं तथा अन्य मित्रों द्वारा उद्‌गारों की अभिव्यक्ति में उनके साथ शरीक होता हूँ ।

डा० रणबहादुर सिंह (सिधी) : मैं, निर्दलीय सदस्यों की ओर से, सदन में अभिव्यक्त किये उद्‌गारों में शरीक होता हूं तथा शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनायें प्रेषित करने का अनुरोध करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए सदन के सदस्य कुछ देर मौन खड़े रहेंगे ।

(तत्पश्चात सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे)

The members then stood in silence for a shortwhile)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

P. C. O. at Chandaval Village, Rajasthan.

***42. Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum from Chandaval village, Tehsil Sojat, District Pali (Rajasthan) to set up a Public Call Office there; and

(b) if so, the time by which their demand is likely to be met ?

The Deputy Minister in the Ministry of Communications (Shri Jagannath Pahadia) :

(a) Yes, Sir.

(b) The proposal for opening of a Public Call Office at Chandaval, District Pali has been examined. It could not be approved as it was unremunerative to the Department. A public call office at this place can however be opened on rent and guarantee basis if some interested party is willing to indentify the P. & T. department against anti-cipated loss.

Shri M. C. Daga : May I know whether the approval to given with a view to providing facilities to the people or on the basis of its being remunerative.

Shri Jagannath Pahadia : Both these things are taken into cosideration.

Shri M.C. Daga : If somebody is willing to guarantee against the loss, then what has to be the amount of guarantee ?

Shri Jagannath Pahadia : If a guarantee of Rs. 7338 is given, the public call office may be opened very soon.

छोटे पैमाने के उद्योगों में पूंजी-विवेश की अधिकतम-सीमा निर्धारित करना

***43. श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे पैमाने के उद्योगों में एक परिवार द्वारा पूंजी-निवेश की अधिकतम-सीमा निर्धारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को संभवत: कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या सरकार को इस बात का पता है कि धनी परिवार विभिन्न नामों से अनेक छोटे उद्योगों में पूंजी-निवेश करते हैं। जिससे वे लघु क्षेत्र के उद्योगों को दी जाने वाली रियायतों तथा लाभों को प्राप्त कर सकें ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : ऐसे कई मामले हमारे ध्यान में लाये गये हैं। इस समय इस मामले में हम कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मंत्री महोदय के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या मैं उन से पूछ सकता हूं कि क्या धनी परिवारों ने अपने पूंजी-निवेश विभिन्न नामों से लघु क्षेत्र के उद्योगों में परिवर्तित कर दिये हैं ? क्या सरकार ने इन प्रवृतियों को रोकने के लिए कोई उपाय सोचा है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद पता नहीं आपका तात्पर्य कौन से विशेष धनी परिवार से है। यदि आप कोई विशिष्ट मामला बतायें तो उस पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : लघु उद्योगों को राज सहायता दी जाती है। कुछ सुविधायें दी जाती हैं। राज सहायता तथा सुविधाओं को लेने के लिए ही कुछ व्यक्ति बहुत से लघु उद्योग स्थापित करते हैं। उनका प्रश्न यह था कि क्या सरकार ऐसे मामलों के पहलूओं पर ध्यान रखती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया है कि क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित करने का है। इस बात का मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मणियम) : ऐसी स्थिति नहीं आई है। यदि बड़े पैमाने पर इसका दुरूपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप में कार्यवाही की जायेगी। इस बीच हम यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि क्या बहुत से एकक किसी गृह विशेष के एकाधिकार में हैं और यदि ऐसा पाया जाता हैं तो निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या लघु क्षेत्र के उद्योगों में पूंजी-विवेश करने से बड़े उद्योग गृहों पर रोक है? यदि हां तो क्या इसका पालन केवल कागजों तक ही सीमित है अथवा वास्तविक रूप में भी इसका पालन किया जाता है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : लघु क्षेत्र के उद्योगों में पूंजी-निवेश करने पर बड़े गृहों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। लघु क्षेत्र के उद्योगों में उनके द्वारा पंजीकरण कराये जाने के समय इस बात को जानेन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है कि कितनी धनराशि उपलब्ध है और कितनी साधारणतया उपलब्ध करायी जा सकती है। दूसरी बातें ऊपर लागू नहीं होती हैं। उन्हें लाइसेंस अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट रूप में आवेदन पत्र देना होता है और उस पर भी काफी ध्यान दिया जाता है।

श्री वसंत साठे : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ बड़े गृह दूसरे नामों से लघु क्षेत्र के उद्योगों में पूंजी-निवेश कर रहे हैं, क्या सरकार कम से कम इस बात का ध्यान रखेगी कि बड़े गृह क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए लघु उद्योग अन-विकसित क्षेत्रों में स्थापित करें?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आश्चर्य है कि साधारण से प्रश्न को कहां ले जाया गया है। प्रश्न यह था कि क्या पूंजी-निवेश के सम्बन्ध में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित करने का विचार है।

श्री वसंत साठे : यदि अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जाती है तो पूंजी-निवेश अन-विकसित क्षेत्रों में किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुये

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य थोड़े से अनुपूरक प्रश्नों तक ही सीमित रहे। हम प्रति दिन आधे प्रश्न भी पूरे नहीं कर पाते हैं। अतः माननीय सदस्य तीन अनुपूरक प्रश्नों से ज्यादा प्रश्न न करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्नों का विषय वास्तव में संकट का विषय बन गया है। आपके सचिवालय में एक दिन में 500 प्रश्न प्राप्त किए जाते हैं। स्वीकृति केवल 220 प्रश्नों को दी जाती है जो नोटिस दिए जाने वाले प्रश्नों की संख्या के आधे से भी कम हैं। अतः प्रश्नों का विषय संकट का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों की संख्या हजारों में जा रही है। उन में से बहुत से प्रश्न लिए ही नहीं जाते और फिर भी उन पर सरकारी धन व्यय होना है।

विविध भारती के कार्यालय को नई दिल्ली से बम्बई स्थानान्तरित करना

*44 **श्री शशि भूषण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विविध भारती कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या विविध भारती कर्मचारियों ने कार्यालय को नई दिल्ली से बम्बई स्थानान्तरित करने के निर्णय का विरोध किया है;

(ग) क्या कुछ कर्मचारियों ने इस कारण त्याग-पत्र दे दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 109

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Shashi Bhushan : Sir, I would like to know as to why the office of vividh Bharati was first shifted to Delhi from Bombay and why it is again being shifted to Bombay ? What was the need for it ?

The staff, which was employed here will have to go to Bombay now and obviously the employees will face difficulty. Moreover the Vividh Bharti service is not much useful. The public sectur does not get any help from it, Generally, many Hindi programmes are relayed from it and shifting of Vividh Bharti office from Delhi to Bombay will create difficulty for the staft working here. The employes have sent a representation againt this decisioye. I would like to know as to what steps are being taken to remove the difficulties of the staff if this office is shifted to Bombay ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र ने मुख्यतया दो या तीन बातों का स्पष्टीकरण मांगा है। सर्वप्रथम, वर्ष 1958 में विविध भारती के कार्यालय को दिल्ली लाया गया था क्योंकि उस समय विविध भारती के कार्यक्रम प्रायः मुख्य केन्द्रों द्वारा प्रसारित मूल कार्यक्रमों पर आधारित होते थे और क्योंकि इन कार्यक्रमों की लाइब्रेरी दिल्ली में थी, इसलिए हमें इस यूनिट को दिल्ली में लाना पड़ा था और इसे दिल्ली में रखना पड़ा था। उस समय यह एक बहुत छोटा यूनिट था। लेकिन अब कार्यक्रम में परिवर्तन हो गया है। यह कार्यक्रम अब मुख्यतः फिल्म संगीत पर आधारित है और फिल्म संगीत मुख्यतया बम्बई में ही उपलब्ध होता है.........

श्री शशि भूषण : लेकिन उसके रिकार्ड यहां पर भी तो उपलब्ध हैं।

श्री आई० के० गुजराल : लेकिन हमें उनके साथ भी सम्पर्क बनाये रखना होता है।

इससे बड़ी दूसरी कठिनाई स्थान की उपलब्धता के सम्बन्ध में है। बम्बई में हमारे पास अब लगभग 11 स्टूडियो हैं, परन्तु दिल्ली में हमारे पास केवल दो स्टूडियो ही थे और वे स्टूडियो भी अस्थाई बैरकों में थे तथा उनका गिराना अब लाजिमी है। यहां पर और स्टूडियो का निर्माण करने के लिए हम अधिक राशि निवेश करने में असमर्थ हैं इसके अतिरिक्त बम्बई में एक भवन खाली पड़ा हुआ है।

फिर भी विविध भारती में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये, हमने दो निर्णय लिए हैं। एक निर्णय यह है कि सिद्धान्ततः 400 रुपये से कम पाने वाले किसी भी कर्मचारी को बम्बई में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। अतः इस वर्ग में किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है केवल उन आठ कर्मचारियों को छोड़कर जो बम्बई के लिए इसी विशिष्ट शर्त पर भर्ती किये गये थे। अतः उनके द्वारा किए गये करार के अनुसार, उन आठ व्यक्तियों को ही बम्बई जाना पड़ेगा। केवल 47 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है और इन सभी47 कर्मचारियों का स्थानांतरण इस आधार पर किया गया है कि ये कर्मचारी 400 रुपये से अधिक वेतन पा रहे हैं। अन्य कर्मचारियों को यहां के और आस-पास के केन्द्रों में रख लिया गया है, 109 कर्मचारियों में से, लगभग 62 कर्मचारियों को ही स्थानीय केन्द्रों में ले लिया गया है। हम उन कर्मचारियों को भी सहायता देने के लिए तैयार हैं जो किन्ही विशेष परिस्थितियों के कारण वहां नहीं जा सकते हैं। हमारा रवैया अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण है और हम उनकी कठिनाइयों के बारे मे विचार करने को सदैव उत्सुक हैं।

Shri Shashi Bhushan ; Keeping in view the present position, [the people who are drawing more than Rs. 400/- are also not so well off. It creates much difficulty for then to come from Bombay to Delhi and again go to Bombay from here. So it would be better if you increase the limit of Rs. 400. It will be in fitness of things, if you keep this office in Delhi because it is not very proper to shift it from Delhi.

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है।

श्री आई० के० गुजराल : क्या मैं एक बात स्पष्ट कर दूं? आकाशवाणी में सेवा स्थानांतरणीय है। क्योंकि यह एक अखिल भारतीय सेवा है, इसलिये हम यह आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवा में काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी दिल्ली में ही रहेगा। स्थानांतर अवश्यम्भावी हैं, अन्यथा एक अखिल भारतीय संगठन को नहीं चलाया जा सकता है। अतः, मैं आशा करता हूँ कि इन 47 कर्मचारियों का स्थानांतरण सही भावना से समझा जायेगा। उन कर्मचारियों का भी जो विविध भारती में नहीं है, अखिल भारतीय स्थानांतरण किया जा सकता है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या विविध भारती के कार्यालय को दिल्ली से बम्बई इसलिये ले जाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली भारत की राजनीतिक राजधानी है जब कि बम्बई सांस्कृतिक राजधानी है?

श्री आई० के० गुजराल : संस्कृति के कई रूप हैं। संस्कृति के कुछ मामलों में बम्बई में बहुत अच्छी विशेषतायें हैं।

मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी, ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी और जैसप एण्ड कम्पनी द्वारा कच्चे माल की कमी के बारे में शिकायत

*46. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दूसरे हुगली पुल के निर्माण का ठेका प्राप्य करने के बाद भी, भागीरथी ब्रिज कन्सट्रक्शन कम्पनी की तीन मुख्य सदस्य फर्में अर्थात मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी, ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी और जैसप एण्ड कम्पनी कच्चे माल और सहायक पुर्जों की कमी की बराबर शिकायत कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कम श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है, कम क्षमता का उपयोग हो रहा है ओर कार्यकर पूंजी का अभाव है। और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन फर्मों की वास्तविक वित्तीय स्थिति और कार्य की स्थिति की जाँच की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) दूसरा हुगली पुल बनाने का ठेका मे० भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया है। इस कार्य के लिए कुल 12,000 मी० टन इस्पात निर्मित किया जायेगा। प्रत्येक सदस्य फर्म अर्थात ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी, बर्न ऐण्ड कम्पनी और जेसफ एन्ड कम्पनी को आवंटित किया जाने वाला संरचनात्मक कार्य इन कम्पनियों में संरचना निर्माण के लिए उपलब्ध कुल क्षमता की तुलना में अपेक्षा कृत कम होगा। इसके साथ-साथ यह निर्माण कार्य 1974 के मध्य में प्रारम्भ करना निश्चित किया गया है। अत: जहां तक ढांचा बनाने में काम आने वाले इस्पात के निर्माण का प्रश्न है इस पुल के ठेके से इन कम्पनियों की पूरी क्षमता या पर्याप्त क्षमता इसमें नहीं लगेगी। जहां तक इन कम्पनियों की मालगाड़ी के डिब्बे और अन्य उत्पादों की निर्माण क्षमता का प्रश्न है, उसका जितना कार्यभार इस समय पड़ेगा वह संतोषजनक समझा जा सकता है किन्तु कम्पनियों को निर्धारित समय पर आर्डर को पूरा करने के लिए उसके उपयुक्त इस्पात और पुर्जों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) जेसफ एण्ड कम्पनी में सरकार की अधिकांश पूंजी लगी है और ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी का प्रबन्ध सरकार ने मार्च, 1971 में अपने अधिकार में ले लिया था इसलिए इन कंपनियों की वास्तविक वित्तीय और कार्य संचालन संबंधी स्थितियों की सरकार द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है। जहाँ तक बर्न एण्ड कम्पनी का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में इसके असंतोषजनक कार्य से संबंधित तथ्य भारत सरकार की जानकारी में लाये हैं और सुझाव दिया है कि समुचित सुधारात्मक कार्यवाही की जाये। मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न यह नहीं था कि हुगली पुल के निर्माण कार्य का ठेका प्राप्त करने के बाद इन तीनों फर्मों का पूरी तरह से उपयोग होता रहना चाहिए। मेरा आशय यह था कि अन्य आर्डरों के अतिरिक्त जो करोड़ों रुपये के हैं इसका ठेका प्राप्त करने के बाद भी वहां पर इस तरह की स्थिति है। विवरण को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें

इस बात का पता है कि इन कम्पनियों में से दो कम्पनियों, जैसफ और ब्रैथवेट जो देश में भवन आदि के निर्माण कार्य में सबसे बड़ी हैं, और जो वास्तव में इस समय सरकार के प्रबन्ध के अधीन हैं, की स्थिति इतनी बुरी है कि जैसफ के एक प्रवक्ता ने दो दिन पूर्व संवाददाताओं को बताया था—

मैं **अमृत बाजार पत्रिका** से उद्धृत कर रहा हूँ—

"कम्पनी की परिसम्पतियां बहुत कम हैं और न उसके पास आरक्षित निधि हैं। कंपनी की हानियां ऋण लेकर पूरी की जाती हैं। कम्पनी के पास आधुनिकीकरण हेतु कोई धन नहीं है जबकि इसकी मूल्य ह्रास निधि मुश्किल से पुर्जों के अदल बदल के लिए प्रयुक्त होती है। इस्पात, जो उपभोक्ता लाइसेंसों पर आयात किया गया था, अप्रयुक्त पड़ा हुआ है।"

मेरा यह विचार है कि ब्रैथवेट में भी स्थिति इतनी ही बुरी है। इन सब बातों को देखते हुए कि करोड़ों रुपये का सरकारी धन खतरे में है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के कारणों की जाँच करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने और उन कारणों को दूर करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, जैसप और ब्रैथवेट ये दोनों कम्पनियां ही सरकार के प्रबन्ध के अधीन हैं। मुख्य कठिनाई यह है कि जब ये दोनों फर्में गैर-सरकारी प्रबन्धकों के अधीन थीं, तो इनका प्रबन्ध समुचित ढंग से नहीं किया गया था। इन फर्मों की आधुनिकीकरण प्रक्रिया नहीं हुई है। अतः, हमें इन फर्मों का केवल आधुनिकीकरण ही नहीं करना है अपितु उत्पादन का विविधीकरण भी करना है क्योंकि इनकी उत्पादन पद्धति इस प्रकार की थी कि यह वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती और मैं कह सकता हूँ कि इन फर्मों का उत्पादन पिछली सदी की आवश्यकताओं पर आधारित था। अतः, विविधीकरण करना पड़ेगा। इन फर्मों में करोड़ों रुपयों की राशि का हम निवेश कर रहे हैं। इसी के साथ हमें कुछ श्रमिक समस्याओं के बारे में भी पता चला है। जब तक इन समस्याओं का ठीक प्रकार से हल नहीं हो जाता, तब तक पूंजी निवेश करने का कोई लाभ नहीं है। उस बारे में, माननीय सदस्य औद्योगिक संबंधों को सामान्य बनाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। जहां तक हमारा संबंध है, श्रमिकों की सभी वैध मांगों पर हम विचार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए और औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे होने चाहिए। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि इन दो फर्मों को नई गतिशीलता देने के लिए हम सभी सम्भव कदम उठायेंगे क्योंकि ये भारत की इंजीनियरिंग कम्पनियों में सबसे बड़ी हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ; फिर भी जहां तक तीसरी कम्पनी, बर्न एण्ड कम्पनी, का सम्बन्ध है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक ऐसी कम्पनी है जो इसी समूह की है और जिसके भूतपूर्व मैनेजिंग एजेंट मार्टन बर्न थे और अब मार्टन बर्न अपने को उनके सेक्रेटरीज कहते हैं, और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने हाल ही में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी को अपने अधिकार में ले लिया है और ऐसा करने का एक आधार वित्तीय कुप्रबन्ध है, क्या सरकार का विचार बर्न के कार्यों की भी जांच करने का है क्योंकि वह अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से मजूरी और वेतन देने में असमर्थ

रही है ? उसकी ऐसी स्थिति पिछले कुछ महीनों से हुई है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि जैसा इस विवरण में कहा गया है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के ध्यान में कौन सी ऐसी बातें लाई गयी हैं और सरकार का विचार किस प्रकार की जांच करने और सुधारात्मक कार्यवाही करने का है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : उत्पादन, श्रमिक संकट और किसी सीमा तक वित्तीय कुप्रबन्ध के कारण वहां पर भी कठिनाइयां हैं। अतः हम इस पर विचार कर रहे हैं और यदि कोई कार्यवाही करने की जरूरत पड़ी तो हम निश्चय ही उस कार्यवाही को करने में नहीं हिचकिचायेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बर्न एन्ड कम्पनी का प्रबन्ध भी अपने अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हम इस पर विचार कर रहे हैं। हम इसका प्रबन्ध, बिना किन्हीं आधारों के, अपने अधिकार में लेने के लिए तैयार नहीं हैं, अतः मामला विचाराधीन है और सभी तथ्यों के सरकार को उपलब्ध होने पर ही हम इस पर निर्णय लेने में समर्थ हो सकेंगे।

श्री हरि किशोर सिंह : माननीय मंत्री ने बताया है कि जैसप और ब्रैथवेट, इन दो कम्पनियों के कार्यकरण में कुछ गतिशीलता लाई गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इन कम्पनियों को अपने अधिकार में कब लिया था और माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख की गई गतिविधियों में विविधता लाने के लिए इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य जैसफ कम्पनी की कार्य स्थिति को जानते हैं। वास्तव में, यदि मुझे ठीक स्मरण है तो यह कम्पनी वर्ष 1958 में अधिकार में ली गई थी और तब से बहुत सी कार्यवाही की गई हैं। यदि उत्पादन के आँकड़ों पर विचार किया जाये तो माननीय सदस्य को पता चलेगा कि इसमें पर्याप्त सुधार हुआ है यद्यपि उस अवधि में श्रमिक संकट और अन्य इसी तरह की बातों से पश्चिम बंगाल को गड़बड़ी का सामना करना पड़ा है, उसके कारण एकमात्र जैसफ का ही नहीं अपितु अन्य कम्पनियों का भी उत्पादन कम हुआ है। लेकिन इसमें पर्याप्त विविधता लाई गई है और इसलिए हम आशा करते हैं कि जैसफ कम्पनी का भविष्य काफी उज्जवल है। ब्रैथवेट कम्पनी को सरकार ने लगभग एक वर्ष पूर्व अपने अधिकार में लिया है और इसमें भी विविधता लाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय हमें स्पष्ट रूप से यह बतायेंगे कि पूर्णतया सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ई० पी० आई० को ठेका देने में अधिमानता बरतने के बजाय सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र संयुक्त क्षेत्र में मैसर्स भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कं० को यह ठेका दिए जाने के स्पष्ट कारण क्या हैं ? दूसरे, अपने वक्तव्य में आपने बताया है कि जहां तक बर्न एन्ड कम्पनी का संबंध है, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में इस कम्पनी के असंतोषजनक कार्यकरण की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया है और उचित उपचारात्मक कार्यवाही करने का सुझाव दिया है। असन्तोषजनक कार्यकरण की परिस्थितियां क्या हैं ? क्या आप मुख्यता हमें यह बतायेंगे कि बर्न एण्ड कम्पनी के विरुद्ध किन बातों का उल्लेख किया गया है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : उस कम्पनी में उत्पादन में हानि हुई है। उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। वह वित्त सम्बन्धी कठिनाई में हैं। ये सब मामले विचाराधीन हैं। हाल ही में वहां पर उत्पादन बढ़ा है, किन्तु जैसा मैंने पहले बताया यह मामला अब भी सरकार के विचाराधीन है।

हम यह स्पष्ट निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है कि क्या इस कम्पनी को अपने अधिकार में लिया जा सकता है अथवा नहीं। इसमें कुछ समय लगेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न था कि उसे यह ठेका क्यों दिया गया था।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं समझा कि आप केवल दूसरी कम्पनी के बारे में उत्तर चाहते थे क्योंकि बर्न एन्ड कम्पनी भी उसमें हिस्सेदार है। जहाँ तक इसका सम्बन्ध है, मुझे इसके लिए अलग से नोटिस दिया जाना चाहिए। इस सरकार ने उसको यह आदेश नहीं दिये हैं मेरे विचार में वह कोई अलग एजेंसी थी। यदि अलग से प्रश्न किया जायेगा तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा।

नई दिल्ली में जनसंघ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प

+
***47. श्री समर गुह :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 5 जुलाई, 1972 को जनसंघ कार्यालय के समक्ष कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन के परिणामस्वरूप जनसंघ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़पें हुई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या क़दम उठाए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 5 जुलाई, 1972 को कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जो शिमला शिखर वार्ता के सम्बन्ध में जनसंघ के दृष्टिकोण के विरुद्ध रफी मार्ग की पश्चिमी पटरी पर प्रदर्शन कर रहे थे, और जनसंघ के कार्यकर्ताओं के बीच, जो विट्ठल भाई पटेल भवन पर दल के केन्द्रीय कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए थे, झड़पें हुई थीं।

(ख) पुलिस ने पर्याप्त प्रबन्ध कर दिये थे। दोनों दलों के नेताओं से सम्पर्क किया गया था। जबकि जनसंघ के नेताओं ने यह आश्वासन दिया था कि वे अपने कार्यकर्ताओं को विट्ठल भाई पटेल भवन के अहाते के भीतर रखेंगे, कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को रफी मार्ग के सामने की पटरी पर रोकने का निश्चय किया गया। जब झड़पें हुईं तो पुलिस ने तुरन्त कार्यवाही की और अव्यवस्थित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अश्रु गैस का प्रयोग किया गया। पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/186/332 तथा 353 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और कानून के अनुसार जांच पड़ताल की जा रही है।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये प्रदर्शन के कारण हुई झड़पों के परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और क्या विट्ठल भाई पटेल भवन के अहाते के भीतर कुछ अन्य झड़पें भी हुई थीं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार अहाते के भीतर कोई झड़प नहीं हुई।

श्री समर गुह : इस मामले मे एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त की बात है। एक राजनीतिक दल शान्तिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन करता है और इसकी सूचना भी देता है। इस दल की विचार धारा का विरोधी एक अन्य दल भी एक जवाबी प्रदर्शन करता है जो अन्ततोगत्वा हिंसक मुठभेड़ का रूप ले लेता है। क्या मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जनसंघ और कांग्रेस के नेताओं को एक साथ बुलाने का कोई प्रयत्न किया है जिससे भविष्य में यदि एक दल कोई प्रदर्शन करे तो दूसरा दल जवाबी प्रदर्शन करने के लिए उस दल के कार्यालय के सामने न जाए ? यह हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रथा के विरुद्ध है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मेरी यह धारणा थी कि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र का एक आवश्यक अंग है किन्तु मैं यह नहीं जानता कि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन निकलने की अनुमति देना लोकतांत्रिक प्रथा के विरुद्ध होगा। ऐसी शंका उत्पन्न होने पर कि भड़काने वाली अथवा कानून और व्यवस्था की स्थिति बन सकती है तो यह अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे जैसा आवश्यक समझें कार्यवाही करें। इस मामले में अधिकारियों ने जनसंघ और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं से सम्पर्क तो किया था और उन्होंने दोनों दलों से कहा भी था कि उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी तभी उन्होंने इसकी अनुमति देना ठीक समझा था।

Shri Atal Bihari Vajpayee : First of all, they attacked Jantar Mantar, then they attacked Jan Sangh office in Vital Bhai Patal Bhavan. After that they occupied the Office of Congress organisation in Calcultta and attacked the Office of Jan Sangh Party in Calcultta.

Shri P. R. Das Munshi : There is no Office of Jana Sangh Party in Calcutta

Shri Atal Bihrai Vafpayee : What are you Saying ? It is not strange that those in power organise demonstrations before the Offices of opposition parties ? It is a fact that an ultimatum was sent for organising. Such demonstration before the other demonstration was held outside the Office of Jana Singh Party ? It is also a fact that police was well aware of this ? Is it a fact that had police internened in the matter there would have been no necessity of using teargas ? Has the hon. Minister made any attempt to get information from Delhi Administration in this regard and will he ensure that infuture no much clashes *will* take place before the offices of opposition parties ?

Shri K.C. Pant : There wss no attack...

Shri Jyotirmoy Bosu : What is the definition of attack.

Shri K.C. Pant : Shri Bosu can tell that.

Shri Jyotirmoy Bosu : I can tell the definition of attack' in case Mr. Speaker permits me.

Shri K.C. Pant : We had prior information that a demonstration will take place. I have therefore, also stated in my reply that the police contacted the leaders of both Jana Sangh and Congress. Discussions were held with them I have already told the House about the arrangements that were made, and what the leaders of both the parties said the entire epeside is under investigation and therefore, I do not want to give more details. I have received some information but since the matter is under investigation I do not want to go into fact any further.

Shri R.S. Pandey : It is not proper to stage demonsiration either befor the offices of opposition parties or that of Congress party. In this context, is it a fact that Jana-Sangh organised a very big demonstration infront of the Parliament House in the name of 'cow' in which big Sadhus in safron colour roles gathered and there were subversive activities ? Is it not a fact that in the Jana-Sangh rally held recently the workers of other parties were also present and acts of subversion were committed ? May I know as to whether it is not a question of staging peaceful demonstration rather than that of staging demonstration in front of party offices ? Is there any right to peaceful demonstration in a democracy or not ? May I know as to whether before allowing opposition parties to organise demonstration it is investigated that demonstrators should not possess any arms ? May I know whether their motives, and intensions are ascertained and whether they would not resort to acts of sabotage ?

Mr. Speaker : I hope, you do not want to have a reply to your question.

Shri Shyamanandan Mishra : The hon. Minister has next now stated that police had prior informations. If that was the position why the police remained unsuccessful in checking this incident ?

Shri K. C. Pant : The question of checking them does not arise because the police was not susficious of any clash there. The police had talks with the leaders of Jana Sangh and it was decided that the Jana Sangh workers will remain inside the compound. It was decided after discussions with the Congress leaders that their workers will remain on the opposite side of Rafi Marg, that they will not cross the road. Heavy contingent police had been deployed there to check the clash if any. There was arrangement of photography also Photograhs of all the incidents have been taken. They are also being examined therefore when all the facts are ascertained, they will be brought before the House.

Shri Shashi Bhushan : We have always welcomed the Jana Sangh demonstrations Last time, Jana Sangh staged a demonstration infront of Congress party office and we welcomed them by offering them Coca Cola. Our workers expected Coca Cola from them also. I want to know from the hon. Minister whether the police had any information 24 hours before that Congress workers were going to hold a demonstration there and if so how, inspite of all this so many bricks were collected ? Instead of welcoming us with Coca Cola they welcomed us with bricks I went there to pacify the demonstrators and one brick hit me there. I am infavour of the demonstraitons but they should be pieceful and without any provocation the incidence of the burning of the residence of Shri Kamraj should not be repeated again.

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की उपस्थिति के बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय

***48. श्री समर मुखर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की उपस्थिति गैर-कानूनी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय श्री जस्टिस एस० मुखर्जी ने 18-4-1972 को अपने निर्णय में यह नहीं कहा था कि पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की उपस्थिति गैर-कानूनी है। किन्तु उन्होंने यह कहा था कि

विधायी निकाय के रूप में कार्य कर रही संविधान सभा द्वारा अधिनियमित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 194 अधिकारातीत था।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार तथा भारत सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। अपील 25-7-72 को स्वीकार करली गई है और एकल जज के पहले वाले निर्णय को बदल दिया गया है।

श्री समर मुखर्जी : मैं जानता चाहता हूँ कि दोनों निर्णयों में मुख्य अन्तर क्या है। क्या एक निर्णय के अनुसार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को पुलिस के रूप में वर्गीकृत किया गया है और दूसरे निर्णय के अनुसार इसे 'सशस्त्र' सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है? क्या यह सच है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : हमें बाद के निर्णय का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है। बाद के इस निर्णय की एक प्रति माँगी गई है! जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु मुख्य रूप से, ब्यौरे की जांच किए बिना, पहला निर्णय न्यायालय की इस धारणा पर आधारित था कि यह पुलिस बल था और बाद का निर्णय सम्भवतः इस धारणा पर आधारित है कि यह केन्द्र का सशास्त्र बल है।

श्री समर मुखर्जी : बाद के निर्णय को दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का नाम परिवर्तित करेगी और यह घोषणा करेगी कि यह सशस्त्र बल का एक अंग है? क्या मंत्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि पश्चिम बंगाल में इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कुल संख्या कितनी है?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : निर्णय को दृष्टि में रखते हुए इसके नाम में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में अब विचार करना आवश्यक नहीं है।

जहां तक उनके प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, साधारणतया हम अपने सशस्त्र बलों के तैनात किए जाने के बारे में आंकड़ों का ब्यौरा नहीं बताते किन्तु यदि आप ऐसा निदेश दें, तो श्रीमन्, मैं बताने को तैयार हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में विशिष्ट प्रश्न है।

श्री समर मुखर्जी : प्रश्न केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की उपस्थिति के बारे में हैं। मैं यह पूछ रहा हूँ कि वहां उपस्थित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की संख्या कितनी है।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न विशिष्ट रूप से उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में है। यदि आप अलग से प्रश्न का नोटिस दें तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय इसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि कुछ मंत्री मेरे कहने से पहले ही उत्तर देने के लिए प्रस्तुत रहते है किन्तु श्री पन्त जी उनमें से नहीं हैं।

श्री प्रियरंजनदास मुन्शी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को पश्चिम बंगाल में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए भेजा गया था और क्या गत दो वर्षों में साम्यवादी दल (मार्क्सिस्ट) के नेताओं की जान बचाने और साम्यवादी दल (मार्क्सिस्ट) की राजनीतिक बैठकों में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सहायता का उपयोग किया गया था?

अध्यक्ष महोदय : इस बात का प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

पार्सलों के लिए भिन्न-भिन्न डाक दरें

***49. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पार्सलों के लिए भिन्न-भिन्न डाक दरें लागू करने का विचार कर रही है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : May I know from the hon. Minister whether Department had received any suggestion from the Government that the Postal rates of parcels should be fined on the basis of distance ? In other countries also the postal rates of parcel are changed according to distance. In our country the rates of telephones have been fined on the basis of distance.

Shri Jagannath Pahadia : No such suggestion has been received by us so far.

Shri Sukhdeo Verma : Is there any proposal with the Government to fixe postal rates of parcels according to distance in this country how as also as has been fixed in respect of telephones in our country and in respect of parcels in foreign countries ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : जी नहीं श्रीमान जी ।

अमरीकी अन्तरिक्ष भू-संसाधन उपग्रह द्वारा भारत के संसाधनों का सर्वेक्षण

***50. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी अन्तरिक्ष-भू संसाधन उपग्रह द्वारा भारत के संसाधनों का सर्वोच्च सर्वेक्षण कराने के लिए परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभाग अमरीकी प्राधिकारियों से सहयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसमें भारत का भाग किसी सीमा तक होगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क)तथा(ख). रिमोट सेंसिंग की विधि अपना कर उपग्रह की सहायता से पृथ्वी के भंडारों का सर्वेक्षण करने में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन की अभिरुचि है तथा उसने संयुक्त राज्य अमरीका की नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस ऐजेन्सी, जिसने 23 जुलाई, 1972 को पृथ्वी के भंडारों का पता लगाने वाला एक उपग्रह छोड़ा है, से विचार विमर्श भी किया है। नासा परियोजना में भारत के भाग लेने के प्रश्न का अध्ययन सभी पहलुओं से किया जा रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : अपने उत्तर के अन्त में मंत्री महोदय ने कहा है :

"नासा परियोजना में भारत के भाग लेने के प्रश्न का अध्ययन सभी पहलुओं से किया जा रहा है"

कौन इनका अध्ययन कर रहा है ? क्या कोई समिति स्थापित की गई है ? यदि हाँ, तो उस समिति के निदेश पद क्या हैं और उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया था। उसके सदस्यों के नाम हैं : प्रो० पिशारोकेटी संयोजक, लेफ्टिनैंट जनरल एच० अग्रवाल, डा० हरिहरण, डा० कंवर, डा० पणिक्कर, डा० कुरेशी, डा० राघव राव, प्रो० रामनाथन्, डा० श्रीनिवासन और डा० सुब्राह्मण्यम।

श्री एस० सी० सामन्त : अमरीका ने 23 जुलाई, 1972 को पृथ्वी के भंडारों का पता लगाने वाला एक उपग्रह छोड़ा था। क्या हम उस उपग्रह के परिणामों की प्रतीक्षा करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मैंने मूल उत्तर में बताया है, उपग्रह 23 जुलाई को छोड़ा गया था। उस कार्यक्रम में सहयोग देने का मामला विचाराधीन रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ चित्र अमरीका से प्राप्त होते हैं। बदले में हमें कुछ आंकड़े देने पड़ते हैं। अमरीका के 'नासा' से एक करार प्राप्त हुआ है। इस बात पर विचार हो रहा है कि क्या मसौदे के प्रारूप को स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं। मामला इस समय इस स्थिति पर है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : सिद्धांत रूप से ऐसे संगठनों के साथ सहयोग करने के लिये सहमत होते हुए भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी ही शक्तियों के स्थान पर जिनका हमारे देश के साथ व्यवहार भिन्न आधारों पर निर्भर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत आने वाला कुछ संगठनों के साथ सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे भली भाँति विदित है कि वह किन संगठनो की ओर संकेत कर रहे हैं। अमरीका का 'नासा' उपग्रह कार्यक्रम मुख्यरूप से अमरीका के अपने आंतरिक उपयोग के लिये है। उसके अपने विभाग, यथा कृषि विभाग, प्राकृतिक स्रोत विभाग आदि इस कार्यकम में रुचि रखते हैं। यह नया कार्यक्रम हैं। अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह एक नई बात है। और वे इस कार्यक्रम से अपने साधन, स्रोतों के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद रखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भी अप्रैल, 1970 में भारत तथा इसके पड़ौस के समुद्र के चित्रों के लिए प्रार्थना की हैं ताकि हम उनसे लाभ उठा सकें। परन्तु उसके पश्चात् जैसा कि मैंने बताया है, यह करार सामने आया है और इस पर अभी विचार हो रहा है। जब तक इसका अध्ययन न कर लिया जाये और अन्तिम निर्णय न ले लिया जाय मैं यह नहीं बता सकता कि हम क्या करना चाहते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उक्त उपग्रह को अमरीका द्वारा छोड़ा जाना है। क्या आप इस करार में निहित सुरक्षा का अध्ययन कर रहे हैं कि इस उपग्रह में कोई महत्वपूर्ण सैनिक महत्व का कोई जासूसी उपकरण नहीं होगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : करार में निस्संदेह सुरक्षा के पहलू पर भी ध्यान दिया जायेगा।

Prices of Cars after Supreme Court's Judgement

***51. Shri Dhan Shah Pradhan:**
Dr. H. P. Sharma:

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Government have announced new prices of cars in pursuance of the recent judgement of Supreme Court; and

(b) if so, the new prices thereof and the reasons for increase in prices ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad)

(a) & (b) : A statement is laid on the Table of the House·

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) The new ex-factory retail selling prices of the three make of cars effective from 1-7-1972 are as under :

Ambassador	.. Rs. 16,898/—
Fiat 1100-D or Premier President	.. Rs. 16,117/—
Standard Herald	.. Rs. 16,539/—

while there has been an increasse of Rs. 171/—in the price of the Premier President (formerly known as Fiat 1100E-), there has been a decrease of Rs. 48/—in the price of the Ambassador and no change in the price of the Standard Herald. The ressons for the increase in the price of the Premier President are incieases in the prices of components and raw materials, rise in the labour costs and increase in Government levies.

Shri Dhan Shah Pradhan : Was an estimated made at the time of taking the decision as to what would be its cost and whether any cost analysis was done ?

(b) While determining the price, what profit has been allowed to the producers ?

(c) Whether at the time of determining the price, the percentage received by the foreign collaborators has been taken into account ?

(d) ... ...

Mr. Speaker : He should ask a straight question.

Shri Sidheshwar Prasad : The various questions asked by the hon. Member relate to the basis for the determination of prices of motion vehicles. The House is aware that the Supreme Court had given a verdict on car prices laying down certain principles or the prices have been fixed in accordance with these principles.

Shri Dhan Shan Pradhan : When is the small and cheap car for use by the common man likely to be made available ?

Shri Sidheshwar Prasad : Sir. it has already been stated that the government is not considering the question of manufachring small car.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Why has then a licence been giving ?

डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लागत तथा उचित मूल्य पर औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों द्वारा विचार किया गया है, और यदि हां, तो क्या सरकार समझती है कि सही मूल्यांकन हुआ है और यदि नहीं, तो क्या उक्त ब्यूरों अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका अध्ययन कराया जाएगा ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मूल्यों का अध्ययन औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा नहीं किया गया है अपितु टेरिफ आयोग द्वारा किया गया है। तदनुसार हमने मूल्यों के सम्बन्ध

अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के पश्चात् कार निर्माता मामले को न्यायालय में ले गये और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात, सरकार ने मूल्य न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार तय किये हैं।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, आप दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : मैं जो स्पष्टीकरण चाहता हूं, उसका सारे सदन से सम्बन्ध है। गुण की बार-बार चर्चा की गई है। क्या उचित मूल्यों के निर्धारण में सरकार गाड़ी के गुण को संगठन आधार मानती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह नियमित प्रश्न है, न कि स्पष्टीकरण।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : गुण संगत तथ्य है। जैसा कि मैंने भली प्रकार स्पष्ट कर दिया है, यह मूल्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर निर्धारित किये गये हैं। तो भी, हमने कार निर्माताओं को यह स्पष्ट बता दिया है कि उन्हें कारों के गुणों में सुधार करना चाहिए।

Dr. Kailas : Will the hon. Minister please state whether before and after judgment of the Supreme Court, the guarantee was two years whereas now it has been reduced to one year ? How did the Government agree to one year guarantee would the Government ask the manufacturers that the guarantee will be for two years ?

Mr. Speaker : This is a suggestion.

Shri Siddheshwer Prasad : This is a suggestion.

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister has just said that in the last session be stated that there was no intention to manufacture the small car......

Shri Atal Behari Vajpayee : Just now, he has stated that there is no intentions to manufacture small car and he is nodding his affirmation also. A licence for the manufacture of small car together with 300 acres of land has been given to the able Engineer of the Prime Minister.

Mr. Speaker : Do you have no other work. You should think a bit. I am not going to allow it.

Shri Hukam Chand Kachwai : Please listen to what I have to say.

Mr. Speaker : How do the side-treck the main issue and come to other things ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : **

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नही है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय :**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसे ही चलते रहे तो मुझे आपको सदन से बाहर जाने को कहना पड़ेगा।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, please do not get angry. Listen to me, just now a suplementry was asked about small cars......

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि आप भी उनका समर्थन कर रहें हैं। यहां मुख्य प्रश्न कारों के मूल्यों के बारे में है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने एक अनुपूरक प्रश्न की अनुमति दी थी जिसका मंत्री महोदय ने भी उत्तर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने छोटी कार के बारे में एक अनुपूरक प्रश्न की अनुमति क्यों दी ? इसका मंत्री महोदय द्वारा उत्तर भी दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Please see the records.

Mr. Speaker : I won't dothat.

Shri Hukam Chand Kachwai : It is an record.

Mr. Speaker : Please be quiet. At least maintain some decorum.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मंत्री महोदय ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये थे। अब मेरा प्रश्न है : क्या उन सिद्धान्तों को छोड़ कर कुछ और सिद्धान्त नहीं रखे जा सकते, अर्थात यदि कारें विशिष्ट विवरणों के अनुसार विशेष गुणों से युक्त और अपेक्षित कच्चे माल से तैयार नहीं की जाती, तब क्या सरकार कारों का मूल्य पुनः निर्धारित करेगी अथवा क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के सिद्धान्तों से बंधी रहेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : निर्णय दिये जाने के बाद गुणों में यदि गिरावट आती है, तो निश्चय ही उस पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह और बिगड़ गई है।

पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख महिला संगठन के प्रतिनिधि मंडल की प्रधान मंत्री के साथ बातचीत

*52. **श्री दीनेन भट्टाचार्य ।** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कए प्रमुख महिला संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल 29 मई, 1972 को प्रधान मंत्री से मिला था;

(ख) क्या प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें प्रधान मंत्री से अनुरोध किया गया था कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं के जीवन और सम्मान की रक्षा से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पश्चिम बंग गणतांत्रिक महिला समिति, कलकत्ता और महिला सांस्कृतिक संघ, पश्चिम बंगाल का एक शिष्ट मंडल 29 मई को प्रधान मंत्री से मिला था।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान्। शिष्टमंडल द्वारा प्रस्तुत किये गये दो ज्ञापनों में पश्चिम बंगाल में विधि और व्यवस्था के संबंध में विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख था। ज्ञापन की प्रति लिपियां उचित कार्रवाही हेतु राज्य सरकार को भेज दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हो रहा है अतएवं आप अपने अनुपूरक प्रश्न शीघ्र पूछिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि जिन मामलों का महिला शिष्टमंडल ने उल्लेख किया है उस पर कोई कार्यवाही की गई है अथवा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रधान मंत्री को यह सूचना दी गई हैं कि उक्त सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जी हां, कई मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं और अभियोग चलाये जा रहें हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्रीमान जी, एक बात है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक महिला का जिसका नाम* है, कांग्रेसी गुण्डों ने उपहरण किया है...। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं इसे चुनौती देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जब तक मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते मैं नहीं बैठूगा...। **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : जब कि रिकार्ड में कोई बात नहीं है, मैं किसी के नामोल्लेख की अनुमति नहीं दूंगा। एक महिला के बलात्कार के मामले को कार्यवाही-वृत्तान्त में नहीं लिया जायेगा...। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं इसे सभा पटल पर रखना चाहता हूं... (अन्तर्बाधाएं)

श्री ज्योतिर्मय बसु : सोनरापुर के कांग्रेसी नेता श्री गण दास गुप्त......

श्री दीनेन भट्टाचार्य : एक *

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मैं असंगत बात कर रहा हूं। (अन्तर्बाधाएं) आपको मुझे अवश्य अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया किसी का नामोल्लेख न करें। आप कह सकते हैं, एक महिला।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कृपया प्रधान मंत्री को उत्तर देने दें। ज्ञापन में यह दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में नहीं लिया जायेगा। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : ठीक है। सोनारपुर में एक महिला का गणदास गुप्त द्वारा बलात्कार किया गया ··· **(अन्तर्बाधाएं)**

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* Not recorded

श्री दीनेन भट्टाचार्य : प्रधान मंत्री महिला हैं और यदि वह सच्ची हैं तो उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि वह महिला उस शिष्ट मंडल में उपस्थित थी और उसने यह घटना सुनाई थी जिसे कि प्रधान मंत्री ने नोट किया था और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। अत: प्रधान मंत्री को इस मामले में कुछ कहना चाहिये।

Mr. Speaker. If you mention the name of a lady like this in Parliament, it would be known everywhere. Tomorrow, any body may write a letter mentioning her name and say something sume where mentionting your name, the career of that lady would be fineshed. So you should think before you, speak.

श्री दशरथ देव : प्रश्न प्रधान मंत्री को दिये गये ज्ञापन के बारे में है। ज्ञापन में नाम दिया गया है - इसलिए यह संगत है।

Mr. Speaker. Menticning name in the Mamorendom does not spread, it through out India. But if you mention the name here, it would each every where. It may be right, it may be wrong; no body knows. Some body has written a letter to the Minister and you stand up here and speak. It is not proper. It is an abuse of your right as Member. Please don't do it. I am not allowing any more questions.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: : मुझे चुनौती मत दें। बैठ जाइये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आपने हमारे साथ न्याय नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है कि मैंने न्याय किया है अथवा नहीं।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे · महिला का नाम कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय . इसे कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिया जायेगा। नाम का उल्लेख न करते हुए, 'एक महिला' ही उल्लेख किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

Grant of Pension to Freedom Fighters

***41. Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of freedom fighthers who have applied for grant of persion, State wise; and

(b) the number of these freedom fighters, State-wise, who will be granted persion by Government with effect from 15th August next and the expenditure proposed to be incurred by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a). A statement showing the number of freedom fighters who have applied for grant of pension State-wise as on 28. 7. 72 is placed on the Table of the House.

(b) All freedom fighters who apply before the 15th August, 1972 and are eligible under the scheme will be granted pension with effect from 15th August' 1972. The expendi-

ture propose to be incurred cannot be estimated witn any degree of accuracy as it will depend on the number of persons found eligible and sanctioned pension. However, a provision of Rs. 2 crores has been made in the Budget for the year 1972-73. The question of providing additional funds will be considered in due course if necessary.

Statement of applications received State-wise
(as on 28. 7. 1972)

1.	Assam	2422
2.	Bihar	8416
3.	Gujarat	2691
4.	Haryana	1343
5	J. & K.	347
6.	Madhya Pradesh	2517
7.	Maharashtra	8160
8.	Orissa	1959
9.	Punjab	5416
10.	Pondicherry	60
11.	Rajasthan	591
12.	Uttar Pradesh	8741
13.	West Bengal	7135
14.	Delhi	623
15.	Goa	803
16.	Manipur	53
17.	Chandigarh	17
18.	Himachal Pradesh	450
19.	Tripura	636
20.	Andaman	15
21.	Meghalaya	15
22,	Mizoram	1
23.	Kerala	1507
24.	Andhra Pradesh	5334
25.	Mysore	3050
26.	Tamil Nadu	3782
	Total	66084

कानपुर में टेलीविजन केन्द्र

*45. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री कानपुर में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना के बारे में 5 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1991 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : कानपुर में टेलीविजन रिले केन्द्र के लिए स्थान अधिग्रहण कर लिया गया है। सिविल कार्यों के लिए प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं और उनकी जांच की जा रही है। टावर लगाने के लिए इंडैन्ट भेज

दिया गया है। ट्रांसमीटर, एंटेना एवं सहायक उपकरणों तथा आयात किये जाने वाले उपकरणों के लिए आर्डर दे दिये गये है।

गृह मन्त्रालय में राजनैतिक प्रभाग का कार्यकरण

***53. श्री जे० एम० गोडर** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के राजनैतिक प्रभाग के कार्यकरण के बारे में प्रबन्ध सलाहकार सेवा द्वारा किए गए अध्ययन को क्रियान्वित करना आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मंत्रालय के राजनैतिक प्रभाग में क्या क्या संगठनात्मक परिवर्तन किये गये हैं; और

(ग) रिकार्ड के कुशल प्रबन्ध हेतु क्या-क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). गृह मन्त्रालय के प्रशासनिक सुधार विभाग ने गृह मंत्रालय के राजनीतिक प्रभाग का एक अध्ययन किया था। उन्होंने अधिकारी अभिमुख प्रणाली प्रारम्भ करने की सिफारिश की। एक पूरक अध्ययन में, अभिलेखों के अनुरक्षण तथा सुधार के लिए वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने की भी सिफारिश की गई थी। सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, राष्ट्रीय एकता तथा उत्तर-पूर्वी भारत से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करने के लिए गृह मन्त्रालय में पृथक प्रभागों का गठन किया गया है और वे कई विषय जो अब तक राजनीतिक प्रभाग सम्भाले हुए था इन नए प्रभागों को हस्तांतरित कर दिये गये थे। इस प्रकार प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पहले की गई सिफारिशों का पुनरीक्षण करना अनिवार्य हो गया था और अब पुनरीक्षण आरम्भ किया गया है।

बंगला देश में हथियारों का चोरी छिपे लाया जाना और पश्चिम बंगाल तथा बिहार में बेचा जाना

***54. श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बंगला देश से चोरी छिपे लाये जाने वाले हथियार और गोला बारूद पश्चिम बंगाल तथा बिहार में खुले आम बेचे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बंगला देश पश्चिम बंगाल सीमा पार से भारत में चोरी छिपे हथियार व गोला बारूद लाये जाने की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ख) बंगला देश से शस्त्रों की तस्करी रोकने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। बंगला देश के स्वतन्त्र होने के बाद से सीमा सुरक्षा की बाह्य चौकियों ने सामान्य रूप से कार्य करना आरम्भ कर दिया है और सीमा पार जाने के लिए इन्हीं बाह्य चौकियों से होकर जाना होता है। सीमा सुरक्षा बल तथा राज्य पुलिस बल को अनधिकृत व्यक्तियों के आने जाने पर कड़ी नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया है। शस्त्र तथा गोला-बारूद की चोरी-छिपे बिक्री पर राज्य पुलिस

द्वारा पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है ताकि पूर्ति के स्त्रोतों तथा ले जाने वालों का पता लगाया जा सके और उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जा सके ।

1 जून, 1972 को सिलीगुड़ी टेलीफोन एक्सचेंज में गतिरोध

***55. श्री दशरथ देव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1 जून, 1972 को सिलीगुड़ी टेलीफोन एक्सचेंज में पूर्ण गतिरोध हो गया था और काम बन्द हो गया था,

(ख) क्या उसी दिन एक्सचेंज के भीतर से सिलीगुड़ी स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के एक मजदूर संघ नेता को गिरफ्तार किया गया था, और

(ग) यदि हां, तो टेलीफोन और तार कार्यालयों के अन्दर कर्मचारियों की हिफाजत और सुरक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोआ प्रशासन में पुर्तगाली एजेन्ट

***56. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ प्रशासन में बहुत से पुर्तगाली एजेन्ट सेवारत हैं और यदि हाँ, तो क्या स्थानीय पुलिस की सहायता से केन्द्रीय एजेन्सी ने उन एजेन्टों की एक सूची तैयार की है,

(ख) क्या केन्द्रीय एजेन्सी और स्थानीय पुलिस ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में गोआ सरकार की सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) गोवा प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

"डायामेन्ट बी० सी० सेटेलाईट लांचर के विकास के लिए फ्रांस की भारत को सहायता देने के लिए अनिच्छा

***57. श्री के० लकप्पा** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "डायमेन्ट बी० सी० सेटेलाईट लांचर" का विकास करने में भारत की सहायता करने के लिये फ्रांस सहमत नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और हमारे अन्तरिक्ष सम्बन्धी कार्यक्रम पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) फ्रांस सरकार ने डायमेन्ट बी० सी० सेटेलाइट लांचर का विकास बन्द कर दिया है ।

(ख) फ्रांस सरकार के इस निर्णय से भारत के अन्तरिक्ष कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

24 जून 1972 के ब्लिट्ज में 'इज माई लाई इन महाराष्ट्र' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

*58. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1972 के ब्लिट्ज में (अन्तिम पृष्ठ पर) 'इज माई लाई इन महाराष्ट्र' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार की यह नीति रही है कि प्रशासन को समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण चिन्तक होना चाहिए, विशेषकर जहां पर एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है जिसमें ऐसे कमजोर वर्गों के व्यक्ति शिकार होते हैं। हरिजनों पर किये गये अत्याचारों की तुरन्त तथा कारगर जांच-पड़ताल सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निदेश दिये गये हैं और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस सम्बन्ध में की गई किसी गलती को संबंधित अधिकारी की एक बड़ी कर्तव्य-अवहेलना समझा जायगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों से होने वाली हानि

*59. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घरों के खोलने से डाक और तार विभाग को प्रति वर्ष 90 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ती है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) डाक-तार विभाग प्रायोगिक डाकघर खोलने और उन्हे बनाए रखने पर प्रति वर्ष औसतन लगभग 67 लाख रुपये का घाटा उठा रहा है ।

(ख) स्वतंत्रता के बाद ग्रीमीण जनता के लिए बुनियादी और प्राथमिक संचार सुविधायें देने का लक्ष्य बनाया गया है। इसकी पूर्ति के लिए सरकार देहाती क्षेत्रों में डाक सेवायें आरम्भ करने के मामले में बड़ी उदार नीति पर चल रही है ।

ऊपर (क) में जिस घाटे का उल्लेख किया गया है, वह इसी नीति का सीधा परिणाम है ।

Poverty in Bihar

*60 **Shri M. S. Purty** : will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Bihar has admitted that 50 lakh people of Bihar State are living a life below the poverty line;

(b) if so, whether Central Government have recommended to the Bihar Government some special schemes in this regard; and

(c) whether funds have also been sanctioned therefor and, if so, the amounts provided ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Accrding to information received from the State Government, no such statement has been made by the Bihar Chief Minister.

(b) & (c) : A statement is laid on the Table of the House indicating the special measures undertaken for eradicating poverty in the State of Bihar. (Placed in the Library. See No. L. T. 3222/72)

देश में शराब की तस्करी तथा बिक्री

401. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में घातक शराब की बिक्री तथा तस्करी रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में कौन से कदम उठाये गये हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

शराब पीकर गाड़ी चला रहे ड्राईवरों का पता लगाने के लिये भारतीय यातायात पुलिस को एक संयंत्र प्रदान करने की व्यवस्था

402. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बड़े शहरों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों का पता लगाने हेतु एक निश्चित अभियान आरम्भ करने के लिये भारतीय यातायात पुलिस को अलकोहल मीटर नामक एक नया यंत्र प्रदान करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिमला के आकाशवाणी प्रसारणों में त्रुटियां

403. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला के हिमाचल कलाकार मंडल ने शिमला से प्रसारित होने वाले आकाशवाणी कार्यक्रमों में त्रुटियों की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले कार्य-क्रमों में त्रुटियों के बारे में हिमाचल कलाकार मण्डल से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

ला-पता तार-मनीआर्डर

404. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 जून, 1972 के ब्लिट्ज में 'नो ट्रेस आफ टी० एम० ओ० शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ।

(ख) क्या तार-मनीआर्डर भेजने में विलम्ब के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है,

(ग) क्या राशि का भुगतान कर दिया गया है, और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस रकम का पाने वाले को भुगतान कर दिया गया है ।

(घ) इस तार मनीआर्डर की सूचना पारेषण के दौरान ही गुम हो गई थी । इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है ।

बल्लभगढ़ में टेलीफोनों का खराब रहना

405. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्लभगढ़ एक्सचेंज के अन्तर्गत आने वाले टेलीफोन अक्सर खराब रहते हैं और इस कारण इस एक्सचेंज के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र के उन व्यक्तियों को बहुत असुविधा होती है जिनके यहां टेलीफोन लगे हैं,

(ख) यदि हां, इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है, और

(ग) इस एक्सचेंज के अन्तर्गत आने वाली लाइनों को फरीदाबाद एक्सचेंज को स्थानान्तरित करने में डाक तथा तार विभाग के सम्मुख कौन सी कठिनाइयाँ हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं । बल्लभगढ़ एक्सचेंज में खराबी की घटनाएं सामान्य से अधिक नहीं हैं और जब भी कोई खराबी होती है तो उसे तुरन्त ठीक किया जाता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आटा पीसने वाली मशीनें बनाने वाली फर्में

406. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्यौगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कौन-कौन सी फर्में आटा पीसने की मशीनों के निर्माण कार्य में लगी हुई हैं तथा उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक को मशीनों के हिस्से तथा पुर्जे आयात करने के लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) देश में आटा पीसने वाली मशीनों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) संगठित क्षेत्र में रौलर फ्लोर मिल मशीन बनाने वाला कोई एकक नहीं है। रौलर फ्लोर मिल मशीन बनाने के लिये एक एकक को 1967 में एक आशयपत्र जारी किया गया है लेकिन अभी तक योजना को कार्यन्वित नहीं किया जा सका है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नई क्षमता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नवम्बर, 1971 में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है जिसमें इस क्षेत्र में क्षमता स्थापित करने के लिये उद्यमियों से आवेदन मांगे गए हैं। प्रेस नोट के उत्तर में प्रतिवर्ष 299 लाख की कुल क्षमता के लिए 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं और ये आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग में कार्य कर रहे अधीक्षकों को स्थायी घोषित करना

407. श्री के० सूर्यनारायण : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग के बहुत से अधीक्षक, जिन्होंने इस वर्ष या इससे अधिक वर्ष सेवा पूरी कर ली है, अभी तक अस्थायी या स्थानापन्न है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें स्थायी बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) 1 अगस्त, 1972 तक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन क्षेत्रीय कार्य संचालन प्रभाग के जिन 58 अधिकारियों ने अस्थायी या स्थानापन्न अधीक्षकों के तौर पर, जिनमें सहायक निदेशक का अगला उच्चतर पद भी सम्मिलित है, दस वर्षों से अधिक सेवा की है, उन 22 अधिकारी सांख्यकीय अन्वेषक के पद पर स्थायी है और शेष अधिकारी निम्न श्रेणी के पदों पर।

(ग) अधीक्षकों के उपलब्ध स्थायी पदों पर पात्र अधिकारियों के स्थायीकरण के लिए सम्बन्धित अन्य अभिकरणों के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली दमकल सेवा प्रधिकारियों की समीपवर्ती राज्यों में आग बुझाने के निर्देश

408. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोहन नगर, गजियाबाद तथा हरियाणा के गाँव बसन्तपुर में भी जहां जून, 1972 में जापान एयर लाइन्स का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जब दिल्ली दमकल सेवा के प्राधिकारियों को बुलाया गया तो उन स्थानों पर जाने के लिए दिल्ली के निगम आयुक्त के विशिष्ट आदेशों के अभाव के कारण इन स्थानों पर पहुँचने के लिये उन्होंने बहुत समय लिया जिसके परिणाम स्वरूप इन स्थानों पर आग लग जाने से बहुत भारी क्षति हुई;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली दमकल सेवा के प्राधिकारियों को दिल्ली के समीपवर्ती राज्यों के उन स्थानों की, जहां दमकल सेवा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसी मांगों को पूरा करने के कोई विशिष्ट निर्देश दिये हैं जिससे जन-धन की हानि बचाई जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो भविष्य में ऐसी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए कौन से उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली नगर निगम आयुक्त द्वारा जैसी सूचना दी गई है प्रश्न में संदर्भित दो मामलों में आग बुझाने के लिए जाने में कोई विलम्ब नहीं किया गया था। 14 जून 1972 को जापानी वायुयान दुर्घटना की सूचना दिल्ली अग्निशमन सेवा मुख्यालय में रात को 8 बजकर 21 मिनट पर मिली और मथुरा रोड स्थित अग्निशयन केन्द्र से आग बुझाने के दो दस्ते रात को 8 बजकर 22 मिनट पर अर्थात सूचना मिलने के 1 मिनट के अन्तर से दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हुए ।

(ख) उत्तर प्रदेश मोहन नगर में मोहन मीकीन्स ट्रेवरीज भवन की आग के मामले में सूचना 15 जून, 1972 को दिन में 1 बजकर 13 मिनट पर प्राप्त हुई, आग बुझाने के दो दस्ते मोहन नगर के लिए दिन में 1 बजकर 32 मिनट पर निगम आयुक्त से अनुमति लेने के पश्चात जैसा कि दिल्ली प्रशासन के आदेशों के अन्तर्गत आवश्यक है, रवाना हुए अग्नि शमन राज्य का विषय हैं। दिल्ली में अग्निशमन सेवा दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रशासित होती है। इसका कार्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है, किन्तु आग बुझाने के लिए बाहर से अनुरोध आने पर वे जाते हैं बशर्ते कि वे केन्द्र में विद्यमान हैं। सभी मामलों में दिल्ली प्रशासन द्वारा निश्चित की गई पद्धति तथा अनुदेशों का पालन किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में वैज्ञानिकों का भविष्य

409. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 15 जून, 1972 के नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले "इंडियन एक्सप्रेस" में "फेट आफ साइंटिस्ट्स इन इण्डिया" "(भारत में वैज्ञानिकों का भविष्य)" शीर्षक के अन्तर्गत डा० एम० वी० शिरोधकर के लेख की ओर दिलाया गया है और इस सम्बन्ध में क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लेख में लगाये आरोप के अनुसार भारत में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के भारतीय प्रतिभावान वैज्ञानिकों का अभी भी संगठित रूप में शोषण होता है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसे आरोपों का प्रतिवाद करने तथा भारत और विदेशों में हमारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की शंकाओं को निर्मूल करने की दिशा में सरकार ने कौन से ठोस कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सरकार ने भारत में वैज्ञानिकों के भाग्य के बारे में, कुछ पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट दे रखी है परन्तु सरकार इस मत से सहमत नहीं है कि भारतीय वैज्ञानिकों के बुद्धि वैभव के लिये संगठित अधिलंघन है ।

(ग) वास्तव में भर्ती, पदोन्नति तथा योग्यता-मान्यता के लिए क्रियाविधि सरकार ने अपनी पूर्ण योग्यता से इस प्रकार बनाई है कि उसमें बुद्धि वैभव के संगठित अधिलंघन की कोई सम्भावना नहीं है। फिर भी, पूर्ण आदर्श पद्धति में, वास्तविक वैज्ञानिक बुद्धि वैभव की अपेक्षा अथवा हतोत्साहन का व्यक्तिगत मामला हो सकता है । जब भी ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में लाया जाता है, तो वह इनमें देख भाल करने तथा इसमें पूर्ण न्याय करने के लिए तैयार हैं ।

मानवीय पर्यावरण के बारे में स्टाकहोम में हुआ सम्मेलन

410. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री स्टाकहोम में मानवीय पर्यावरण विषय पर हाल ही में समाप्त हुये 114-राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों तथा प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए भाषणों का तथा उक्त सम्मेलन के बाद श्री सी० सुब्रह्मण्यम द्वारा इस सम्बन्ध में प्रेस कांफ्रेस में व्यक्त किये गये विचारों और भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा जारी किये गये एक लम्बे वक्तव्य की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस सम्मेलन में कोई संकल्प पेश किये थे तथा क्या इन्हें स्वीकार कर लिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन के क्या निष्कर्ष निकले और इसमें भारत का क्या योगदान रहा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) प्रधान मन्त्री और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों की प्रतियों सहित, एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3223/72]

टेलीविजन केन्द्र दिल्ली में एक कलात्मक चित्र का गुम होना

417. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीवीजन केन्द्र दिल्ली में 7 जून, 1972 के "यूथ फोरम प्रोग्राम" के लिए आमन्त्रित एक कलाकार कार्यक्रम में दिखाने के लिए अपना एक बहुमूल्य कलात्मक चित्र लाई थी जिसे कलाकार को उसी दिन वापिस नहीं दिया गया और बाद में इसे टेलीविजग केन्द्र के प्रांगण

से कथित रूप में चोरी हुआ समझा गया जिसके परिणामस्वरूप कलाकार ने चित्र का पता लगाने के लिए स्थानीय पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई ।

(ख) यदि हां, तो टेलीविजन केन्द्र में इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है; और

(ग) क्या कथित रूप में चोरी गया कलात्मक चित्र इस बीच कलाकार को वापस कर दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० **गुजराल)** : (क) से (ग) ग्राफिक कला पर एक कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक कलाकार द्वारा लाया गया एक सफेद सीट पर बना पोस्टर रंग का एक स्कैच दिल्ली टेलीविजन केन्द्र में गुम हो गया था । सम्बन्धित कलाकार को इस बारे में बता दिया गया था उन्होंने टेलीविजन केन्द्र को लिखा है कि इस मामले को समाप्त समझा जाए । टेलीविजन केन्द्र को कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसी बातों की पुनर्रावृत्ति न हो ।

राष्ट्रीय एकता प्रभाग द्वारा साम्प्रदायिक दंगों के लिए पाये गये कारण

412. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के राष्ट्रीय एकता प्रभाग ने जून, 1972 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक के विरुद्ध आन्दोलन के फलस्वरूप देश के कुछ भागों में हुए साम्प्रदायिक दंगों के कारणों की ध्यान-पूर्वक जांच की है;

(ख) क्या एकता प्रभाग ने देश के अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं के कारण आंदोलन के लिए उन्मुख देश के 80 जिलों के नाम बताये हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त जिलों के क्या नाम हैं तथा उपरोक्त भाग (क) के सन्दर्भ में प्रभाग ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने इस बीच क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) यह मंत्रालय ऐसे मामलों में राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क बनाये रहा है । यद्यपि कोई साम्प्रदायिक उपद्रव नहीं हुए तथापि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, फिरोजपुर तथा वाराणसी में दंगे हुए जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 के विरुद्ध एक आन्दोलन का आयोजन किया गया था । केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर देश में उन जिलों का पता लगाने के लिए 1970 तथा 1972 में एक विश्लेषण किया गया था जो बार-बार साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित होते रहे । विभिन्न राज्यों में इन जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिये जाते हैं ।

(घ) साम्प्रदायिक दंगों के होने के विरुद्ध कड़ी निगरानी रखने और उन जिलों के बारे में विशेष ध्यान देने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है, जो बार-बार साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित होते हैं । साम्प्रदायिक दंगों की ओर अधिक प्रवृत जिलों के कार्य-प्रभारी अधि-

कारियों को समस्या के सभी पहलुओं से अवगत कराने और विचारों के स्वतन्त्र आदान-प्रदान करने के लिए बंगलौर, बम्बई, नैनीताल और कलकत्ता में चार क्षेत्रीय सम्मेलन हुए हैं। इन सम्मेलनों में संघ के गृह सचिव और जिला मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधीक्षकों के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव, गृह सचिव पुलिस महा निरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सी० आई० डी० इत्यादि ने भाग लिया।

विवरण

राज्य	जिले
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद, महबूबनगर, अदीलाबाद।
असम	कछार, कामरूप, गोलपाड़ा।
असम और मेघालय	यू० के० एण्ड जे० हिलस।
बिहार	पटना, गया, सारन, मुजफ्फरपुर, दरमंगा, मांघेर भागलपुर, सहारसा, हजारीबाग, सिंघभूम, रांची, संथाल परगनाज, शाहाबाद।
गुजरात	जूनागढ़, पंचमहलस, अहमदाबाद, बड़ौदा, केरा।
केरल	पालघाट, मालापुरम, कन्नानोर।
मध्य प्रदेश	इन्दौर, रतलाम, जबलपुर, विदिशा, देवास, सेहौर, दुर्ग, खण्डवा, धार।
महाराष्ट्र	अकोला, थाना, रतनागिरी, अहमदनगर, नासिक, औरंगाबाद, कोलावा, बुलघाना, ग्रेट बम्बई, शोलापुर, पूना, जलगांव, अमरावती नागपुर, ओस्मानाबाद।
मैसूर	बंगलौर, बिदार, मैसूर, गुलबर्ग।
उड़ीसा	कटक, सम्भलपुर।
राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, नागोर।
तमिलनाडु	तिरुनेल्वेल्ली, त्रिची।
उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद, आगरा, आजमगढ़, वाराणसी, अलीगढ़, सराहनपुर, इलाहाबाद, मेरठ, पीलीभीत बदायूं, बरेली, शाहजहाँपुर।
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता, कूच-बिहार, मुर्शिदाबाद, 24-परगनास
दिल्ली	दिल्ली।

T. V. Centres For M. P.

413. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have sent proposals for setting up Television Centres in its regions; and

(b) the number of cities in other States where such Television Centres have been set up and whether similar arrangements are also being made in Madhya Pradesh also ?

The Minister of state in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) At present we have a Television station at Delhi. Television stations are being set up at Bombay, with relay station at Poona, Srinagar, Amritsar, Madras, Calcutta, and Lucknow with relay station at Kanpur during the Fourth Plan, Television are proposed to be set up during the Fifth and subsequent Plan periods to cover progressively the entire country, TV Station in Madhya Pradesh will be included in such plans.

तांबे के तारों की चोरी करने वालों का अन्तर्राज्यीय गिरोह

414. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवां क्षेत्र में तांबे की तारें की चोरी करने वाला अन्तर्राज्यीय गिरोह चोरी करने में लगा हुआ है और क्या रीवां से कटनी के बीच की टेलीफोन लाइन से 15,00 रुपये के मूल्य की लगभग एक क्वंटल तांबे की तारें काट ली गई हैं, और

(ख) यदि हां तो सरकार ने इस गिरोह का पता लगाने के लिये कौन से प्रयास किये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। मार्च, 1971 से मार्च, 1972 के दौरान इस सेक्शन से 28540 रुपये के मूल्य की 2854 किलोग्राम तांबे की तार की चोरी हुई थी।

(ख) डाक-तार विभाग और मध्य प्रदेश पुलिस की सम्मिलित कार्रवाही के फलस्वरूप अप्रैल और नवम्बर, 1971 में चोरी के तीन गिरोह पकड़े गए थे। तांबे के तार के दो युग्म बदलने के लिए हटा दिए गए हैं। पुलिस की सहायता से इन लाइनों की सम्मिलित गश्त लगाई जा रही है।

गोलपाड़ा, आसाम में कागज मिल की स्थापना

415. **श्री रोबिन काकोटी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम, में गोलपाड़ा में प्रस्तावित कागज की मिल की स्थापना के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस पर कुल कितनी धन राशि व्यय की गई है और मार्च, 1972 के अन्त तक इस परियोजना में कितने व्यक्तियों को रोजगार पर लगाया गया है ?

ओद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लोक निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा कागज/लुगदी के संयत्र की अधिकाँश मशीनें दरभंगा (बिहार) से गोलपारा ले जाई गई हैं।

(ख) अभी तक बिहार से मशीनों के स्थानान्तरण, निर्माण कार्य वेतन आदि पर 150 लाख रुपये खर्च हुए हैं व 93 व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं।

Agro-Industries in the States

416. Shrimati V.R. Scindia : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the names of places in rural areas where agro-industries have been established during the last three years State-wise together with the names of the industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : The term 'agro-industries' covers a very wide range of industries based on agricultural produce of engaged in manufacturing agricultural inputs e,g. textiles, sugar, rice milling, oil milling handlooms, power-looms, food and fruit processing, distillery. agricultural machinery (tractors, power tillers and pumping sets etc.), fertilisers, insecticides, dairy, poultry, piggery, fishery and so on. The industries could be in the cottage, small, medium or large scale sectors. The development of a very large number of agroindustries is the responsibility of the State Governments. In view of the wide range covered and of their wide despersal throughout the country, information about the names of places where agro-industries have been started in rural areas throughout the country is not available. However, figures of Industrial Licences granted for agro-industries in the past three years are enclosed.

Figures of Industrial Licences granted for manufacture of agro-industries during the years 1969, 1970 and 1971

Industry	No. of Industrial Licences grarted during		
	1969	1970	1971
1	2	3	4
Agricultural Machinery	...	4	4
Fertilisers	3	1	10
Textiles	50	22	23
Sugar	10	36	5
Fermentation	...	2	3
Food processing	11	19	12
Vegetable oils & Vanaspathi	4	38	58

गुजरात में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस देना

417. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1972 से जून, 1972 के बीच गुजरात राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ख) कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हैं और उनमें से कितने आवेदन पत्र किन-किन कारणों से रद्द कर दिये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गुजरात में नये उद्योग लगाने के लिये अप्रैल, 1972 से जून, 1972 की अवधि में 3 लाइसेंस जारी किए गए।

(ख) 1.7.72 तक अनिर्णीत आवेदनों की संख्या 251 थी। इनमें से किसी आवेदन पत्र के रद्द किए जाने का प्रश्न हीं नहीं उठता।

वरिष्ठता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का क्रियान्वयन

418. श्री एस० एम बनर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठता के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भारत सरकार के कार्यालयों में क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त निर्णय को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ग) यह संदर्भ 1968 की सिविल अपील संख्या 1845 (भारत संघ तथा अन्य बनाम एम० रवि वर्मा एवं अन्य) सन् 1968 की संख्या 1846 (भारत संघ तथा अन्य बनाम एस० गणपति कीनी तथा अन्य) और सन 1969 की संख्या 50 (भारत संघ तथा अन्य बनाम सुरेश कुमार तथा अन्य) के बारे में दिनांक 4-1-1972 की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सम्बन्धित है। वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) द्वारा, जो कि प्रशासनिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय किये गये पहले दो विशिष्ट मामलों से सम्बन्धित है, उन मामलों में न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने की यथोचित कार्रवाई कर ली गई है। यह आशा की जाती है कि कार्यन्वियन की प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगी। स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय जो कि तीसरे मामले से सम्बद्ध है, उस मामसे में न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय को कार्यान्वित कर चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं, उठता।

Population of Adivasis. Scheduled Castes and Scheduled Tribes

419. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the State-wise population of Adivasis, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, at present; and

(b) their percentage to the total population of the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) State-wise population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes according to 1971 census (as on

1.4.1971) is given in the enclosed statement. [Placed in the Library See No. L. T. 3224/72] No data are collected for "Adivasis" as such, at the Census.

(b) The percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the total population of the country as revealed by the 1971 Census, are 14.60 and 6.94 respectively.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक विभाग द्वारा बेरोजगार स्नातकों का सर्वेक्षण

320. श्री एच० एम० पटेल :
डा० लक्ष्मी नारायण पांडे :

क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक विभाग ने हाल में एक सर्वेक्षण किया था, जिससे पता चलता है कि भारत में विज्ञान, इन्जीनियरिंग और मेडिकल स्नातकों समेत एक चौथाई स्नातक बेरोजगार हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके तथ्य तथा आंकड़े क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रमण्यम्) : (क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक विभाग ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया था, लेकिन उसने तकनीकी कार्मिकों और अन्य स्नातकों की बेरोजगारी का 1971 की जनगणना में एकक किये गये व्यौरे के आधार पर एक अध्ययन अवश्य किया था । अध्ययन से पता लगा है कि विज्ञान, इन्जीनियरिंग, प्रौद्योगिकी कृषि अथवा चिकित्सा में प्रथम श्रेणी में उपाधिकारी व्यक्ति 17.1% और कला या वाणिज्य में कम से कम 20.9% प्रथम श्रेणी में उपाधि प्राप्त व्यक्ति अप्रैल 1971 में वेरोजगार बताये गये थे । सभी वर्गों में उपाधिकारी व्यक्तियों में से कुल बेरोजगार 19.7% अथवा कुल अनुमानित संख्या का 1/5 थे ।

(ख) भारत सरकार ने रोजगार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए कुछ उपाय पहले ही किये हैं । बेरोजगार स्थिति का मूल्यांकन करने और उसके उपचारात्मक उपायों को बताने के लिए एक 'बेरोजगारी पर विशेषज्ञ समिति' नियुक्त की गई हैं । शिक्षितों को रोजगार दिलाने के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है जिसमें 20 करोड़ रुपये इसी वर्ष के बजट में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने संबंधी कार्यक्रमों को चालू करने के लिए आवंटित किये गये है । उद्योगी बेरोजगार व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंक भी वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं ।

इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों और तकनीकी कार्मिकों की विशेष रूप से सहायता करने के लिए वैज्ञानिकों का पूल, अनुसंधान छात्रवृतियां अधिसंख्यक नियुक्तियां जैसी योजनाएं भी कार्यरत है ।

दुग्ध-चूर्ण की कमी

421. श्री पम्पन गौडा : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दुग्ध-चूर्ण तथा शिशु आहारों की कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार देश में दुग्ध-चूर्ण कारखाना स्थापित करने का है, और यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव सम्बन्धी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। कुछ कमी है।

(ख) सरकार का दुग्ध चूर्ण कारखाना स्थापित करने का इस समय कोई विचार नहीं है। फिर भी, सहकारी एवम् निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और गत वर्ष में 7800 मी० टन की अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत की गई है।

भारत और बंगला देश के बीच परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग

422. **श्री पीलू मोदी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग और अन्तरिक्ष अनुसंधान के मामलों में सहयोग करने को सहमत हो गये है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा तथा अन्तरिक्ष अनुसंधान के शान्तिमय उपयोगों के क्षेत्र में भारत तथा बंगला देश के मध्य सहयोग करने का प्रश्न विचाराधीन है।

एक्स-रे फिल्मों की कमी

423. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक्स-रे फिल्मों की कमी अभी तक बनी हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का कौन से उपचारात्मक उपाय अपनाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एग्रो-इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन उत्तर प्रदेश द्वारा विदेशी सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण

424. **श्री बी० बी० नायक** :
श्री डी० के० पन्डा :

क्या **औद्योगिक** विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश ने पूर्वी यूरोप की एक कम्पनी के सहयोग से एक सस्ते ट्रैक्टर (14 अश्व शक्ति वाला) के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है, प्रस्तावित ट्रैक्टर की उत्पादन लागत क्या होगी और उसका लागत मूल्य क्या होगा।

(ग) क्या विशेष रूप से भूमि की अधिकतम सीमा में निकट भविष्य में की जाने वाली कमी को देखते हुए सस्ते ट्रैक्टरों का निर्माण करने सम्बन्धी सरकार का कोई अन्य प्रस्ताव भी है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कृषि औद्योगिक निगम ने 13·12·71 को यू० एस० एस० आर० के सहयोग से 14 अ० श० ट्रैक्टरों का उत्पादन करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। परियोजना की पूंजीगत लागत 3.37 करोड़ रुपये दिखाई गई है और कम्पनी से निकलते समय प्रति ट्रैक्टर मूल्य 10,000 रु० होने का अनुमान है।

(ग) सरकार ने 1972-73 तक कम अश्व शक्ति के कुल 36,000 ट्रैक्टरों का उत्पादन करने के लिए तीन योजनाओं को लाइसेंस/स्वीकृति प्रदान की है जबकि अनुमानित वार्षिक माँग 25,000 ट्रैक्टर है 10,000 ट्रैक्टरों की वार्षिक क्षमता की एक और योजना सरकार के विचाराधीन है।

(घ) चूंकि विदेशी सहयोग से कम अश्व शक्ति के ट्रैक्टर उत्पादन करने के लिए लाइ-सेंसिंग की गुंजाइश नहीं है अतः सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है।

विशाखापट्टम बाह्य बन्दरगाह के उद्घाटन के अवसर पर कार्यक्रमों के बारे में समाचार देना

425. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम बाह्य बन्दरगाह के उद्घाटन के अवसर पर उनके मंत्रालय के खर्चे पर नई दिल्ली से किन-किन संवाददाताओं को वहाँ ले जाया गया था ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को नई दिल्ली के इन संवाददाताओं द्वारा उन कार्यक्रमों का, जिनमें वे तथा प्रधानमंत्री उपस्थित हुई थीं, समाचार अपने समाचार-पत्रों को देने के बारे में प्रेस सूचना ब्यूरो से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ग) क्या प्रेस सूचना ब्यूरो के कहने पर उसने मंत्रालय के बारे में समाचार देने वाले 'टाइम्स आफ इंडिया' के मान्यताप्राप्त संवाददाता को संवाददाता दल से निकाल दिये जाने पर अन्य पत्रकारों ने सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार कर दिया था; और

(घ) संवाददाता दल से उक्त संवाददाता के निकाल दिये जाने के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) बाह्य बन्दरगाह परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर विशाखापत्तम को ले जाये गये संवाददाताओं की एक सूची संलग्न है। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3225/72) संवाददाता दल का खर्चा विशाखापत्तम पोर्ट ट्रासपोर्ट तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा वहन किया गया था।

(ख) . उद्घाटन समारोह को सन्तोषजनक रूप से कवर किया गया था और इसके बारे में समाचार उन सभी समाचार-पत्रों में छपा था जिनके संवाददाताओं को दौरे पर ले जाया गया था। यह मालूम करना कठिन है कि किस संवाददाता ने अपने समाचार-पत्र (पत्रों) को समाचार भेजे और किसने नहीं भेजे।

(ग) टाइम्स आफ इंडिया ने एक गैर प्रत्याशित संवाददाता को पत्र सूचना कार्यालय के कहने पर नहीं बल्कि अपनी इच्छा से नामजद किया था। उन्हें पत्र सूचना कार्यालय ने स्वीकार कर लिया था। अन्य संवाददाताओं ने कार्यक्रम कवर करना अस्वीकार नहीं किया था।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

Loss incurred to Heavy Eieetricals Equipment Plant Hardwar

426. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Bharat Heavy Electricals Limited have now started earning profit;

(b) if so, the amount of profit earned during the last year;

(c) the reasons for which the Heavy Electricals Equipment Plant at Ranipur, Hardwar is not able to earn profit; and

(d) the measures proposed to be taken by Government to remove the shortcomings of Ranipur Plant ?

The Deputy Minister in The Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) :(a) to (b) The Bharat Heavy Electricals Ltd., earned a profit of Rs. 319 lakhs in the year 1971-72. of the three plants under the Bharat Heavy Electricals Ltd. , the Plant at Ranipur, Hardwar is the biggest unit and is still in a developmental phase. The production of turbines and generators at this unit was commenced only in the year 1969-70. Owing to the complex nature of the items of production, such plants need a gestation period of 5 to 6 years before they may be expected to breakeven. The Ranipur plant can be stated to be still in its gestation period.

Efforts are being made to step-up production at the Ranipur unit. Action has also been initiated for training additional personnel with a view to start multiple shift working. With the implementation of the measures it is expected that the Hardwar Unit of BHEL would break-even in the year 1974-75.

देश में गुरू पानी के संयंत्रों की स्थापना

427. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री पुरुषोत्तम ककोथकर :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा देश के विभिन्न भागों में गुरू जल के संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) उनके कब तक और किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्री मती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु ऊर्जा आयोग देश में चार भारी पानी संयंत्र स्थापित कर रहा है ।

(ख) तथा (ग) : अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :—

संयंत्र का नाम	स्थान	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	पूरा होने की सम्भावित तिथि
i बड़ौदा भारी पानी संयंत्र (67.2 मी0 टन वार्षिक	बड़ौदा (गुजरात)	15.10	1973
ii कोटा भारी पानी संयंत्र (100 मी0 टन वार्षिक	कोटा (राजस्थान)	35.79	1974
iii तूतीकोरिन भारी पानी संयंत्र (71.3 मी0 टन वार्षिक)	तूतीकोरिन तमिलनाडु	21.32	1974-75
iv तलचर भारी पानी संयंत्र (62.7 मी0 टन वार्षिक	तलचर (उड़ीसा)	21.10	1976

कपास का वायदा व्यापार

428. **श्री वसन्त राव पुरुषोतम साठे** : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास के वायदा व्यापार को मंजूरी देदी है; और

(ख) यदि हां, तो किन किन केन्द्रों में ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कपास के वायदा या क्षति अवरोधक (हेज) सौदे करने की अनुमति नहीं है । ईस्ट इन्डिया काटन एसोसियेशन बम्बई के तत्वावधान में कपास की बंगाल देशी किस्म की हस्तान्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी संविदा (टी० एस० डी० कंट्रैक्ट्स) के रूप में वायदे सौदे करने की अनुमति है । तीन महीने की अवधि के लिए अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी संविदा (एन० टी० एस० डी० कंट्रैक्ट्स) के रूप में संपूर्ण देश में कपास की सभी किस्तों के वायदा सौदे करने की अनुमति है ।

मृत्यु दण्ड को समाप्त करना

429. **श्री भान सिंह भौरा :**

श्री झारखण्डे राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में मृत्यु दण्ड समाप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) भारतीय दण्ड संहिता में व्यापक संशोधन करने के सुझावों पर सभी पहलुओं से विचार किया जा रहा है।

शृंगार सामग्री बनाने वाली कम्पनियों के बारे में विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड द्वारा अध्ययन

430. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड ने देश में श्रृंगार सामग्री बनाने वाली अधिकाँशत विदेशी साम्य पूंजी वाली कम्पनियों के बारे में अध्ययन पूरा कर लिया है जिसका उद्देश्य यह है कि उनके द्वारा निष्पादित निर्यात संबंधी कार्य की तुलना उनके द्वारा लाभांश एवं रायल्टी के रूप में विदेशों में भेजी गई धनराशी और कच्चे माल के आयात पर किये गये व्यय से की जाय;

(ख) यदि हाँ, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और अध्ययन के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) कितने प्रतिशत लाभ का उद्योगों में पुनः निवेश किया जा रहा है और कितना प्रतिशत धन विदेशों में भेजा जा रहा हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) हाल ही में विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड ने भारत में श्रृंगार सामग्री बनाने वाले उद्योगों के विभिन्न पहलुओं जैसे उत्पादन, कच्चे माल की आयात आवश्यकता, निर्यात लाभ और 28 निर्माताओं की विदेशी मुद्रा व्यय की जाँच की है। इनमें से 11 में विदेशी शेयर पूंजी अधिक है। उनका मुख्य निष्कर्ष था कि कुछ विदेशी सहायक श्रृंगार सामग्री निर्माताओं द्वारा प्राप्त लाभांश उनके निवेश के मुकाबले में अधिक है। सभी पहलुओं से प्रश्न की जाँच करने के पश्चात बोर्ड ने फैसला किया कि श्रृंगार सामग्री वस्तुओं के निर्माण की लागत मूल्य का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिये। अध्ययन चल रहा है।

गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा बड़ी परियोजनाओं को बिजली के अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई

431. **श्री विजय मोडक** : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपनी बड़ी परियोजनाओं के लिए बिजली के अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र पर अपनी निर्भरता को कम करने के विचार से बिजली के अतिरिक्त पुर्जों के लिये परियोजनाएं स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

432. श्री झारखंडे राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों से न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उन राज्यों के क्या नाम है जहां न्यायपालिका अब भी कार्यपालिका का एक अंग है; और

(ग) इन राज्यों में भी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का कार्य पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) अभी तक नहीं श्रीमान् । गुजरात, हरियाणा, जम्मू व काश्मीर (पुंछ तथा राजौरी जिलों को छोड़कर) महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, पश्चिम बंगाल (मिदनापुर तथा 24 परगना जिलों को छोड़कर) केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों और असम तथा हिमाचल-प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है । अभी मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा मेघालय में पृथक्-करण नहीं किया गया है ।

(ग) एक विधेयक जो एक नई दण्ड प्रक्रिया संहिता को अधिनियमन करने के लिए पुरःस्थापित किया गया था और जिसमें अन्य बातों के साथ सम्पूर्ण देश में कार्यपालिका से न्याय-पालिका के पृथक्करण सुनिश्चित करना है अब संसद की संयुक्त समिति के विचाराधीन है ।

18 से 21 वर्ष के आयु के बीच आने वाले व्यक्ति

433. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार 18 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच आने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) जनगणना की तीन रिपोर्टों के दौरान इस श्रेणी के व्यवितयों की संख्या कितनी कितनी थी ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) नवीनतम जनगणना (1971) के आयु संबंधी आंकड़े अभी तैयार किये जा रहे हैं ।

(ख) संलग्न विवरण में तीन जनगणनाओं अर्थात 1961, 1951 तथा 1941 के आंकड़े उपयुक्त समायोजन के पश्चात् सम आंकड़ों के आधार पर दिये गये हैं :

विवरण

1941, 1951 तथा 1961 की जनगणना में 18 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच आने वाली जनसंख्या का विवरण

आयु	1961			1951			1941 (10 लाखों में)		
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	8.3	4.3	4.0	7.1	3.6	3.5	5.9	3.0	2.9
19	8.2	4.2	4.0	6.9	3.5	3.4	5.7	2.9	2.8
20	8.0	4.1	3.9	6.8	3.5	3.3	5.7	2.9	2.8
जोड़ 18-20	24.5	12.6	11.9	20.8	10.6	10.2	17.3	8.8	8.5
21	7.8	4.0	3.8	6.6	3.4	3.2	5.7	2.9	2.8
जोड़ 18-21	32.3	16.6	15.7	27.4	14.0	13.4	23.0	11.7	11.3

टिप्पणी :—इन उम्रों में सम जन संख्या का उपयुक्त संमंजन जन गणना आयु सारणी में न आने वाली थोड़ी जनसंख्या के लिए किया गया है।

स्रोत :—भारत की जनगणना—1961 के लिए 1961 का पत्र सं० 2—आयु सारणी पृष्ठ 35, 1951 तथा1941 के लिए भारत की जनगणना 1954 का पत्र सं० 3, आयु सारणी 1951 जनगणना क्रमशः पृष्ठ 144 तथा 168।

स्वाधीनता की 25वीं जयन्ती के अवसर पर राजनैतिक बन्दियों की रिहाई

434. श्री के० बालतन्डायुत्तम :
श्री बी० आर० शुक्ल :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी स्वाधीनता की 25वीं जयन्ती के अवसर पर, राजनैतिक बन्दियों तथा कुछ ऐसे बन्दियों को जिन्हें मृत्युदण्ड दिया गया हैं और जिन्हें दीर्घावधि कारावास का दण्ड दिया गया हैं; क्षमा करने तथा रिहा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) स्वतंत्रता के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर बन्दियों की कुछ श्रेणियों की सजा माप श्रेणी पर कम करने का प्रस्ताव है। किन्तु मृत्यु दण्ड प्राप्त बन्दियों को इस अवसर पर राज्यक्षमा देने का कोई विचार नहीं है।

त्रिपुरा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाना

435. श्री बीरेन दत्त : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र (न्यायायिक तथा प्रशासी कार्यों के पृथक्करण) अधिनियम 1969 जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को संघ राज्य क्षेत्रों में पृथक करने की व्यवस्था है त्रिपुरा राज्य बन जाने से वहां लागू नहीं है। एक नई दण्ड प्रक्रिया संहिता को अधिनियमित करने का विधेयक जो अब संसद की संयुक्त समिति के विचाराधीन है और जिसमें अखिल भारतीय आधार पर कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने की व्यवस्था है वह त्रिपुरा में भी लागू होगा। फिलहाल राज्य सरकार प्रशासी आदेश द्वारा त्रिपुरा में सुधार करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

Out-Break of Communaal Riots as a Result of Aligarh Muslim University (Amendment) Bill Passed by lok Sabha

436. Shri Ramavatar Shastri :
Shri Samar Guha :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that after the Aligarh Muslim University (Amendment) Bill was Passed during the last session of Lak Sabha, communal riots broke out in certain parts of the country;

(b) if so. the details thereof and the extent of lose of life and property caused as a result thereof; and

(c) the elements involved in these riots and the action taken or proposed to be taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home affairs and in the Depertment of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) (a) to (c) : Disturbences occu·red in Aligarh Varanasi and Ferozabad in U.P, in June, 1972. According to the report received from the state Government, 33 persons were killed during the disturbances. Information regarding loss of property is being obtained. A large number of persons have been arrested during the course of the disturbances and appropriate action is being taken against them under the law.

Closure of Arthur Butler and Co. Ltd. Muzaffarpur

437. **Shri Ramavatar Shastri** : will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Arthur Butler and company Ltd.. Muzaffarpur (Bihar) has been lying closed for the last six months. if so. the reasons therefor;

(b) whether Government of Bihar have requested the Central Government to take it over and re-open it; and

(c) if so, the reaction of Central Government thereto ?

The Deputy Minisrer in the Miu:stay of Industrial Development (Snri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir. According to a report received from the State Government, the closure was essentially due to a fight betweea two groups on the management.

(b) Yes, Sir.

(c) The matter is under consideration, in consultation with the State Government.

पटना के अतिरिक्त बिहार में प्रस्तावित एक डाक व तार चिकित्सालय का खोला जाना

438. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना के अतिरिक्त बिहार में किसी स्थान पर एक डाक व तार चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है,

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) बिहार सर्कल में मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, धनबाद, छपरा और रांची में विभागीय डिस्पेन्सरियां खोलने के लिए पोस्टमास्टर जनरल, पटना से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

आकाशवाणी का पुनर्गठन

439. **श्री रामावतार शास्त्री** :

श्री हरी सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी का चरणबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्गठन करने का एक प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) (क) : जी, हां।

(ख) ब्यौरा विचाराधीन है।

Sheikh Abdullah's utterances regarding Kashmir after lifting of Externment Order

440. Shri M.C. Daga :
Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to recent statements made bp Sheikh Abdullah that the fate of Kashmir is yet to be decided if so, the reaction of the Government thereto ; and

(b) whether Sheikh Abdullah had any talks with the Prime Minister recently and if so, the background and the main features thereof ?

The Prime Mininister Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Government have seen Press reports of such statements made by Seikh Abdullah and they consider them to be misconceived, ill-advised and unrelared to realities.

(b) Yes Sir, the discussion was of a general nature. The House will appreciate that it is not in public interest to disclose details.

U.N. Conference on Human Environment held in Stockholm

441. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Techonology** be pleased to state :

(a) the role played by Shri C. Subramaniam Ex-Minister of Plaining. on behalf of India in the Conference on Human Environment held renently in Stockholm by the United Nations keeping in view the critical problem of environmental pollution; and

(b) whether Government propose to implements the decisions taken in the said Conference, and if so, the decisions to be implement and the time by which it would be done ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C.Subramaniam) (a) Shri C.Subramaniam, the then Minister of Planing. Science and Technology led the Indian delegation to the UN Conference on Human Environment, and was elected as one of the Vice-Presidents of the Conference. In his address in the course of the general debate in the planary meeting he briefly outlined the nature and magnitude of the environmental problem with special reference to the difficulties as well as opportunities, and priorities of developing countries like India.

The Indian delegation at the UN Conference worked as a well knit team and made effective and constructive contribution in the deliberations both in the verious committees and at the plenary meetings. They were successful in securing acceptance of several amendments in the resolutions and the draft declaration on the Human Environment before these were adopted at the Conference.

(b) At the UN Conference, various recommendations for international action were discussed to which India is a party. The Secretary General of the Conference is expected to intiate action on the approved recommendations in consulation with the Governments in cooperation with the various UN ageneics. Action related to these recommendations will be taken up on their merit as and when they are referred to the Government.

Satyameve Jayate

442. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the letter published at page 4 of the daily 'Hindustan' on the 9th June, 1972 under the title 'Satyameve Jayate' regarding programme over A.I.R. Delhi 'A' ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri I.K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) Government do not agree with the comments. Tunes of patriotic songs are normally based either on some Raga or folk tune depending upon the text.

ग्रामीणों के लिए चिकित्सा सुविधायें

443. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "किसान डाक्टर" नियुक्त करने के औचित्य पर विचार किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां, ग्रामवासियों को विभिन्न अभिकरणों के माध्यम् से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है।

(ख) क्योंकि यह सुझाव अभी प्रारंम्भिक जांच की स्थिति में है अतएव इस समय कोई विस्तृत जानकारी देना सम्भव न होगा।

भारतीय जन सम्पर्क संस्थान के कार्यकरण की जांच

444. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय जन सम्पर्क संस्थान के कार्य की जांच करने और इसके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु छः सदस्यीय समिति गठित की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ;

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है, एक पुर्नविलोकन समिति गठित की गई है।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय जन सम्पर्क संस्थान एक स्वशासी संगठन है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अर्न्तगत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। यह सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त करता है जिसकी राशि प्रति वर्ष एक लाख रुपए से अधिक होती है। इस प्रकार के सहायक अनुदान को विनियमित करने वाले नियमों के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान के कार्य का कम से कम 3 से 5 वर्ष के अन्दर एक बार पुर्नविलोकन किया जाना होता है। इन नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत इस प्रकार की एक समिति नियुक्त की गई है।

2. समिति के विचारार्थ विषय :

समिति यह जानने के लिए मूल्यांकन करेगी :

(1) 1965-66 से लेकर 1971-72 तक की अवधि के दौरान संस्थान का क्या कार्य रहा है ;

(2) इसने संस्थान के "मैमोरंडम आफ एसोसिएशन" में उल्लिखित संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति में कहां तक योगदान दिया है ; और

(3) क्या उक्त अवधि के दौरान किया गया खर्च प्राप्त परिणामों के अनुरूप था।

3. समिति की सदस्यता :

समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :—

(1) श्री धर्म वीर सिंह, — अध्यक्ष
सूचना और प्रसारण उपमंत्री

(2) श्री जी० पार्थसारथी, — सदस्य
उपकुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली

(3) डा० प्रदीप्त राय, — सदस्य
गवेषणा निदेशक, समाज विकास परिषद
53, लोदी स्टेट, दिल्ली

(4) श्री एरिक डी० कोस्टा, — सदस्य
प्रबंध निदेशक, भारतीय जन मत संस्थान,
24 पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली

(5) श्री जोग चटर्जी, — सदस्य

प्रबंध निदेशक, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्ज परोमोशन,
1, रिटेनडन रोड, नई दिल्ली.

(6) श्री आई० पी० तिवारी, सदस्य सचिव
निदेशक, भारतीय जन सम्पर्क संस्थान,
नई दिल्ली-49

4. **अन्य सामान्य शर्तें**

समिति अपनी कार्य पद्धति स्वयं निश्चित करेगी और रिपोर्ट यथाशीघ्र देगी। समिति का मुख्यालय, नई दिल्ली में होगा। समिति की सदस्यता अवैतनिक है, किन्तु समिति के गैर सरकारी सदस्य समिति की बैठकों में भाग लेने के निमित्त समय-समय पर इस बारे में लागू आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ते लेने के अधिकारी होंगे।

श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से सरकारी विज्ञापन

445. **श्री शशि भूषण :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से गत तीन वर्ष के दौरान हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू में प्रकाशित होने वाले विभिन्न समाचार-पत्रों का कुल कितनी राशि के विज्ञापन दिये;

(ख) क्या विभिन्न भाषाओं के समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने की कोई निश्चित नीति है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या है और क्या उक्त नीति का कड़ाई से पालन किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) और (ग) : जी, हां सरकार की नीति सरकारी विज्ञापनों के लिए छोटे तथा मझोले समाचार-पत्रों, विशेषतया भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों का उतरोत्तर उपयोग करने की है। विज्ञापन देने के लिए समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं का चयन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है :—

(1) प्रभावी खपत

(2) प्रकाशन में नियमितता

(3) पाठकों की श्रेणी

(4) पत्रकारिता संबंधी नैतिकता के स्वीकृत स्तरों का पालन।

(5) अन्त बातें जैसे छपाई स्तर, उपलब्ध धन के अन्दर-अन्दर किन-किन भाषाओं और क्षेत्रों में विज्ञापन देने हैं।

विज्ञापन ऐसे समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को नहीं दिए जाते जो साम्प्रदायिक भावना

भड़काते हैं या हिंसा का प्रचार करते हैं या सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के सामाजिक तौर से स्वीकृत सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुँचाते हैं।

विवरण

वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों को दिए गए विज्ञापनों की राशि दर्शाने वाला विवरण।

	1969-70,		1970-71		1971-72	
	स्थान से०मी०	**राशि रुपये**	**स्थान से०मी०**	**राशि रुपए**	**स्थान से मी०**	**राशि रुपए**
अंग्रेजी,	7,13,360	50,97,396	10,04,462	74,93,971	10,99,308	79,49.460
हिन्दी	8,34,912	23,57,354	11,80,624	35,68,360	10,72,755	37,03,843
उर्दू	4,02.211	6,11,345	5,81,829	8,87,200	7,52.491	7 46,650

फिल्म और टेलीविजन संस्था, पूना के कार्यकरण सम्बन्धी रिपोर्ट

446. श्री शशि भूषण :
श्री हरी सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म और टेलीविजन संस्था, पूना के कार्यकरण की जांच करने के लिए नियुक्त समिति ने यह भी सिफारिश की है कि संस्था को स्वायत्तशासी निकाय का दर्जा दिया जाये और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सम्बद्ध कर दिया जाये;

(ख) समिति द्वारा की गयी अन्य सिफारशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने सिफारशों की जांच करके कोई निर्णय लिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी. हां। समिति संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सम्बद्ध करना उचित समझती है।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। ये सिफारशें विचाराधीन हैं क्योंकि रिपोर्ट 29 जून, 1972 को ही दी गई थी।

विवरण

भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पूना के कार्यकरण की जांच करने के लिए नियुक्त समिति की अन्य मुख्य सिफारशें निम्न प्रकार हैं :—

(1) वर्तमान सलहाकार समिति को भंग करना।

(2) एक अकैडैमिक काउंसिल गठित करना जिसमें प्रिंसिपल, पांच प्रोफेसर, उद्योग से

लिए गए बाहर के चार व्यक्ति । एक व्यवसायी लेखक तथा छात्रों द्वारा मनोनीत एक छात्र प्रतिनिधि हो ।

(3) प्रशासन व्यवस्था आदि के बारे में शिकायतों पर विचार करने के लिए एक सलाहकार निकाय गठित करना जिसमें 11 व्यक्ति अर्थात् 5 छात्र प्रतिनिधि, 5 स्टाफ सदस्य तथा प्रिंसिपल हो ।

(4) (क) संस्थान का प्रिंसिपल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो फिल्म निर्माण कार्य से अच्छी तरह संबंधित हो और उसको आवधिक आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए ।

(ख) प्रशासनिक मामलों की देख-रेख करने के लिए एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति ।

(5) स्टाफ के स्थाई सदस्यों को सवेतन छुट्टी अर्थात् 6 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर एक वर्ष का सवेतन अवकाश जिसका वे अध्ययन, यात्रा, सृजनात्मक कार्य आदि के लिए उपयोग कर सकें ।

(6) शिक्षु प्रशिक्षण के लिए डिप्लोमा धारियों के लिए छात्रवृति की राशि 150 रुपए प्रति मास से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमास कर दी जाए ।

(7) फिल्म उद्योग में लगे व्यक्तियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना संस्थान का एक अतिरिक्त कार्य होना चाहिए ।

(8) छात्रवृति/वृतिका 75 रुपए प्रतिमास से बढ़ाकर 250 रुपए प्रतिमास कर देनी चाहिए ।

(9) टेलीविजन स्कन्ध में प्रशिक्षण को अधिक वास्तविक एंव प्रभावी बनाने के लिए पूना में एक रिले टेलीविजन केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए तथा वहां स्टूडियो और ट्रांसमिशन सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए ।

(10) विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृतियाँ प्राप्त करने के लिए छात्रों को सुविधाएं ।

(11) फिल्म अभिनय पाठ्य-क्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रिकुलेशन से बढ़ाकर कला या विज्ञान में इंटरमीडिएट कर दी जानी चाहिए ।

(12) मनोरंजन कर तथा उत्पादन कर का कुछ प्रतिशतक (10 प्रतिशत) संस्थान को आवंटित किया जाना चाहिए ।

(13) स्क्रीन प्ले लेखन के पाठ्यक्रम को फिल्म के निर्देशन के पाठ्यक्रम के साथ मिला दिया जाना चाहिए ।

(14) वाइस-प्रिंसिपल का पद पदोन्नति पद रहने देना चाहिए ।

(15) शिक्षण स्टाफ के वेतनमानों का पुनर्गठन ।

(16) टर्मिनल सेमीनार (सिम्पोजिया) का आयोजन करना जिसमें बाहर के लोगों को आमंत्रित किया जाना चाहिए ।

(17) छात्रों के लिए एक आचार संहिता बनाना ।

(18) मौखिक परीक्षा सभी पाठ्यक्रमों के लिए ली जानी चाहिए न कि केवल अभिनय पाठ्य-क्रम के लिए जैसा कि इस समय हो रहा है।

(19) अतिथि लेक्चरारों को यातायात और आवास सुविधाओं के अलावा, उनके व्यय के अतिरिक्त प्रत्येक लेक्चर के लिए 100 रुपए दिए जाने चाहिए।

(20) प्रश्न पत्र बनाने तथा उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने की फीसों में इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिए कि वे विश्वविद्यालयों और अन्य प्रौद्योगिक संस्थानों में प्रचलित फीसों के बराबर हों।

(21) संस्थान में प्रशिक्षण कम खर्चे वाली फिल्मों—16 मि०मी० और बड़ी 8 फिल्मों का प्रयोग कर दिया जाना चाहिए।

दिल्ली पुलिस के सम्बन्ध में खोसला आयोग की सिफारिशें

447. श्री शशि भूषण :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुलिस आयुक्त नियुक्त करने के बारे में सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में पुलिस आयुक्त कब नियुक्त किया जायेगा; और

(ग) दिल्ली की कानून और व्यवस्था की समस्या से संबंधित खोसला आयोग की और कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं तथा क्रियान्वित कर दी गई हैं।

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3226/72]

कानपुर से आकाशवाणी को विज्ञापन

448. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी को कानपुर से अधिकतम विज्ञापन प्राप्त हो रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के आंकड़े क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) कानपुर से वाणिज्यिक सेवा 27 दिसम्बर, 1970 से चालू हुई थी। कानपुर में विक्रेय समय 75 मिनट प्रतिदिन है। 27 दिसम्बर, 1970 से औसतन दैनिक विक्रेय समय के बारे में आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

आकाशवाणी के कानपुर केन्द्र पर बेचा गया मासिक औसतन दैनिक समय नीचे मिनटों में दिया गया है :—

27-12-1970 से 31-12-1970 तक	—	45
जनवरी, 1971	—	47
फरवरी	—	54
मार्च	—	53
अप्रैल	—	59
मई	—	64
जून	—	60
जुलाई	—	59
अगस्त	—	60
सितम्बर	—	65
अक्टूबर	—	73
नवम्बर	—	74
दिसम्बर	—	69
जनवरी, 1972	—	65
फरवरी	—	61
मार्च	—	63
अप्रैल	—	69
मई	—	70
जून	—	68
जुलाई	—	65
अगस्त	—	73

आयु से पूर्व सेवा निवृति संबंधी नियमों में संशोधन

449. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयु के पूर्व सेवा निवृत्ति संबंधी नियमों में हाल ही में कोई संशोधन किया गया है;

(ख) क्या ये संशोधन 50 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्ति से संबंधित आदेश के बारे में है, यदि हाँ, तो वे संशोधन क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया गया था; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). नियमों में हाल में कोई संशोधन नहीं किया गया है। तथापि संयुक्त परामर्श दात्री व्यवस्था के अधीन गठित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में किये गये विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप इन नियमों के क्षेत्र का स्पष्टीकरण करते हुये अनुदेश जारी किये गये थे, जिसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 322/72]

भूतपूर्व शासकों को अन्तरिम भत्ते की अदायगी

450. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री पम्पन गौडा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व शासकों का प्रिवी-पर्स का अधिकार समाप्त हो जाने के पश्चात् सरकार ने उन्हें अन्तरिम भत्ता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव के बारे में देश की राजनैतिक पार्टियों के विरोध पर सरकार ने ध्यान दिया है; यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या कोई राशि वस्तुतः अदा की गई है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें और आंकड़े क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सरकार ने सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा है और उसका एक मुश्त अनुग्रहात देने का विचार है ताकि भूतपूर्व नरेश बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सके ।

(ग) अभी तक कोई रकम नहीं दी है ।

इण्डियन इन्डीपेंडेंस लीग (अन्दमान) के सदस्यों द्वारा किए गए कार्य को मान्यता देना

451. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन इन्डपैंडेंस लीग (अन्दमान) द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किये गये कार्य को मान्यता दी हैं;

(ख) क्या उपरोक्त लीग के सदस्यों के साथ वैसा व्यवहार करने का निर्णय किया गया है जैसा अन्य राजनीतिक पीड़ितों के साथ किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार अन्दमान और पंजाब में डा० दीवान सिंह का जिन्हें सेलुलर जेल, अन्दमान में यातनाएं दी गई थी और फांसी पर लटका दिया गया था, उपयुक्त स्मारक बनाने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या डा० दीवान सिंह का नाम उन राजनीतिक शहीदों की प्लेट में शामिल किया जायेगा जो एतिहासिक सेलुलर जेल में मरे थे; और

(ङ) क्या जिस कोठरी में वह मरे थे उसे भारतीय स्वतंत्रता के इस 25वें वर्ष में डा० दीवन सिंह का स्मारक बना दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिये जाने वाले लाभों के प्रयोजन के लिए भारतीय इंडिपेन्डेन्स लीग के सदस्यों को

आजाद हिन्द फौज के सदस्यों के समान माना जाता है। पेंशन योजना के अन्तर्गत जो 15 अगस्त 1972 से लागू होगी वे पेंशन पाने के पात्र होंगे यदि उन्होंने 6 महीने की कैद की सजा भोगी हो।

(ग) से (ङ.) मामला विचाराधीन है।

रोड रौलरों का उत्पादन

452. **श्री निहार लास्कर :** क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोड रौलरों का उत्पादन बढ़ाने की कोई कार्यवाही की है;

(ख) क्या उनका आयात करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार उनकी माँग को किस प्रकार पूरा करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उत्पादन में लगे एककों को कच्चे माल तथा पुर्जों के आयात के लिए पर्याप्त लाइसेंस दिये गये हैं। उन एककों में से एक के अतिरिक्त माला में उत्पादन करने के सक्षम बनाने हेतु उन के सामान्य आयात के अलावा कुछ जटिल प्रकार के पुर्जों का आयात करने के लिए, लाइसेंस दिया गया है। इसके अतिरिक्त, रोड रौलरों का निर्माण करने के लिए तीन और नई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

भारत की स्वतन्त्रता की 25वीं वर्ष गांठ मनाने के लिए राष्ट्रीय समिति

453. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की स्वतन्त्रता की 25वीं वर्ष गांठ मनाने के लिए कोई राष्ट्रीय समिति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है तथा इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या इस समारोह के कार्यक्रमों के लिए सिद्धांतों को अन्तिम रूप से निर्धारित कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) स्वतन्त्रता की 25वीं वर्षगांठ के लिए राष्ट्रीय समिति के सदस्यों का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3228/72]

(ग) तथा (घ) समारोहों की मुख्य बातों तथा विषय-वस्तु का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

भारत-पाक शिमला समझौते पर शेख अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया

454. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतपाक शिमला समझौते के बारे में शेख अब्दुल्ला की कथित प्रतिक्रिया की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या शिमला समझौते में निहित उपबन्धों के स्वाभाविक परिणाम के रूप में उसने प्लेबिसिट फ्रन्ट के विरुद्ध निषिद्ध आदेशों को वापस लेने की मांग की है;

(ग) क्या शेख अब्दुल्ला ने कश्मीरियों के आत्म-निर्णय के अधिकार का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान और चीन के प्रति सार्वजनिक रूप में आभार प्रकट किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) सरकार ने इस संबंध में कुछ प्रेस रिपोर्ट देखी हैं।

(घ) शेख का कथित वक्तव्य गलत तथा कुमंत्रित है।

इंजीनियरिंग फर्मों द्वारा औद्योगिक मशीनों का निर्माण

455. **श्री निहार लास्कर** : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की इंजीनियरिंग संस्थानों से कहा गया है कि वे बड़े पैमाने पर औद्योगिक मशीनों का उत्पादन करें और यथा संभव मूल्यों को कम रखें;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई अपील की विस्तृत रूप रेखा क्या है; और

(ग) उस पर संस्थानों से क्या उत्तर मिला है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) विभिन्न इंजीनियरिंग उद्योगों में उत्पादन की कमी के विषय में सरकार सतत पुनरीक्षण करती रहती है ताकि उन्हें समाप्त किया जा सके तथा देश में ही पर्याप्त क्षमता की स्थापना करके पुर्वानुमानित मांग की पूर्ति की जा सके। हाल ही में मुद्रण मशीनें, आटा पीसने की मशीनें, बोतलें बनाने की मशीनें तथा प्लास्टिक एक्सट्रूडर, चमड़े की मशीनें, सोडा एश संयंत्र तथा सिन्थेटिक डैटरजैन्ट संयंत्र बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के संभावी उद्यमियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु प्रेस नोट जारी किया गया है। जैसे जैसे आवेदन पत्र प्राप्त होते जाते हैं उन पर कार्य-वाही होती है, व आवश्यक अनुमति दे दी जाती है।

शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए राजस्थान के थार रेगिस्तान में परमाणु परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन

456. **श्री समर गुह** :
श्री रामसहाय पांडे :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अशाही सिम्भुम नाम के टोकियों दैनिक में प्रकाशित तथा

24 जून, 1972 को भारतीय समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत इस वर्ष राजस्थान के थार रेगिस्तान में शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) यह रिपोर्ट कि भारत राजस्थान के थार मरुस्थल में शांतिमय उपयोगों के लिए परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, निराधार है ।

दैनिक मजूरी पर काम करने वाले टैस्ट काल आपरेटरों को नियमित करना

457. **श्री समर मुखर्जी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में तीसरी श्रेणी के पदों पर दैनिक मजूरी के आधार पर नियुक्त टैस्ट काल आपरेटरों को नियमित करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को क्रियान्वित करने में देरी करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में चीन और पाकिस्तान में बने गोला बारूद का बरामद किया जाना

458. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के केलाहारपुर गांव में एक मकान से चीन और पाकिस्तान में बना गोला-बारूद बहुत बड़ी मात्रा में बरामद किया गया है; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कहारपारा (अशरीयाददाह) थाना लालगोला, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के आजहर हुसेन आत्मज मोहमद यूसफ अली नामक व्यक्ति के घर से 90 गोलाबारूद के राउंड-1 पर 'मेड इन चाइना' 59 पर 'पाक आर्डनेस फैक्ट्री' खुदा हुआ था—10 चार्जर और 2 हथगोले बरामद हुए ।

(ख) एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हैं तथा उसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25/27 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 6(3) के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है ।

Manufacture of Scooters in collabration with Italian Firm

459. Shri Sukhdeo Prasad Verma :
Dr. Laxminarayan Pandey :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether an agreement with an Italian firm for the manufacture of Lambretta Scooters has been signed recently; and

(b) if so, the total cost of the Project and other terms of agreement ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India, M/s. Innocenti of Italy and M/s. Aatomobile Products of India Ltd. ,Bombay have signed an agreement on 16.6.72 for the manufacture of Lambrettta Scooters in India. The agreement provides for acquisition of the entire Scooters manufaeturing plant of M/s. Innocenti at Milano, Italy, in"as is where is" conditi. on, togheher with the drawings, designs and tichnical data for the manufacture of the latest models of Lambretta scooter, for a sum of about Rs. 1.5 crores . It is estimated that the fixed capital cost of the project will be Rs. 916 lakhs at commencement for a capacity of 100,000 scooters per annum.

Under the terms of the above agreement, a joint sector company with an authorised capital of Rs. 10 crores will be incorporated for undertking the manufactute and sale of Lambretta Scooters. The Government of India will hold 51% shares of the proposed company, M/s. Innocenti about 20% and the balance 29% of the share will be contributed by M/s. Automobile Products of India Ltd., and the general public.

दिल्ली में शराब पीने के परिणामस्वरूप होने वाली मौतों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

460. श्री एस० सी० सामन्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में शराब पीने के कारण होने वाली मौतों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जाँच के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) भविष्य में असावधानी से अथवा जानबूझकर की जाने वाली इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मौहसिन) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली में शराब पीने के कारण हुई मौतों की जांच नहीं की है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में 5000 टेलीफोन मशीनों का खराब हो जाना

461. श्री एस० सी० समान्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनपथ, नई दिल्ली पर वैस्टर्न कोर्ट की ओर नई क्रास बार ऐक्सचेंज़ चालू होने के तत्काल पश्चात 5000 टेलीफोनों के खराब हो जाने और उनमें से बहुत से टेलीफोनों द्वारा गलत नम्बर मिल जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या एक्सचेंज चालू करने से पहले उपकरणों की ठीक ढंग से जांच पड़ताल नहीं की गई थी;

(ग) इसके लिए कौन से अधिकारी और व्यक्ति जिम्मेदार हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रहा है; और

(घ) क्या इस गलत प्रणाली का हर्जाना टेलीफोन प्रयोक्ताओं को भुगतना होगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) किसी नए एक्चेंसज के चालू करने में कठिनाइयां होती हैं, जिनके कारण कुछ शिकायतें आती हैं। यह सही नहीं है कि यहाँ 5000 टेलीफोन खराब हो गए।

(ख) इसे चालू करने से पहले साज-सामान की पूरी तरह जांच कर ली गई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

परमाणु शक्ति का विकास

462. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत परमाणु शक्ति का तेजी से विकास करने के लिए तकनीकी सुगमता के विचार से पश्चिम जर्मनी के पैंवल बैंड किस्म के रिएक्टर की सम्भाव्यता पर विचार करेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा पश्चिमी जर्मनी के पैवल बैड किस्म के रिऐक्टर की संकल्पना का अध्ययन विस्तारपूर्वक किया गया है। इस अध्ययन का विशेष कारण यह है कि यह एक प्रगत किस्म का रिऐक्टर हैं, जिसके विकास की काफी सम्भावना है। तथापि, इस किस्म के रिऐक्टर भारत में प्रयोग में लाये जा रहे हैं। ईंधन-चक्र के लिए उपयुक्त नहीं है।

मैटल बाक्स कम्पनी लिमिटेड के कार्यकरण की दशा

463. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या धातु डिब्बा उद्योग में मैटल बाक्स कम्पनी लिमिटेड का प्रभुत्व है, और

(ख) यदि हां, तो इसकी परिसम्पत्ति लाभ और लाभाँश आदि का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में इसका भारत के कुल डिब्बा उद्योग में कितना भाग था ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) जी, हां।

(ख) सूचना निम्नप्रकार है।

वर्ष	परिसम्पत्ति	कर से पूर्व लाभ	लाभांश	
			प्रीफेरेन्स शेयरों पर	इक्विटी शेयरों पर
1	2	3	4	5
				(रु० करोड़ों में)
1968-69	18.94	1.90	0.01	0.60
1969-70	20.24	1.26	0.01	0.40
1970-71	23.71	1.69	0.01	0.53

देश में हुए डिब्बों के उत्पादन में कम्पनी का हिस्सा	
1969	53 प्रतिशत
1970	72 प्रतिशत
1971	65 प्रतिशत

पश्चिम बंगाल में श्रमिक संघों के अधिकार बहाल करने संबंधी सी० आई० टी० यू० और यू० टी० यू० सी० से ज्ञापन

464. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में लोकतन्त्रात्मक और श्रमिक संघों के अधिकार बहाल करने के बारे में सी० आई० टी० यू० और यू० टी० यू० सी० (लेनिन सरणी) और मजदूर संघ समन्वय की पश्चिम बंगाल की समितियों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क). जी हां, श्रीमान्।

(ख) ज्ञापन में विधि और व्यवस्था संबंधी मामलों के आरोप निहित होने के कारण उसे जांच करने तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को भेजा गया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल

465. श्री जे० एम० गौडर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल की 12 बटालियनों में नियुक्त भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों और भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्ष 1971-72 के दौरान दो और बटालियनें गठित की गई हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के कितने उपक्रमों के लिए अभी भी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल की व्यवस्था नहीं की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल में भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों की संख्या 89 है और अन्य भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की संख्या 1,221 है।

(ख) 7 बटालियनों के अतिरिक्त, जो 1969-70 में स्वीकृत की गई थी, 1971-72 के दौरान 7 बटालियनें स्वीकृत की गई हैं। 1972-73 में तीन और बटालियनें स्वीकृत की गई हैं।

(ग) लगभग 60।

राज्यों में पुलिस दलों का आधुनिकीकरण

466. श्री जे० एम० गौडर : क्या गृह मन्त्री राज्यों को पुलिस दलों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता के बारे में दिनांक 24 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1571 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में पुलिस दलों का आधुनिकीकरण किया गया है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि दी गई वित्तीय सहायता वास्तव में उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए खर्च की जाती है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). राज्य पुलिस दलों का आधुनिकीकरण करना और एक प्रक्रम है जो एक लम्बे अर्से तक चलता रहेगा। इस संबंध में भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देती है। राज्य सरकारों से उसके प्रयोग के बारे में यह सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट प्राप्त की जाती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यय की जा रही है जिस हेतु उसे दिया गया है।

उत्तर बिहार में सीमेंट का ऊंचा मूल्य

467. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार के बड़े क्षेत्र, विशेषकर सीतामंड़ी में सीमेंट 15 रुपया से 22 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). पर्याप्त संचार सुविधाओं की कमी के कारण प्रसामान्यता उत्तरी बिहार में पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है। गंगा नदी पर उत्तरी तथा दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाली रेलों का भी न होना भी एक प्रमुख कारण है। वर्ष 1971 में दक्षिण बिहार स्थित जपला सीमेंट कारखाना बन्द रहा व इससे बिहार की आपूर्ति स्थिति और बिगड़ी। इस क्षेत्र में आपूर्ति बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाये हैं। बरौनी, पटना तथा वाराणसी में रेल रोड़ के टर्मिनल स्टेशन तथा सीमेंट के खत्ते (डम्प) बनाये गये हैं जिससे उत्तरी बिहार को सड़क के माल ले जाने में सुविधा हो। बिहार सरकार ने भी जुलाई 1972 में सीमेंट नियन्त्रण आदेश लागू कर दिया हैं इसके द्वारा राज्य सरकार स्टाकिस्टों की नियुक्तियां तथा माल की बिक्री पर अब नियन्त्रण रखती है। 5 जुलाई 1972 को जपला फैक्टरी के खुल जाने से आपूर्ति स्थिति में आगे और भी सुधार होगा ऐसी आशा है।

लाइसेंस नीति के उदार बनाये जाने की प्रतिक्रिया

468. श्री हरि किशोर सिंह :
श्री डी० के० पन्डा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 54 मुख्य उद्योगों के लिए उदारतापूर्वक लाइसेंस देने की सरकार की नई नीति की असंतोषजनक प्रतिक्रिया हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विशिष्ट 54 उद्योगों की विद्यमान क्षमता के पूर्ण उपयोग सम्बन्धी सरकार की उदार नीति की प्रतिक्रिया पूर्णरूपेण सँतोषजनक रही है जैसा कि निम्नलिखित प्राप्त आवेदन पत्रों के आंकड़ों से पता चलता है :—

कृतिक बल की सम्मति प्रदान हेतु भेजे जाने वाले विदेशी कम्पनियों तथा बड़े औद्योगिक गृहों के आवेदन पत्र ।	183
अन्य उद्यमियों से प्राप्त आवेदन पत्र ।	387
	561

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व बैंक से लघु उद्योगों को सहायता

469. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक लघु उद्योगों के लिए 150 लाख डालर धन राशि देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने यह राशि मंजूर कर दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो भारत में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए इस राशि का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए विश्व बैंक/आई० डी० ए० से सहायता प्राप्त करने का एक प्रस्ताव इस समय विश्व बैंक के समक्ष विचार की प्रारम्भिक अवस्था में है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

गोआ में परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना

470. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री डी० के० पंडा :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोआ में परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने उस क्षेत्र का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण प्रतिवेदन का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री. इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क)और(ख). परमाणु ऊर्जा बिभाग द्वारा विद्युत स्थल चयन समिति, पश्चिमी विद्युत क्षेत्र, जिसमें गोवा शामिल है, में परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के उपयुक्त स्थलों के चयन के बारे में अध्ययन कर रही है। समिति ने अभी तक गोवा का दौरा नहीं किया है।

(ग) स्थल चयन समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त होने तथा उस पर सरकार द्वारा विचार किये जाने के पश्चात् ही इस बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा कैथोड़-रे ट्यूबें और टी० वी० ट्यूबें बनाने और उनको नया रूप देने के लिए विकसित की गई प्रक्रिया

471. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के तीन वैज्ञानिकों ने कैथोड़-रे ट्यूबें और टी० वी० ट्यूबें बनाने और उनको नया रूप देने की एक प्रक्रिया निकाली है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भारत के इलैक्ट्रानिक उद्योग में एक बड़ी सफलता है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) स्वदेशी कैथोड़-रे ट्यूबें विशेषकर दोलनदर्शी (औसिलि स्कोप) निर्माण-कर्त्ता उद्योगों और सामान्यतः इलैक्ट्रानिक उपकरणीकरण उद्योगों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन० पी० एल०) में विकसित तकनीकी के आधार पर निर्मित 9", 12" या 16" की छोटी चित्र ट्यूबों का निर्माण विशेष रूप से छोटे आकार के टी० वी० सैटों की कीमतों को कम करवाने में सहायक हो सकेगा।

अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में भारत-फ्रांस समझौता

472. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री के० लकप्पा : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष अनुसंधान में सहयोग संबंधी प्रस्तावित भारत-फ्रांस समझौते में संशोधन किए जाने की संभावना है,

(ख) क्या अन्तरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के अन्य पहलुओं का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है; और

(ग) अन्तरिक्ष संबंधी समझौते में संशोधन करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) स (ग) सन् 1963 में जब थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र से सोडियम की वाष्प से युक्त आय भार सहित एक राकेट छोड़ कर हिन्द-फ्रांसिसी संयुक्त परीक्षण किया गया था, तब से लेकर अब तक भारत तथा फ्रांस अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार अत्यन्त ही महत्वपूर्ण सहयोग करते रहे हैं। सन 1972 के अप्रैल, मास में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा फ्रांस के केन्द्रीय राष्ट्रीय अन्तरिक्ष संगठन ने यह निर्णय किया कि वह विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की सम्भावनाओं की जांच करने के उद्देश्य से एक संयुक्त आयोग तथा कार्यकारी वर्ग स्थापित करे।

संयुक्त क्षेत्र सम्बन्धी कारण

473. श्री के० लकप्पा :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के 'संयुक्त क्षेत्र' संबंधी धारणा की अधिक स्पष्ट व्याख्या करने का विचार है;

(ख) क्या राज्यों के उद्योग मंत्रियों ने इस मामले पर विचार विमर्श किया है, और

(ग) यदि हां, तो विचार विमर्श का क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मई, 1971 में बैंकिंग विभाग द्वारा जारी किये गये प्रेस नोट के माध्यम से संयुक्त क्षेत्र की धारणा के मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा की जा चुकी है। फिर भी, विषय के विभिन्न पहलू विचाराधीन हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

समाचार पत्रों के स्वामित्व का प्रसार

474. श्री के० लकप्पा :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों के स्वामित्व के प्रसार सम्बन्धी अनुसचिवीय समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह विचाराधीन है।

राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन की अदायगी

475. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राजनैतिक पीड़ितों को केन्द्रीय राजकोष से पेंशन दी जाती है; और

(ख) कितने राजनैतिक पीड़ितों को राज्य सरकारों के राजकोष से पेंशन दी जाती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) 272 व्यक्तियों को प्रतिमाह 54,420 रुपये दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिन्होंने 1857 के आन्दोलन में भाग लिया था, उनके 13 वंशजों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये दिये जाते हैं।

(ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी।

भारत के पूर्वी भाग में सी० आई० ए० की गतिविधियां

476. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पूर्वी भाग में सी० आई० ए० की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किसी जांच का आदेश दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) और (ख) : सी० आई० ए० समेत विदेशी आसूचना संगठनों की गतिविधियों पर सरकार निरन्तर नजर रखती है। इसके महत्व को समझा जाएगा कि सरकार को उपलब्ध सूचना को प्रकट करना अथवा सरकार उनकी गतिविधियों का प्रतिकार कैसे करती है इसका ब्यौरा देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

आन्ध्र प्रदेश में तहसीलदारों की पदोन्नति

478. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को राजस्व विभाग में आँध्र प्रदेश के कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ अधिमान्य व्यवहार करने के बारे में जी० ओ० एम० एस० 2084 रेवेन्यु, दिनांक 30 नवम्बर, 1961 जारी करने के लिये अपनी सहमति प्रदान की थी;

(ख) क्या 1 नवम्बर, 1956 को सेवा में रत, आन्ध्र तथा तेलंगाना के तहसीलदारों की अन्तिम रूप से तैयार मिली-जुली पद-क्रम सूची भी दिसम्बर, 1970 में केन्द्र सरकार की सहमति से प्रकाशित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो 1 नवम्बर, 1956 से दिसम्बर, 1971 के बीच की अवधि में तहसीलदारों की डिप्टी कलेक्टरों के पद पर पदोन्नतियां किस प्रकार की गई; और

(घ) क्या इस अवधि में अन्तिम रूप से तैयार मिली-जुली पदक्रम सूची की अवहेलना करते हुए आंध्र प्रदेश के कुछ कनिष्ठ अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल कर लिया गया था, और क्या सरकार का विचार तेलंगाना के उन वरिष्ठ अधिकारियों को भी भारतीय प्रशासन के सेवा संवर्ग में शामिल करने का है जिनके साथ न्याय नहीं किया गया था ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया कि अनन्तिम पद-क्रम सूची प्रकाशित करनी पड़ेंगी और उसके विरुद्ध पेश किए गए अभ्यावेदनों पर उपयुक्त सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जायेगा । यह स्पष्टीकरण किया गया था कि अनन्तिम पदक्रम सूची के आधार पर पदोन्नतियां की जा सकेंगी, किन्तु ऐसी पदोन्नतियाँ अन्तरिम स्वरूप की होंगी, जिनके सम्बन्ध में अनन्तिम पदक्रम सूची के प्रकाशित होने पर पुनरीक्षण किया जाएगा ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान ।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 1-11-1956 को तहसीलदारों की अनन्तिम मिली-जुली पदक्रम-सूची के आधार पर पदोन्नतियां की गई थीं जिन्हें उनके दिनांक 21-1-1964 के सामान्य प्रशासन विभाग के जी० ओ० एम० संख्या 64 द्वारा अनुमोदित किया गया ।

(घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1-11-1956 को जो अधिकारी तहसीलदार के पद पर थे वे वर्ष 1969 में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के चयन के विचारार्थ पात्र हुए । भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के उपबन्धों के अनुसार, चयन समिति दिसम्बर, 1969 में बैठी और उसने भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये जाने वाले 22 अधिकारियों की एक सूची तैयार की । चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 22 जुलाई, 1970 को अनुमोदित किया गया था, जिस तिथि से यह चयन सूची बनी । राज्य सिविल सेवा के चयन सूची में शामिल किए गए अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्तियां उसी क्रम से की जाती हैं, जिस क्रम से चालू चयन सूची में उनके नाम आते हैं । भारतीय प्रशासनिक सेवा की चालू चयन सूची में पहले दो अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा की गई नियुक्तियों को तदनुसार 7 जनवरी, 1972 को अधिसूचित किया गया है । राज्य सिविल सेवा के सदस्यों की नई चयन सूची को पदक्रम सूची के आधार पर अन्तिम रूप से तैयार किया जायेगा और भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्तियां, जब यह (नई चयन सूची) लागू होती है, उनके संदर्भ में की जायेंगी ।

पश्चिम बंगाल चलचित्र उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

479. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी ।
श्री हरी सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र उद्योग के सम्बन्ध में, गत मास कलकत्ता को भेजे गये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अध्ययन दल से कोई प्रतिवेदन उनके मंत्रालय को मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिवेदन में किसी विशिष्ट उपाय अथवा सिफारिश का उल्लेख हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना कौर प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं, दल को अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1972 तक देनी है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों में टेलीविजन केन्द्रों के लिए स्वीकृत राशि

480. श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में टेलीविजन केन्द्रों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ख) देश में इस समय कार्य कर रहे केन्द्रों की मुख्य रूप-रेखा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में ये केन्द्र कहां-कहां खोले जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) (क) : सूचना संलग्न विवरण में दी हुई है।

(ख) दिल्ली टेलीविजन केन्द्र ही एक केन्द्र हैं जो देश में इस समय कार्य कर रहा है। इसके कार्यक्रम दिल्ली के इर्द-गिर्द 60 कि० मी० तक सुने जाते है और यह 11,300 वर्ग कि० मी० क्षेत्र का तथा 73 लाख जनसंख्या को कवर करता है।

(ग) बम्बई, श्रीनगर तथा अमृतसर टेलीविजन केन्द्रों के वर्ष 1972 की समाप्ति से पहले चालू हो जाने की उम्मीद है। लखनऊ (कानपुर में रिले सुविधाओं सहित), कलकत्ता और मद्रास टेलीविजन केन्द्रों के वर्ष 1973-74 की समाप्ति से पहले तथा दुर्गापुर तथा आसनसोल में दो आफ एयर रिले केन्द्रों के 1975 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	टेलीविजन केन्द्र का नाम	परियोजना के लिए स्वीकृति राशि (लाख रुपयों में)
1.	महाराष्ट्र	बम्बई / पूना	223.67
2.	जम्मू तथा काश्मीर	श्रीनगर	204.78
3.	पंजाब	अमृतसर	75.60
4.	पश्चिम बंगाल	(1) कलकत्ता	190.59
		(2) दुर्गापुर तथा आसनसोल में आफ एयर रिले केन्द्र	110.40
5.	तमिलनाडु	मद्रास	182.76
6.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ / कानपुर	300.33
7.	दिल्ली	दिल्ली—दिल्ली टेलीविजन केन्द्र की सुविधाओं में वृद्धि	424.95

अधिकारियों के विरुद्ध मामलों की छानबीन करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समितियां नियुक्त करने के लिए राज्य सरकारों को दिए गये अनुदेश

481. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को उन अधिकारियों के मामलों की छान-बीन के लिए जिनकी सामान्य ख्याति खराब थी, गोपनीय रिपोर्टें खराब थी और जिन्हें अनिवार्यतः सेवा निवृत्त करने के लिये उनके ईमानदारी प्रमाण-पत्र वापस ले लिये गये थे उच्च शक्ति प्राप्त समितियां नियुक्त करने के लिये कोई अनुदेश दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग मे राज्य मंत्री (**श्री राम निवास मिर्धा**) : (क) तथा (ख) . अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16 के उप-नियम (3) में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकार के परामर्श से अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को जिसने 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो या 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, लोकहित में सेवानिवृत कर सकती है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की लोकहित में सेवा निवृत्ति करने के लिए सिफारिश करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा मानदण्ड के बारे में, अनुदेश जारी किये हैं। इन अनुदेशों में, अन्य बातों के साथ साथ, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की समितियां गठित करने की व्यवस्था है जो कि अखिल भारतीय सेवा के 50/55 वर्ष की आयु के सदस्यों को सेवा में बनाए रखने एवं उपयुक्तता के निर्धारण को ध्यान में रखते हुए उनके मामलों का पुनरीक्षण करती है। समितियों की सिफारिशें राज्य सरकारों द्वारा अपने विचारों सहित केन्द्रीय सरकार को भेजी जाती हैं जो कि अन्तिम निर्णय लेती है।

इन्टरनेशनल यूनियन आफ रेलवे की स्वर्ण जयन्ती पर विशेष डाक-टिकट जारी करना

482. श्री राम कंवर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के इण्टरनेशनल यूनियन आफ रेलवे की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर विशेष डाक टिकट जारी करना था;

(ख) क्या डाक टिकटों का जारी किया जाना अन्तिम समय पर स्थगित कर दिया गया था, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्री (**श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा**) : (क) और (ख) . जी हां।

(ग) रेलवे बोर्ड ने इंटरनेशनल यूनियन आफ रेलवे की स्वर्ण जयन्ती के लिए एक फ्रांसीसी कलाकार द्वारा तैयार किए गए एक पोस्टर का डिजायन भेजा था और यह अनुरोध किया था कि इसे इस अवसर पर निकाले जाने वाले डाक टिकट के लिए अपना लिया जाए। जैसा कि ऐसे मामलों में सामान्य रूप से किया जाता है, इस डाक टिकट के डिजाइन में भी कलाकार का हस्ताक्षर शामिल नहीं किया गया था। यह डाक टिकट 8 जून, 1972 को जारी किए जाने के लिए तैयार था।

चूंकि फांसीसी कलाकार यह चाहता था कि उसका हस्ताक्षर डाक-टिकट पर छपना चाहिए, इसलिए इसे जारी करना स्थगित कर दिया गया था। तथापि बाद में वे इस बात के लिए मान गये कि उनके हस्ताक्षर के बिना उनका डिजायन डाक-टिकट के लिए ले लिया जाए, बशर्ते कि डाक टिकट के साथ प्रकाशित प्रचार पुस्तिका में समुचित ढग से इसका उल्लेख कर दिया जाए। आखिरकार यह डाक-टिकट 30 जून, 1972 को निकाला गया।

राष्ट्रीय डाक संहिता

483. श्री राम कंवर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शीघ्र डाक पहुंचाये जाने के लिए डाक तथा तार विभाग एक राष्ट्रीय डाक संहिता पारित करने के बारे में विचार कर रहा हैं; और

(ख) उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है, जिसमें पिन कोड पद्धति की मुख्य विशेषतायें दी गई हैं। इसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है।

विवरण

पत्र बांटने के लिए पिन कोड का प्रयोग

डाक-तार विभाग ने डाक बांटने वाले हर डाकघर के लिए एक कोड नम्बर का प्रयोग आरम्भ करने का निश्चय किया हैं। यह पद्धति स्वतन्त्रता की 25 वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 1972 से आरम्भ की जायेगी। शुरू में विभागेतर शाखा डाकघरों के लिए कोड नम्बरों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी तरह जनता को यह सलाह दी जाएगी और उससे आशा की जाती है कि वह बीच की अवधि में पहले की तरह पूरा पता लिखती रहेगी और पते की अन्तिम पंक्ति में पिन कोड नम्बर जोड़ देगी।

इसके लिए देश को आठ हिस्सों में बाँटा गया है। हर क्षेत्र के लिए एक नम्बर नियत किया गया है। इसी तरह हर डाकघर के लिए एक संख्या का इस्तेमाल किया जायेगा। इसमें 6 अंक होंगे। इस संख्या का पहला अंक उस क्षेत्र के लिए दिया गया नम्बर होगा। क्षेत्रों के लिए नम्बर इस प्रकार होंगे :

नम्बर 1 दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के लिए।

2. उत्तर प्रदेश के लिए।
3. राजस्थान और गुजरात के लिए।
4. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए।
5. मैसूर और आंध्र के लिए।
6. तमिलनाडु और केरल के लिए।

7. पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मिजोराम, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के लिये ।

8. बिहार के लिए ।

कोड नम्बर का दूसरा अंक उप क्षेत्र और डाक-मार्ग के लिए होगा । तीसरा अंक प्रत्येक क्षेत्र में एक निश्चित इलाके और उसमें आने वाले डाकघरों के लिए होगा ।

छह अंकों के इस कोड नम्बर के अन्तिम तीन अंक एक खास डाकघर के लिए होंगे । आगे जो भी डाकघर खुलेंगे और डाक बाँटने का काम करेंगे, उनके खोले जाने के समय ही उन्हें एक नम्बर दे दिया जाएगा । इस समय जो वितरण क्षेत्र नम्बर प्रचलित है उनमें कोई परिवर्तन किए बिना ही उन्हें पिन कोड में शामिल कर लिया गया है ।

क्योंकि पिन कोड पद्धति के अन्तर्गत हर छंटाईकार के लिए देश की भौगोलिक जानकारी रखना आवश्यक नहीं होगा, इसलिए उनके लिए काम सरल हो जाएगा ।

उदाहरण के तौर पर दिल्ली नगर वितरण जिले को नम्बर 110 दिया जा रहा है । इस तरह नई दिल्ली नम्बर 11 का पिन कोड नम्बर 110011 होगा और मद्रास नम्बर 7 का मद्रास 600007 होगा ।

डाकघर गाइडों की ही तरह डाक बांटने वाले सभी डाकघरों के पिन कोड नम्बरों की डाइरेक्टरियाँ जनता को बिक्री के लिए सप्लाई की जायेगी ।

प्रमाणीकृत
(हेमवती नन्दन बहुगुणा)
संचार मन्त्री ।
भारत सरकार ।

97—3/70-पी० आर० पी०

पिछड़े क्षेत्र में घाटे पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलना

484. श्री राम कंवर :
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग ने पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में घाटा सहन करने के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए नीति को उदार बनाया है; और

(ख) ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन घर किन-किन स्थानों पर खोले जा रहे हैं तथा इससे सरकारी आय में कितना घाटा होने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन घर किन-किन स्थानों पर खोले जायें, इसके लिए सर्कलों से प्रस्ताव मंगाए गए हैं । इन प्रस्तावों की जाँच करने और मंजूरी देने के बाद ही ऐसी योजनाओं पर होने वाले घाटे का पता चल सकेगा ।

दोषपूर्ण ेखा व्यवस्था के लिए दिल्ली टेलीफोन के कर्मचारियों को परेशान किए जाने का आरोप

485. **श्री राम कंवर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोनस की एड्मिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यूनियन ने सरकार से शिकायत की है कि कुछ अधिकारी हिसाब करने की दोषपूर्ण प्रणाली के बारे में जनता से शिकायतें मिलने पर कर्मचारियों को परेशान करते हैं,

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गलत बिल भेजने के बारे में जनता से प्राप्त विभिन्न शिकायतों की मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रकार की शिकायतें मिलने पर सामान्यतः यदि कोई कार्यवाही की जाती है तो वह क्या है; और

(घ) दिल्ली टेलीफोनस कार्यालय में जिन शिकायतों को अभी निपटाया जाना है, उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगणा) : (क) और (ख). जी हां, लेकिन उसमें कर्मचारियों को सताये जाने का जो आरोप लगाया गया है वह सही नहीं है ।

(ग) उपभोक्ताओं की शिकायतें सामान्यतया मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं ।

(1) मीटर पर स्थानीय कालों के ज्यादा आने का आरोप

(2) जो सामान लगाया नहीं गया है, उसका बिल भेजने का आरोप

(3) उपभोक्ता द्वारा न किए गए ट्रंक कालों के बिल भेजने सम्बन्धी आरोप

(4) गलत समय या काल का गलत वर्गीकरण करने के परिणामस्वरूप ट्रंक कालों के चार्ज गलत लगाने सम्बन्धी आरोप

(5) बिलों के भुगतान करने के बावजूद भी गलत तरीके से टेलीफोन काट दिये जाने सम्बन्धी आरोप

शिकायतों की जाँच की जाती है और जहां औचित्य होता है, वहां राहत दे दी जाती है ।

(घ) शिकायतों का प्राप्त होना और उनका निपटान करना लगातार चलता रहता है । शिकायतें जिस प्रकार की होती हैं, उनका उल्लेख ऊपर (ग) में किया गया है ।

संयुक्त क्षेत्र को औद्योगिक नीति का अंग बनाना

487. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई औद्योगिक नीति के एक अंग के रूप में संयुक्त क्षेत्र बनाने के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो 1948 और 1956 के औद्योगिक नीति के संकल्पों से यह प्रस्ताव किस सम्बन्ध में तथा कहां तक भिन्न है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच समिति की सिफारिशों में 'संयुक्त क्षेत्र' के सिद्धान्त का स्पष्टीकरण दिया गया था। फरवरी 1970 में अपनी संशोधित लाइसेंसिंग नीति घोषित करते समय सरकार में सिद्धान्त रूप से यह धारणा स्वीकार की थी। इसमें प्रबन्धकीय कार्यों में, विशेषकर नीति निर्धारण के स्तर पर उन परियोजनाओं में जिन्हें लोक वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त सहायता मिली है, अधिकाधिक भाग लेना निहित है। यह निश्चय किया गया है कि लोक वित्तीय संस्थानों को पूर्णतया अथवा आँशिक रूप से भविष्य में दिये जाने वाले ऋण तथा ऋण पत्रों को नियत समय में इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प प्राप्त होना चाहिये। विगत काल के ऋण अथवा ऋण-पत्रों के विषय में भी जहां अवहेलना हुई है, सम्बन्धित वित्त संस्थानों को परिवर्त्यता के लिए बातचीत करने का विशेकाधिकार प्राप्त होगा। इस विषय में मई, 1971 में जारी किये गए प्रेस नोट के माध्यम से स्पष्ट मानदण्ड तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त बता दिये गये है।

(ख) जैसा कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के पैराग्राफ 8 और 10 के देखने से पता चलेगा 'संयुक्त क्षेत्र' की यह धारण उस संकल्प के अनुरूप ही है।

डाक से भेजे गए लिफाफों पर से डाक टिकटों की चोरी

488. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 25 जून, 1972 के पटना से प्रकाशित, 'डेली इण्डिन नेशन, में छपे इस समाचार की जानकारी है जिसमें डाक में भेजे गए लिफाफों नर लगी डाक टिकटों की बड़े पैमाने पर चोरी किए जाने का उल्लेख हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) 19-6-72 को पोस्टमास्टर जनरल को यह सूचना मिली कि 'इण्डियन नेशन' के स्टाफ रिपोर्टर को चांदमारी मुहल्ला, पटना में सड़क के किनारे कुछ ऐसे पत्र मिले हैं जिन पर से डाक टिकट स्पष्टतः उतार लिए गए थे। पोस्टमास्टर जनरल ने इसकी सूचना तत्काल बिहार खुफिया विभाग के अधिकारियों को दी। वे इसकी तफतीश कर रहे हैं।

अशोक पेपर मिल्स लि०, दरभंगा का आसाम को स्थानान्तरण

489. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **औद्योगिकी विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में दरभंगा की जनता रामेश्वरनगर में पहले से स्थापित कागज मिल (अशोक पेपर मिल्स लि०) का वहां से आसाम को स्थानान्तरण का विरोध कर रही है,

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं, और

(ग) क्या वर्तमान प्रस्ताव में एसा संशोधन करने का प्रस्ताव है कि रामेश्वरनगर में पहले से स्थापित कागज मिल को वहीं रहने दिया जाये और केवल लुगदी संयंत्र ही आसाम को स्थानान्तरित किया जाये ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रूस के साथ सीधा दूर संचार सम्पर्क

490. श्री एम० ए० संजीवी राव :
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के साथ सीधा दूर संचार सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) भारत और रूस के बीच उच्च आवृत्ति दूर संचार सम्पर्क मौजूद है। फिर भी भारत और रूप के बीच सूक्ष्मतरंग परिवर्त प्रकीर्णन (ट्रापोस्केटर) सम्पर्क स्थापित किए जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

मद्रास में टेलीविजन केन्द्र

491. श्री अरविन्द नैटम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास में प्रस्तावित टेलीविजन केन्द्र के लिए 37 लाख रुपए की राशि मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री आइ० के० गुजराल): (क) तथा (ख) मद्रास में 1 करोड़, 82 लाख, 76 हजार रुपए की लागत से एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में दी गई 37 लाख रुपए की मंजूरी टेलीविजन स्टूडियो के लिए भवनों के निर्माण के लिए है ।

केन्द्र में 10 किलोवाट का एक ट्रांसमीटर होगा और वह 20 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा 61 लाख जनसंख्या को कवर करेगा । टेलीविजन केन्द्र के लिए भवन निर्माण का कार्य तमिल नाडु लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है । उम्मीद है केन्द्र दिसम्बर, 1973 तक चालू हो जाएगा।

Demand for P. C. Os in Madhya Pradesh Villages

492. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the number and names of villages and towns in Jhabua-Ratlam Districts (Madhya Pradesh) where demand for setting up Public Call Offices has been made by the public ; and

(b) the action taken thereon by Government ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Demand has been received from 10 villages in Jhabua District and 10 villages in Ratlam District of Madhya Pradesh for opening public call offices. No such demand has been received from any towns in both these districts.

(b) In Jhabua District, two Public Call Offices have been opened, six proposals have been rejected being unremunerative and two proposals are under examinations.

In Ratlam Distsict four Public Call Offices have been opened, two proposals have been sanctioned and four have been rejected being unremunerative.

Direct Telophone to Indore

493. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the date on which the demand for starting a direct telephone service for Indore via Kukshi and Dhar was received in the Department from the people of Alirajpur in Jhabua District of Madhya Pradesh and the action taken by the Department thereon so far ;

(b) whether the said line was operating previously and was discontinued lateron ; and

(c) whether the orders for the re-opening of the said line had also been issued by the Department, Bhopal Circle ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a). No such specific demand was received.

(b) No.

(c) In view of (a) and (b) above, the question does not arise. However, a proposal for linking Alirajpur with Dhar via Kukshi and via Jhabua is under examination. This would facilitate connection from Alirajpur to Indore.

Celebration of 25th Anniversary of India's Independence

494. **Shri Hari Singh:**
Shri Jagannathrao Joshi:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the main features of celebrations of the 25th Anniversary of Independence;

(b) the number of persons proposed to be provided employment by Government on this occasion and the percentage of jobs to be provided to the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(c) whether land would also be given to the landless if so, their total number. as as also of landless persons of U.P. , separately to whom land wouldbe given, district-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) A statement is laid on the table of the House. [Placed in the Library. See No L. T. 3229/72]

(b) & (c) : These items in the 25th Anniversary programmes are merely an emphasis upon the Plan Schemes and not new schemes for the celebration.

Manufacture of Small Car

495. **Shri Hari Singh :**
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether a final decision has been taken in regard to the scheme of small car project ;

(b) the expenditure incurred so far on the said scheme as also further expenditure likely to be incurred thereon hereafter ; and

(c) the names of persons granted licences for manufacture of small car and the time by which the said car will be available in the market for sale ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri. Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir. This will have to be considered in the context of the plan priorities.

(b) No expenditure has so far been incurred on the scheme as such.

(c) The names of the parties who have been granted letters of intent for manufacture of passenger cars in the private sector are given as under :

(a) **For Industrial Licence**

1. M/s Maruti Limited,
   Palam Gurgaon Road,
   Gurgaon (Haryana).
2. Shri M. Madan Mohan Rao,
   Madras.
3. Shri Manubhai H. Thakkar,
   Baroda.
4. M/s Allied Engineering Corporation,
   Salem.
5. Shri Som Prakash Rekhi,
   Delhi.

(b) **For registration with DGTD.**

1. M/s. Speedcrafts Private Ltd.,
   Patna.
2. M/s. Airtech Private Ltd.,
   New Delhi.
3. M/s. Anandji Haridas & Co., Private Ltd.,
   Bombay.
4. Shri S. Chanda,
   New Delhi.

The parties who have been granted letters of intent are new entrepreneurs and are required to develop their own designs without any foreign collaboration or foreign consultancy arrangements. Thereafter, they have to build proto-types and get them tested for road-worthiness by a designated competent authority before going into commercial production. These steps will necessarily take time. It is, therefore, difficult to indicate at this stage the time by which production will start.

सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा बड़े अफसरों की धांधली के बारे में प्रस्तुत ज्ञापन

496. श्री हरि सिह :
श्री वीरेन दत्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बड़े अफसरों की धांधली के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस ज्ञापन को सभा-पटल पर रखेगी; और

(ग) उपरोक्त ज्ञापन पर विचार करने के पश्चात सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उटता ।

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में "कैरियर मैनेजमेंट यूनिट" स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव

497. **श्री हरि सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का किसी कार्य के लिए उचित किस्म के अधिकारियों को तैयार करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में "कैरियर मैनेजमेंट यूनिट" स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : जी हां, श्रीमान् । प्रत्येक कार्य के लिए उचित किस्म के अधिकारियों का चयन करने में आसानी पैदा करने के आधारभूत उद्देश्य को लेकर, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्य ब्यौरे एकत्रित करने तथा अवर सचिव से लेकर संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के पदों के लिए कार्य योग्यता स्तर तैयार करने के लिए, "कैरियर मैनेजमेंट सेल" स्थापित किए जा रहे हैं । हाथ में लिए गए इस विश्लेषण के कार्य में वैज्ञानिक या तकनीकी पदों को शामिल नहीं किया गया हैं ।

अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय तार और टेलीफोन निगम द्वारा दोषपूर्ण केबलों की सप्लाई

498. **श्री पी० के० देव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय तार और टेलीफोन निगम ने भारत को दोषपूर्ण केबलों की सप्लाई की;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले के बारे में आई० टी० टी० के साथ बातचीत की है; और

(ग) आई० टी० टी० की प्रतिक्रिया क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं । मेसर्स इंटरनेश्नल टेलीग्राफ एण्ड टेलीफोन कारपोरेशन से कोई केबिल नहीं खरीदे गए हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों को कठिनाइयां

499. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में इस समय उद्योगों, विशेषकर लघु उद्योगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : एक विवरण साथ में संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3230/72]

भारत इलैक्ट्रानिक्स द्वारा निर्मित 100 किलोवाट का प्रसारण ट्रांसमीटर

500. श्री राजदेव सिंह :
श्री के० बालतण्डायुतम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स ने 100 किलोवाट का प्रसारण ट्रांसमीटर बनाया है ;

(ख) क्या अब भारत इलेक्ट्रानिक्स आकाशवाणी "मीडियम वेव" के ट्रांसमीटरों की सभी आवश्यकताएं पूरी करने की स्थिति में है;

(ग) क्या इसने एक और 10 किलोवाट के "मीडियम वेव" के प्रसारण ट्रांसमीटर तैयार किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में देश के सभी भागों में प्रसारण केन्द्रों का जाल बिछाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) से (ग) : जी, हां।

(घ) आशा है चौथी योजना के अन्त तक लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या मीडियम वेव प्रसारणों को सुन सकेगी। पाँचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान यह प्रतिशतता और बढ़ जायेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा ग्रिड

501. श्री राजदेव सिंह : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के इलैक्ट्रानिक प्रणाली प्रभाग ने उपग्रह स्थलीय मिश्रित प्रणाली पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा ग्रिड अथवा राष्ट्रीय सूचना ग्रिड स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, जिससे कि प्रत्येक ग्राम में टेलीविजन सैट के लिए कार्यक्रम प्रेषित किया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) एक उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन परीक्षण, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में बसे हुए लगभग 5,000 ग्रामों तक शिक्षाप्रद तथा ज्ञानवर्धक दूरदर्शन कार्यक्रमों को प्रसारित करना है, शुरू किया जा रहा है। यह परीक्षण, जिसके सन् 1974

के मध्य में प्रारम्भ किये जाने की आशा है एक ऐसी मिश्रित प्रणाली की जाँच करने में सहायक होगा जिसमें दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण तथा अभिग्रहण का कार्य एक उपग्रह तथा भूमि पर लगे उपकरणों के जाल में तालमेल स्थापित कर के किया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल और बिहार से लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र

502. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जुलाई, 1972 तक पश्चिम बंगाल और बिहार के औद्योगिक लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) आवेदकों के नाम क्या हैं तथा आवेदन-पत्रों की अन्य विशेषतायें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बिहार और प० बंगाल से 1-1-72 से 30-6-72 की अवधि में औद्योगिक लाइसेंस के लिए क्रमशः 42 और 113 आवेदन प्राप्त हुए । जुलाई 1972 के अपेक्षित आंकड़े अभी संकलित किए जाने हैं ।

(ख) अनिर्णीत आवेदन पत्रों के विवरणों को सामान्यतः बताया नहीं जाता है ।

दिल्ली टेलीविजन केन्द्र में कथित भाई-भतीजावाद

503. **डा० रानेन सेन : सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीविजन केन्द्र के कर्मचारी टेलीविजन केन्द्र में फैले भाई-भतीजावाद के मामलों से क्षुब्ध हैं और उन्होंने इस मामले में मंत्री महोदय से शिकायत की है और काम बन्द कर देने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन की शिकायतों की जाँच की है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Number of hours of News broadcast over A. I. R.

504. **Shri Jaganathrao Joshi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the totat number of hours for which news were broadcast in the various languages separately from the various Stations of All India Radio during the week from the 4th March to llth March. 1972;

(b) the time (in minutes) out of it spent separately for the coverage of the programmes and the statements of the Prime Minister and other Central Ministers vis-a vis the programmes and statements of the leaders of various political parties (Party-wise); and

(c) the decided policy in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri I.K. Gujral) : (a) 180 hours—O3 minutes. (except for Kozhikode for which information is not immediately available).

(b) (i) Coverage to Prime Minister & other Central Ministers 12 hrs. 57 mts,

(ii) Other Parties

I.	DMK	34 mts.	
2.	Swatantra	31 mts.	
3.	CPI	20 mts.	o5 secs.
4.	CPM	9 mts.	45 secs.
5.	Jan Sangh	4 mts.	10 secs.
6.	Muslim League	...	20 sece.
7.	Congress (O)	5 mts.	30 secs.
8,	Congress	21 mts.	
9.	Others	24 mts.	
		149 mts.	50 secs.

(c) During the pre-poll and poll period All India Radio does not broadcast any statement or story emanating from any political party which carries party propaganda or electioneering. However, speeches by the Prime Minister and Central and State Ministers on policy matters and Government decisions, and speeches and statements by leaders of political parties, not related to electioneering. are broadast.

Demonstrations to make A.I.R. an Autonomous Organisation

505. **Shri Jagannthrao Joshi :** Will the Minister of **Information & Broadcasting** qe pleased to state :

(a) the number of All India Radio Stations where demonstrations were held during the month of June for making A.I.R. an autonomous organisation and the number of persons arrested in these demonstrations as also the names of M.Ps. and Legislators arrested; and

(b) the bread outlines of the memoranda submitted in this regard as also the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri I.K. Gujral) : (a) Jan Sangh oraganised demonstrations were held in 51 Stations/Centres of All India Radio. Information relating to the number of persons arretted as also the names of M. Ps and Legislators arrested is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

(b) The memoranda demanded the conversion of A.I.R. into an autonomous corporation as recommended by Chanda Committee.

त्रिपुरा में आदिवासियों के विरुद्ध केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा बी० एम० पी० को तैनात करना

506. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार के त्रिपुरा के चम्पापुरा गांव के आदिवासियों के विरुद्ध केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा बी० एम० पी० तैनात करने से पहले सरकार की पूर्णानुमति प्राप्त की थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा बी० एम० पी० ने 25 तथा 26 मई, 1972 को चम्पापुरा गाँव (आदिवासी) पर हमला किया तथा आदिवासियों के झोंपड़ों को नष्ट किया, उनकी सम्पत्ति को लूटा, आदिवासी महिलाओं तथा लड़कियों को पुलिस ने पीटा और स्त्रियों व पुरुषों की अन्धाधुन्ध गिरफतारियां की; और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार का विचार चम्पापुरा के आदिवासियों पर पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा किये गये अत्याचार के विरुद्ध कोई जांच कराने का है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) जी नहीं, श्रीमान् । किसी राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र की सहायता के लिए उनके अधिकार में जब एक बार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अथवा सशस्त्र पुलिस की बटालियन सौंप दी जाती है तो राज्य संघ राज्य क्षेत्र के भीतर प्रयोग के लिए भारत सरकार से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती ।

(ख) तथा (ग) : स्थानीय पुलिस को गांव चम्पापुरा में अवैध शराब बनाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई और स्थानीय पुलिस के एक दल ने 25 मई, 1972 को गांव में छापा मारा । अवैध शराब बनाने के काफी संख्या में उपकरण बरामद हुए । गांव के लगभग 150 व्यक्तियों और महिलाओं की एक भीड़ ने पुलिस दल पर आक्रमण किया । तीन उप निरीक्षकों, एक सहायक उप-निरीक्षक, एक कांस्टेबल तथा एक होम गार्ड जख्मी हुए । बी० एम० पी० एक कम्पनी के साथ एक पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने 26 मई, 1972 को गांव में छापा मारा और 2 व्यक्ति तथा 8 महिलाएं गिरफ्तार कीं जिन्हें पहचान लिया गया था कि पहले रोज उन्होंने पुलिस पर आक्रमण करने में हिस्सा लिया था । इस घटना के बारे में कुछ प्रचार हुआ है और उसकी जांच के आदेश दे दिये गये हैं जिसे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा रहा है ।

त्रिपुरा में कागज का कारखाना खोलने के लिए विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट

507 श्री दशरथ देव : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में त्रिपुरा में एक कागज का कारखाना खोलने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई विशेषज्ञ दल नियुक्त किया है ;

(ख) क्या इस दल ने सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) जी. नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

त्रिपुरा में डाक टिकटों, लिफाफों आदि की कमी

508. श्री दशरथ देव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिपुरा में गत दो महीनों से डाक टिकटों, लिफाफों और अन्तर्देशीय पत्रों की अत्यधिक कमी रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) पिछले दो महीनों में अगरतला प्रधान डाकघर में 2 रुपये के मूल्य के डाक टिकटों की कमी केवल एक दिन रही और दो पैसे के मूल्य के डाक टिकटों की आंशिक कमी केवल 6, 7 और 8 जून, 1972 को रही थी। 2 रुपये के मूल्य के डाक टिकटों की कमी दूसरे मूल्य वर्ग के टिकटों को मिला कर पूरी की गई थी।

जहां तक 2 पैसे के मूल्य के डाक टिकटों का प्रश्न है, 300 टिकटों का थोड़ा सा स्टाक उपलब्ध था जिसकी पूर्ति नजदीक के प्रधान डाकघरों से की गई थी। इसी बीच, स्थानीय खजाने के पास डाक टिकट नियंत्रण नासिक से भी टिकटों की सप्लाई प्राप्त हो गई थी। सभी सम्बन्धित डाकघरों को इस बात की सख्त हिदायत कर दी गई है कि वे भविष्य में पहले से ही कार्यवाही कर लें ताकि डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की सप्लाई में किसी तरह की कमी न आए।

उद्योगों के आरम्भ करने हेतु केरल से लाइसेंसों के लिए विचाराधीन पड़े आवेदन पत्र

509. **श्री एन० श्रीकांतन नायर** : क्या औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में उद्योग आरम्भ करने हेतु केरल सरकार तथा अन्य एजेंसियों से लाइसेंसों के लिए प्राप्त बहुत से आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़े हैं और यदि हां, तो ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है और किस प्रकार के हैं; और

(ख) क्या राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की भीषण समस्या को देखते हुए केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसे आवेदन पत्रों पर विशेष ध्यान देने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केरल में उद्योग प्रारम्भ करने सम्बन्धी केरल सरकार से प्राप्त कोई भी आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है। किन्तु केरल में उद्योग स्थापित करने के बारे में केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम से 5 तथा अन्य पार्टियों से 20 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से अधिकांश आवेदन पत्र हाल ही में प्राप्त हुए हैं जैसा कि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है।

क्रमांक	आवेदन पत्र देने का वर्ष	विचाराधीन आवेदन पत्र
1	1969	1
2	1)70	2
3	1971	8
4	1972	14
	(30 जून, 1972 तक)	25

विचाराधीन आवेदन पत्रों का ब्यौरा जैसे, बनाई जाने वाली वस्तुएं पार्टी का नाम, आदि साधरणतया बताए नहीं जाते हैं।

(ख) सभी राज्यों से मिले आवेदन पत्नों पर यथाशीघ्र विचार करने का यथासंभव प्रयत्न किया जाता है ।

केरल में 'बार स्विचिंग' उपकरण

510. श्री एन० श्रीकान्तन नायर :
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'क्रास बार स्विचिंग' उपकरण एकक स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थानों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों के किसी दल ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया है और यदि हां, तो उस दल की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या विशेषज्ञ दल ने केरल में पालघाट को परियोजना की स्थापना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान बताया है; और

(ग) यदि हां, तो उस स्थान पर परियोजना को कब आरम्भ किया जा रहा है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग). विशेषज्ञों के एक दल ने दूसरे स्विचिंग कारखाने की स्थापनार्थ स्थान की सिफारिश करने के लिए कई राज्यों की यात्रा की थी ।

उनकी सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

केरल राज्य के लिए वर्ष 1972-73 के लिए रोजगार प्रधान संयोज्य योजना

511. श्री एन० श्रीकांतन नायर :
डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने वर्ष 1972-73 के लिए रोजगार प्रधान संयोज्य योजना का प्रस्ताव किया है, और यदि हां, तो राज्य द्वारा कितनी सहायता की माँग की गई है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना की जांच पड़ताल की है और यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय दिया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). जी हाँ । राज्य की 1972-73 की वार्षिक योजना तैयार करते समय केरल सरकार ने 43 करोड़ रुपये का एक रोजगार प्रधान कार्यक्रम भेजा था जिसमें 14.8 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में मांगे गये थे । योजना आयोग में इन प्रस्तावों पर विचार किया गया था । केरल सरकार द्वारा सुझायी गई वभिन्न स्कीमों के सापेक्षक महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य की वार्षिक योजना के 64 करोड़ रुपये की स्वीकृत परिव्यय में 40 लाख रुपये की व्यवस्था लघु सिंचाई कार्यक्रम तथा 3 लाख रुपये की व्यवस्था आदिम जाति खण्डों तथा हरिजन क्षेत्रों की भूमि संरक्षण स्कीमों के लिए की गई है । राज्य की वार्षिक योजना के परिव्यय के लिए 33.95 करोड़ रुपये की व्यवस्था

केन्द्रीय सहायता से तथा 30.05 करोड़ रुपये की व्यवस्था राज्य के संसाधनों से होगी। साथ ही चालू वर्ष के लिए 356 लाख रुपये के परिव्यय वाली और विशेष रोजगार स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। इनके लिए राज्य सरकार को अनुदान के रूप में 108 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जायेगी तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा जुटाई जायेगी।

गुजरात में उद्योगों का बंद होना

512. **श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, गुजरात में कितने उद्योग बन्द हुए हैं और उनके नाम क्या है;

(ख) उनके बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनको पुनः खोलने के क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जायेगी।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए रियायतें

513. **श्री बेकारिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए और रियायतें देने के बारे में योजना बना रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन रियायतों की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1970 में घोषित रियायती वित्त योजना परिवहन सहायता (ट्रांसपोर्ट सब्सिडी) योजना तथा इस मन्त्रालय द्वारा 1971 में घोषित 10% केन्द्रीय सहायता अथवा अनुदान सम्बन्धी योजना के अलावा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए और सहायता देने के सम्बन्ध में कोई अन्य योजना इस मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है। किन्तु हाल ही में 10% केन्द्रीय सहायता के लिए 1971 की योजनानुसार पात्र जिलों की संख्या में वृद्धि करने का निश्चय किया गया है ताकि ऐसे औद्योगिक एककों को भी जिनकी निर्धारित पूंजी 50 लाख रुपये से अधिक है, इस योजना के अधीन पात्र बनाया जा सके।

कीमतों को बढ़ने से रोकना

514. **श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में योजना आयोग द्वारा कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए गठित ग्रुपों ने क्रियात्मक तरीके निकाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसमें दिए गए मुख्य सुझाव क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) मन्त्रिमण्डल-सचिव की अध्यक्षता में योजना आयोग से बाहर गठित दल द्वारा प्रस्तुत की गई योजना की रूप रेखा की जांच की जा रही है।

प्रत्येक पिछड़े जिले में औद्योगिक उपक्रम स्थापित किया जाना

515. श्री बेकारिया :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े जिलों में अब तक किये गये औद्योगिक सर्वेक्षणों के आधार पर प्रत्येक पिछड़े जिले में कम से कम एक औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना से किन राज्यों और जिलों को लाभ पहुंचेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेशनल न्यूज प्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर को हुई हानि

516. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल न्यूज प्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर (मध्य प्रदेश) को वर्ष 1970-71 में हानि हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी हानि हुई थी और इसके क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1970-71 में 52.25 लाख रुपयों की हानि हुई। यह हानि निम्नलिखित कारणों से हुई :—

(1) स्वीकृत विक्रय मूल्य का स्पष्ट तौर पर उत्पादन लागत के अनुरूप न होना।

(2) लुगदी उत्पादन की आवश्यक उत्पादन क्षमता की कमी जिसके फलस्वरूप कागज उत्पादन की पूर्ण क्षमता का सदुपयोग न किया जा सकना।

पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का हटाया जाना

517. श्री सरोज मुखर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के सचिव ने प्रेस सम्मेलन में यह घोषणा की थी कि केन्द्र कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बावजूद भी कि पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की उपस्थिति संविधान का उल्लंघन है, पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस नहीं हटायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) जी नहीं, श्रीमान्। सम्वाददाता सम्मेलन में केन्द्रीय गृह सचिव से कलकत्ता उच्च न्यायालय के केन्द्रीय रिजर्व पुलिस से सम्बन्धित निर्णय के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने उत्तर दिया था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कुछ समय के लिए स्वयं अपने निर्णय को लागू न करने का आदेश दिया है और इस अवधि में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को वहाँ से वापस बुलाने का प्रश्न नहीं उठता। कलकत्ता उच्च न्यायालय के खण्ड न्यायालय ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अधिनियम को वैध ठहराते हुए अपना निर्णय उसके पक्ष में दिया है।

योजना संसाधन विकास विभाग के कार्यकरण के बारे में मैसूर राज्य द्वारा दिए गए सुझाव और विकास कार्यों के लिए निधि का नियतन

518. श्री पम्पन गौडा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य ने योजना संसाधन विकास के कार्यकरण में कुछ परिवर्तन करने और लघु सिंचाई तथा सड़क आदि जैसे विकास कार्यों के लिए निधि का नियतन करने के बारे में सुझाव दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य ने क्या परिवर्तन सुझाये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) प्रश्न में उल्लिखित योजना संसाधन विकास संबंधी कुछ मूल-भूत परिवर्तनों का अर्थ लगाना कठिन है।

मूलत: अनुमोदित 350 करोड़ रुपये के चौथी योजना परिव्यय की तुलना में राज्य की चौथी योजना के लिए पुनर्निर्धारित संसाधनों की कुल राशि 358 करोड़ रुपए है। 1971 के उत्तरार्ध में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह विशेषकर पुनर्निर्धारित संसाधनों के आधार पर, योजना परिव्ययों का पुनः आवंटन करे। राज्य सरकार ने चौथी योजना अवधि के लिए कुल 375 करोड़ रुपये के संशोधित प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों को तथा विकास के विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत मूल योजना आवंटनों को दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3231/72]

अखबारी कागज की कमी

519. श्री पम्पन गौडा : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अखबारी कागज की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसकी खपत के अनुसार उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) नेपा मिल की क्षमता को 30,000 मी० टन प्रति वर्ष से बढ़ा कर 75,000 मी० टन प्रति वर्ष करने की योजना के अलावा जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है, सरकार हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के माध्यम से केरल में 80,000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाला एक अखबारी कागज संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त, 1,64,500 मी० टन की कुल क्षमता के अखबारी कागज संयंत्र स्थापित करने के लिये निजी तथा सहकारी क्षेत्र की तीन पार्टियों को आशय-पत्र जारी किये गए हैं।

आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने के अधिनियम के अन्तर्गत नजरबंद व्यक्ति

520 श्री पम्पन गौडा :
श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने के अधिनियम के अन्तर्गत मई, 1972 तक राज्य वार कितने व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया; और

(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों के अन्तर्गत कितने नजरबन्द व्यक्तियों को रिहा किया है ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

विवरण

(क) और (ख) : 31 मई, 1972 तक आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम 1971 के अधीन पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या, पकड़े गये उन व्यक्यिों की संख्या जो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के आदेश से रिहा किए गये हैं और उन व्यक्तियों की संख्या जो 31 मई 1972 को नजरबन्द थे वे इस प्रकार है :—

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या	उच्चतम/उच्च न्यायालयों के आदेश से रिहा किए गये व्यक्तियों की संख्या	31 मई 1972 को नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	41	3	—
2.	असम (वर्तमान स्थिति)	123	3	95
3.	हरियाणा	9	—	1
4.	बिहार	22	1	—
5.	केरल	33	सूचना एकत्रित की जा रही है	9
6.	मध्य प्रदेश	14	—	7
7.	महाराष्ट्र	32	1	3

8.	मणिपुर	5	—	1 (रिहा किया गया)
9.	मैसूर (वर्तमान स्थिति)	52	—	52 (26 रिहा किए गये)
10.	उड़ीसा	1	सूचना एकत्रित की जा रही है	1
11.	पंजाब	113	30	पता लगाया जा रहा है।
12.	तमिलनाडु	4	सूचना एकत्रित की जा रही है	—
13.	त्रिपुरा	886	—	पता लगाया जा रहा है।
14.	उत्तर प्रदेश (वर्तमान स्थिति)	47	—	6 अभी नजरबन्द हैं।
15.	पश्चिम बंगाल	4109	254 आज तक	2998
16.	चण्डीगढ़	1	—	—
17.	दिल्ली	51	—	4
18.	गोवा, दमन व दीव	1	—	शून्य
19.	मिजोराम	1	—	1
20.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	1

हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड राज्यों तथा अन्दमान व निकोबार, दादरा व नगर हवेली, लक्कादीव, मिनिकाय व अमिनदीवी द्वीपसमूह तथा पाँडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की सूचना शून्य है। गुजरात, जम्मू व काश्मीर, मेघालय तथा राजस्थान राज्य सरकारों से सूचना अभी आनी है।

टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिए सरकारी उपक्रमों के लाइसेंस देने में सरकार का विरोध

521. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिए सरकारी उपक्रमों या सरकारी उद्यमों को लाइसेंस देने के विरुद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) नहीं, सरकार ने टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिए कई सरकारी उपक्रमों तथा सरकारी उद्यमों को पहले ही प्राधिकृत कर दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में डाकुओं के सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह

522. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 जून, 1972 को दिल्ली में कतिपय डाकुओं के सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में कुछ केन्द्रीय मंत्री तथा अन्य सरकारी अधिकारी उपस्थित हुए थे; और

(ख) क्या सरकार की नीति आत्म-समर्पण करने वाले सभी डाकुओं को अति विशिष्ट व्यक्ति' मानने की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 25 जून, 1972 को दिल्ली में कतिपय डाकुओं के सम्मान में कोई नागरिक अभिनन्दन समारोह नहीं हुआ। किन्तु गाँधी शांति संस्था द्वारा एक अभिनन्दन समारोह आयोजित किया गया था जिसमें अन्य व्यक्तियों के बीच गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री उपस्थित थे।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

पोस्टकार्डों पर हानि

523. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग को पोस्टकार्डों पर प्रतिवर्ष कितनी हानि होती है; और

(ख) डाक सम्बन्धी अन्य सामग्री पर विभाग को कितना लाभ अथवा हानि होती है ?

सचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) 1968-69 और 1969-70 के आँकड़ों के आधार पर पोस्टकार्डों पर प्रतिवर्ष औसतन हानि 6 करोड़ 37 लाख रुपये है।

(ख) पोस्टकार्डों और एजेंसी कार्यों के अलावा अन्य मदों पर अनुमानित औसतन लाभ या हानि इस प्रकार है :

हानि

		रुपये
1.	पत्र कार्ड	1 करोड़ 39 लाख
2.	पंजीकृत समाचार पत्र	3 ,, 48 ,,
3.	बुक पोस्ट	... ,, 79 ,,
4.	रजिस्ट्री	3 ,, 5 ,,
5.	वी०पी०	... 47 ,,
5.	तार मनीआर्डर	... 17 ,,
7.	भारतीय पोस्टल आर्डर	... 20 ,,
8.	एक्सप्रेस डिलीवरी	... 2 ,,
		9 करोड़ 57 लाख

लाभ

		रुपये
1.	पत्र	9 करोड़ 4 लाख
2.	पार्सल	... 74 „
3.	बीमा	... 22 „
4.	मनीआर्डर	... 2 „
		10 करोड़ 2 लाख

बिजली की कमी के कारण गुजरात में औद्योगिक हानि

524. श्री प्रभुदास पटेल : क्या औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पांच महीने तक बिजली की कमी रहने के परिणामस्वरूप औद्योगिकी क्षेत्र में उत्पादन की हानि हुई है ।

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं बनाने का निर्णय किया है जिनसे औद्योगिक हानि को पूरा किया जा सके; और

(ग) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की हानि के बारे हैं राज्य सरकार कोई विशिष्ट जानकारी देने की स्थिति में नहीं है ;

(ख) इस सम्बन्ध में इस मन्त्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में जापानी स्वरूप के ग्रामीण उद्योग

525. श्री प्रभुदास पटेल : क्या औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने सम्बन्धी 4 करोड़ रुपये की जापानी स्वरूप की योजना को क्रियान्वित करने के गुजरात सरकार के निर्णय की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अन्य राज्यों से भी ऐसी योजनाएं आरम्भ करने की सिफारिश करने का है ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

खादी के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गठित तकनीकी समिति का प्रतिवेदन

527. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रोमोद्योग आयोग द्वारा गठित तकनीकी समिति ने खादी के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। बदलों और उल्टा वट (उल्टे ऐंठन वाले) सम्बन्धी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बदलों और उल्टा वट समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें।

1. नई अथवा पुरानी रुई से बने 7 (पुराने) काउन वाले वस्त्र स्वावलम्ब धागों पर से लगा प्रतिबन्ध उठा लिया जाना चाहिए और स्वयं बुनने वालों द्वारा नई अथवा लुगदी रुई से स्वावलम्बन हेतु बना हुआ सूत तैयार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

2. 7 धागों से कम ऐंठन वाले बदलो धागों पर वर्तमान प्रतिबन्ध बना रहना चाहिए। इस प्रकार के धागों का खादी या अन्य वस्तुओं से विनिमय करने का अथवा इस प्रकार के धागों की नकल बिक्री के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

   (क) संस्थाओं को चाहिए कि जहां कहीं और जब कभी भी स्वयं बुनकर वस्त्र स्वावलम्बन के लिए इस प्रकार के सूत कातने के लिए अपनी सेवायें समर्पित करें वहाँ उनकी वटवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार के स्वावलम्बन उत्पादन पर नियमानुसर प्रचलित दर पर कताई सहायता दी जानी चाहिए। इस प्रकार के वस्त्र स्वावलम्बन उत्पादन को किसी प्रकार की सीमा में नहीं रखा जाना चाहिए।

   (ख) आयोग को चाहिए कि जैसा पहले था संस्थाओं को 15 पैसे प्रति मीटर की दर से इस प्रकार के वस्त्र स्वावलम्बन उत्पादन पर प्रबन्धकीय शुल्क लगाने के प्रश्न पर भी विचार करें।

   (ग) इस प्रकार के स्वावलम्बन उत्पादन पर किसी प्रकार की कार्यकारी पूंजी अथवा कच्चा माल स्टाक करने के लिए संस्थाओं को ऋण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. समिति बदलो के चलते रहने के लिए स्वीकृति देने के पक्ष में नहीं है।

4. वाणिज्यिक उत्पादन के लिए 7 से कम काउन्ट वाले धागों की कताई केवल नई रुई से की जानी चाहिए। इनका निर्णय किसी भी दशा में पुराने या खराब लुगद

से नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के सूत के मामले में भी उल्टी धाग ऐठन वाले धागे पर लगाया गया प्रतिबन्ध उठा लिया जाना चाहिए।

5. इस प्रकार के सूत से बनी दरियों, खेस, रजाइयां मिल के सूत अपेक्षा अच्छी किस्म की होती हैं और उनकी तुलना में सस्ती भी होती हैं। इस पहलू से तथा इस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के विचार से उल्टे बटे हुए सूत से मोटा धागा बनाने पर लगे हुए प्रतिबन्ध को भी उठा लिया जाना चाहिए।

इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों में व्याप्त बेरोजगारी दूर करना

528 श्री वी० मायावन :
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग इंजीनियरों और वैज्ञानिकों में फैली बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक योजना बना रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना के कब क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को रोजगार दिया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क)से(ग). कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों ने, अनेक स्कीमें तैयार की हैं। इन अधिकांश स्कीमों के इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों को विभिन्न अनुपातों में रोजगार सुविधायें शामिल हैं। इसके अलावा, विकास तथा प्रौद्योगिकी विभाग कतिपय ऐसी स्कीमें तैयार कर रहा है जो निम्नांकित क्षेत्रों में इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों बेरोगार देने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई हैं :—

(1) प्रौद्योगिकी स्वावलम्बन के लिए अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं।

(2) विद्यमान आयोजन तथा क्रियान्वित तंत्र के प्रौद्योगिक स्तर को उठाना।

(3) प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, उपयोग और विश्लेषण।

(4) कृषि भूमि सर्वेक्षण।

(5) चौथी तथा पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में परिकल्पित भावी संयंत्रों का निर्माण, स्थामित करना, संचालन तथा रखरखाव।

(6) उद्यपिता विकास, ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र, औद्योगिक संवर्धन सुविधायें, पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि जैसी नई रोजगार उन्मुख स्कीमों का सर्जन।

मंशा यह है कि, तैयार की गई विभिन्न स्कीमों तथा जो अभी तैयार की जा रही हैं, के कार्यान्वयन के लगभग दो वर्षों में अर्हता प्राप्त वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों में बेरोजगारी काफी हद तक दूर हो जायेगी।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति

529. श्री नवल किशोर शर्मा :
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है और विश्व की औद्योगिक शक्तियों में उसका तीसरा स्थान है; और

(ख) यदि हां, तो देश के विकास और मानव कल्याण के लिए आणविक प्रौद्योगिकी का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) यद्यपि भारत ने अनेक क्षेत्रों में, नाभिकीय प्रौद्योगिकी सहित, तीव्र प्रगति की है, यह कहना सही नहीं होगा कि भारत संसार की तीसरी प्रौद्योगिकी शक्ति है।

(ख) नाभिकीय शक्ति मूलतः देश के विकास के लिए प्रयोग की जा रही है। इन प्रयोगों में सब से अधिक महत्वपूर्ण प्रयोग नाभिकीय बिजली का उत्पादन है प्रथम नाभिकीय बिजली घर, जिसकी क्षमता लगभग 400 मैगावाट है, अक्टूबर 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर, में स्थापित किया गया। द्वितीय नाभिकीय बिजली घर, जिसमें 200 मैगावाट प्रत्येक क्षमता के दो एकक हैं, की स्थापना काफीप्रगति पर है। इनमें से एक एकक बिजली उत्पादन के लिए लगभग तैयार है। तृतीय नाभिकीय बिजली घर पर भी मद्रास में काम प्रगति पर है। "रेडियो आइसोटोप के उत्पादन और उनके इस्तेमाल से देश को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कृषि, स्वास्थ्य तथा वैज्ञानिक अनुसंधान सहायता मिली है। इन "आइसोटोप" का इस्तेमाल चिकित्सा अनुसंधान विशेषकर केन्सर के उपचार के लिए, अनाजों तथा तेल वाले बीजों की सुधरी हुई किस्मों की पैदावार बढ़ाने के लिए और चिकित्सा उपकरणों के किरणीयन तथा शीघ्र खराब होने वाले खाद्यान्न और मछलियों को सुरक्षित करने तथा गेहूं को कीटाणुओं से बचाने तथा अधिक समय तक रखने योग्य बनाने के लिए किया जा रहा है।

साबुन और औषधियों के सम्बन्ध में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो का प्रतिवेदन

530. श्री के० सूर्यनारायण : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों द्वारा लागत ढांचे के बारे में दिये गये परामर्श के सम्बन्ध में 1 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 897 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने साबुन तथा औषधियों के लागत ढांचे के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ब्यूरो ने साबुन पर अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी है। औषधियों के बारे में ब्यूरों ने रिपोर्ट के भाग I, II, एवं III प्रस्तुत कर दिये हैं। चतुर्थ रिर्पोट के चतुर्थ/अन्तिम भाग की प्रतीक्षा है।

(ख) और (ग) रिपोर्ट जो गुप्त है सरकार के विचाराधीन है और इस समय उनकी विस्तृत रूप रेखा देना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में आणविक विद्युत केन्द्र

531. श्री नप्रल किशोर शर्मा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक आणविक विद्युत केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है यदि हां. तो वह विद्युत केन्द्र कहां स्थापित किया जायेगा तथा उसकी क्षमता कितनी होगी

(ख) विद्युत केन्द्र के अन्तर्गत कितना क्षेत्र आने की सम्भावना है,

(ग) केन्द्र के स्थापित करने में यदि कोई विदेशी सहयोग अन्तर्ग्रस्त होगा तो वह कौन सा है; और

(घ) क्या एक अन्य केन्द्र राजस्थान में भी स्थापित किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार ने उत्तर प्रदेश में नरौरा नामक स्थान पर एक परमाणु बिजली घर स्थापित करने का निर्णय किया है। इस बिजली घर में दो यूनिट होंगे जिनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 235 मैगावाट होगी।

(ख) इस बिजली घर से पैदा होने वाली बिजली उत्तरी ग्रिड को दी जाएगी जिससे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली को सप्लाई की जाती है।

(ग) यह बिजली घर बिना किसी विदेशी सहायता के बनाया जाएगा।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई सुझाव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भूतपूर्व राजा-महाराजाओं को क्षतिपूर्ति की अदायगी

533. श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री पीलू मोदी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भूतपूर्व राजा-महाराजाओं की निजी थैलियों की समाप्ति के परिणामस्वरूप उन्हें क्षतिपूर्ति देने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कुल व्यय सहित भूतपूर्व राजा-महाराजाओं को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की दर क्या है, और

(ग) क्या क्षतिपूर्ति की अदायगी किस्तों में होगी अथवा अनियमित रूप से ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भूतपूर्व नरेशों को मुआवजे के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता। किन्तु परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अपने-आप समायोजित करने के लिए सरकार का विचार उन्हें एक मुस्त नकद अनुग्रहात् अनुदान देने का है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Alleged Misuse of Rabio, Television And Documaentry Films to Advantage of Ruling Party.

534. Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Lalji Bhai :

will the Minister of **Informaion And Broadcasting** be pleased to state :

(a) Whether it has been alleged in and outside Parliament that the Radio, Television and Documentary films are misused to the advantage of the ruling party by ignoring opposition parties; and

(b) Whether Government propose to constitute a Parliamentary Committee to look into this matter; and

(c) If so, the time by which such a Committee would be constituted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Singh): (a) Some allegations were made in and outside Parliament about the alleged partiality shown by Radio and Television to the party in power but these were found to be without any basis;

Government are not aware of allegations of misuse of documentry films.

(b) Since the allegations have been found to be unfounded and baseless no such proposal is under consideration,

(c) Does not arise.

Maharashtra-Mysore Boundary Dispute

535. Shri Onkarlal Berwa:
Shri Lalji Bhai:

will the Minister of **Home Affairs** be pleased to sfate:

(a) the date on which the question relating to boundary dispute between Maharashtra and Mysore was first discussed by the Government; and

(b) the decision taken in this regard ?

The Deputy Ministry in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) . Proposals for a re-adjustment of the boundary betweent he two States were made by the erstwhile Bombay Govercment in the middle of 1957 for the consideration of the Western Zonal Council. Since then the Central Government had been considering the matter in one form or other with a view to evolving an agreed solution. No such solution has emerged so far.

Agreement with France for Supply of uranium for Kaldakkam Atomic Plant

536. Shri Onkarlal Berwa :
Shri Lalji Bhai :

Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state:

(a) whether an agreement has been entered into with the Atomic Energy Commission of France to import Uraniun for the Atomic Energy Plant proposed to be set up at Kalpakkam in Tamil Nadu; and

(b) if so. the main provisions of the agreement ?

The Prime Minister Minister of Atomic Enregy, Minis:or of Elcetronics, Minister of Home Apfairs, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shaimati Indira Gandhi) : (a) & (b) : It is presumed the Honourable Members are referring to the Fast Breeder Test Reactor being set up as part of the Reactor Reaearch Centre at Kalpakkam. No agreement in regard to the import of uranium for this Test Resctor has been entered into so far with the French Atomic Energy Commission. However, the matter is corrently under consideration by Government.

"टाइम्स ग्राफ इन्डिया" के युद्ध संवाददाता को मान्यता दिया जाना

537. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या **सूचना ग्रौर प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के समाचारों को प्रेषित करने के लिए "टाइम्स आफ इंडिया" विशेष युद्ध संवाददाता ने मान्यता देने की माँग की थी; और

(ख) पत्रकारों को युद्ध संवाददाता के रूप में मान्यता न देने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) भारत-पाक युद्ध के समाचार भेजने के लिए टाइम्स आफ इन्डिया ने 9 संवाददाता तथा 2 कैमरामैन नामजद किए थे और उन सभी को पत्र सूचना कार्यालय द्वारा युद्ध प्रत्यायन पत्र दिये गए थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मान्यता प्राप्त प्रेस संवाददाता

538 **श्री माधुर्य हालदार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से प्रेस संवाददाता, जो 31 दिसम्बर, 1971 तक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थे, 1 जुलाई, 1972 को मान्यता प्राप्त नहीं रहे; और

(ख) इन प्रत्रकारों के नाम क्या है, वे किस भाषा में लिखते है और उन्हें मान्यता प्रदान न करने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) जी, हाँ ।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3232/72]

अमरीकी भू-संसाधन उपग्रह की जासूसी की गतिविधियां

539. **श्री माधुर्य हालदार :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी भू-संसाधन उपग्रह अब भारत की भूमि तथा तट-दूर आदि पर जासूसी कर सकता है; ग्रौर

(ख) क्या अनेक भारतीय वैज्ञानिक एक वर्ष के लिए स्थिर (जियोस्टेशनरी) उपग्रह प्राप्त करने के बदले इस अमरीकी राष्ट्रीय वैज्ञानिकी तथा अन्तरिक्ष प्रशासन उद्यम में सहयोग दे रहे हैं ?

प्रधन मंत्री परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : संयुक्त राज्य अमरीका की नैशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 23 जुलाई, 1972 को भूमि के भण्डारों का पता लगाने वाला जो उपग्रह छोड़ा गया था वह पृथ्वी से 900 किलो मीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा तथा 17 दिन की अवधि में सम्पूर्ण भू-मण्डल के चित्र ले सकता है।

(ख) रिमोट सैंसिग की प्रक्रिया की सहायता लेकर उपग्रह से पृथ्वी के भंडारों का सर्वेक्षण करने में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन की अभिरुचि है तथा उसने संयुक्त राज्य अमरीका की नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एजेन्सी, जिसने 23 जुलाई, 1972 को भूमि के भण्डारों का पता लगाने वाला एक उपग्रह छोड़ा है, के साथ बातचीत की है। नेशनल एयरोनाटिक्स एंड स्पेस एजेन्सी की परियोजना में भारत द्वारा भाग लेने के सभी पहलूओं पर विचार किया जा रहा है। यह परियोजना उस उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन परीक्षण से कोई सम्बन्ध नहीं रखती जो कि नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सन् 1974 में छोड़े जाने वाले उस एप्लीकेशन टैक्नालाजी उपग्रह की सहायता से किया जायेगा जो 36,000 किलो मीटर की ऊंचाई पर भूमि की गति के साथ-साथ परिक्रमा काटेगा।

पेन्टाकोपा एक्सचेन्ज के निर्माण के लिए करार की अवधि बढाया जाना

540. श्री माधुर्य्य हालदार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पेन्टाकोपा एक्सचेंज प्रणाली के निर्माण में सहयोग के लिए आई० टी० टी० वी० टी० एम० कम्बाइन के साथ करार की अवधि सरकार ने एक बार पुनः बढ़ा दी है; और

(ख) यदि हां, तो करार की अवधि बढ़ाने सम्बन्धी शर्तें क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगणा) (क) जी हां।

(ख) करार की अवधि 20 मई, 1972 से और एक वर्ष के लिए, बिना स्वामित्व की अदायगी के बढ़ा दी गई है। बैल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (बी० टी० एम०) के साथ हुए करार की कुछ निर्वन्धित शर्तों को या तो हटा दिया गया है अथवा उनमें उपयुक्त संशोधन कर दिया गया है।

अनुदेश टेलीविजन के साथ परीक्षण के लिए नासा' के उपग्रह का उपयोग

541. श्री माधुर्य्य हालदार : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुदेश टेलीविजन के साथ परीक्षण के लिए अमरीकी 'नासा' उपग्रह के उपयोग के बारे में पुनर्विचार करेगी; और

(ख) हमारे क्षेत्रों में परीक्षणों के लिए अमरीकी उपग्रह का उपयोग करने के लिए अन्तर-मंत्रालय स्तर पर क्या व्यवस्था की गई है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रनिक्स मंत्री, गृह मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्री मती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन परीक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए उपयुक्त अन्तर्मंत्रालय समितियां गठित की गई हैं जिनमें विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में राकेट छोड़ने का केन्द्र

542. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में राकेट छोड़ने के प्रमुख केन्द्र के रूप में श्री हरिकोटा का विकास करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस केन्द्र का निर्माण पूरा होने में अनुमानतः कितना समय लगेगा और इस परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितना-कितना व्यय किया गया है; और

(घ) अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में श्री हरिकोटा और थुम्बा राकेट केन्द्रों की तुलनात्मक भूमिका क्या है?

प्रधान मंत्री परमाणु, उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) रास्ते को जोड़ने वाले एक पुल तथा सलूर पेटा तक जाने वाली सड़क, एक लान्चिंग पैड तथा एक ब्लाक हाउस तैयार हो गये हैं। राकेट के छोड़ने के लिए बनाए जाने वाले भवन तथा हार्ड वेयर स्टोर लगभग तैयार हो चुके हैं। विद्युत सब-स्टेशन चालू किया जा चुका है। रेंज को राकेट छोड़ने के काम में लाया जा रहा है तथा पहले राकेट अक्तूबर, 1971 में छोड़े गये थे।

श्री हरिकोटा में स्थापित की जाने वाली विभिन्न अन्य सुविधाओं से संम्बन्धित योजनायें बनाने का काम प्रगति पर है। इन योजनाओं के तैयार होने तक, श्री हरिकोट में स्थापित किये जाने वाले विभिन्न यूनिटों को बनाने में लगने वाले समय तथा उन पर होने वाले व्यय सम्बन्धी आंकड़े नहीं दिये जा सकते।

श्री हरिकोट में स्थापित की जाने वाली सुविधा पर 31-3-72 तक 90 लाख रुपये खर्च किये जा चुके थे।

(घ) थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र पृथ्वी की चुम्बकीय भू मध्य रेखा के क्षेत्र में परिज्ञापी राकेट छोड़ कर परीक्षण करने के काम में आने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ से संरक्षण प्राप्त एक केन्द्र है तथा श्री हरिकोटा रेंज एक अथवा अनेक चरणों वाले राकेटों को छोड़ कर उनकी जांच करने तथा बहुचरणीय राकेटों की सहायता से वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपग्रह छोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रेंज है। थुम्बा में केवल ऐसे छोटे-छोटे परिज्ञापी राकेट छोड़े जा सकते हैं जो परिक्षण में उपयोगी पाये गये हैं। उपग्रहों को छोड़ने के लिए भारत के पूर्व तट पर श्री हरिकोटा जैसे स्थान को ही अधिक उपयोगी पाया गया है क्योंकि वहाँ पृथ्वी की गतिशीलता का लाभ उठाया जा सकता है।

लाइसेंसों की क्रियान्विति के लिए सैल की स्थापना

543. श्री अर्जुन सेठी : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जारी किये गये लाइसेंसों की क्रियान्विति में रुकावटों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार का एक 'क्रियान्वित सेल' स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी हाँ। सरकार मुख्य रूप से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के आधीन जारी किये गये आशय पत्रों और लाइसेंसों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने ऐसे लाइसेंस और आशय पत्रधारियों की देर की जाँच करने, सामान्यतः उद्योगों में और विशेष उद्योगों में आने वाली समस्याओं का जिनसे कार्यान्वियन में देरी होती है पता लगाने और उनके लिए समाधान निकालने के लिए, और एककों के पंजीकरण, कच्चे माल का आंवटन और दुर्लभ संसाधनों आदि के जुटाने के लिए एक कार्यान्वियन समिति का गठन करने पर विचार कर रही है।

औद्योगिक नीति संकल्प में परिवर्तन

544 श्री अर्जुन सेठी :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:

क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्यौगिक नीति संकल्प में परिवर्तन करने का है जिससे पिछड़े राज्यों और पिछडे क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में सहायता मिल सके और जारी किये गये लाइसेंसों की भी शीघ्र क्रियान्विति की जा सकें : और

(ख) यदि हाँ तो प्रस्तावित परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पिछड़े राज्य और क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की सहायता के लिये औद्योगिक नीति संकल्प में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं हैं। केवल नीति के क्रियान्वयन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिये रियायती वित्त और उपदान आदि विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

भूतपूर्व राजा महाराजाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त करना

545. श्री अर्जुन सैठी :
श्री एम० कतामुत्तु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए एक नया

विधेयक पुरःस्थापित करने का है जिन का उपयोग भतपूर्व राजा-महाराजाओं द्वारा संविधान के 26वें संशोधन के पास किये जाने के बावजूद किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) संविधान के अनुच्छेद 362 के विलोपन के परिणामस्वरूप भूतपूर्व नरेश किसी विशेषाधिकार के पात्र नहीं हैं। कार्यकारी आदेशों द्वारा दिये गये विशेषाधिकारों को वापिस लेने के लिए पहले ही आदेश जारी कर दिये गये हैं। इन कानूनों में, जिन के अधीन भूतपूर्व नरेशों को कतिपय विशेषाधिकार दिये गये थे, संशोधन करने के लिए एक विधान इस सत्र में पुरःस्थापित करने का भी विचार है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एशियन केबल्स कारपोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध जांच

546. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डंकन ब्रादर्स लिमिटेड; कलकत्ता गोयनका बन्धुओं की नियन्त्रणाधीन एशियन केबल्स कारपोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध पौलिथिन की चोरबाजारी के आरोपों की जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कहा गया था।

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सूची क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी कर ली है और यदि हां, तो उस के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। विदेश व्यापार मंत्रालय ने केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से मैसर्स एशियन केबल्स कारपोरेशन, लिमिटेड, बम्बई के विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों की जाँच करने को कहा है।

(1) आयात लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कम्पनी ने वर्ष 1964-65 के दौरान लगभग 151.110 मीट्रिक टन आयातित अल्यूमिनियम अवैध रूप से बेचा।

(2) विविधीकरण के बहाने से वर्ष 1968-69 में कंपनी ने आयातित पोलीथिलीन अवैध रूप से बेचा।

(3) दूसरी कंपनी द्वारा सुपर एनामिल्ड तार निर्मित कराने के बहाने उन्होंने वर्ष 1965-66 में लगभग 133 मी० टन आयातित तांबा बेचा।

(ग) जी, हाँ। विदेश व्यापार मंत्रालय ने बताया है कि जांच से प्रथम दृष्टया कंपनी तथा उसके प्रबन्ध निदेशकों के अभियोजन का मामला तीनों आरोपों के संबंध में पुष्ट होता है।

(घ) विदेश व्यापार मंत्रालय ने आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 की धारा 6 के अधीन शिकायत प्रतिवेदन तैयार करने हेतु जांच के निष्कर्ष की रिपोर्ट सी० सी० आई० एण्ड ई० को भेजी है। विदेश व्यापार मंत्रालय ने दण्ड क्रियाविधि संहिता की धारा 196 (2) के अधीन अभियुक्त पर मुकदमा चलाने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार तथा देहली

प्रशासन को लिखा है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि इन दस्तावेजों के प्राप्त होने पर मामला उपयुक्त न्यायालय में पेश कर दिया जायेगा।

प्रधान मन्त्री सचिवालय में कर्मचारियों की संख्या

547. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रधान मंत्री के सचिवालय का गठन किस प्रकार का है।

(ख) वर्ष 1965-66 और 1972-73 में सचिवालय में अधिकारी तथा कर्मचारियों के रूप में अलग अलग, कुल कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(ग) वर्ष 1965-66 और 1972-73 में सचिवालय में प्रत्येक पद के राजपत्रित अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) प्रधान मन्त्री सचिवालय के लिए गत तीन वर्षों में कुल कितने मूल्य के कम्पयूटर तथा अन्य उपकरणों का आयात किया गया ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अंतरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : वर्ष 1965-66 और 1972-73 में प्रधान मन्त्री सचिवालय में कार्य करने वाले कर्मचारी वर्ग की कुल संख्या निम्नलिखित है :—

	अधिकारी	**अन्य**	**कुल संख्या**
1965-66 (31-3-66 को)	35	168	203
1972-73 (1-8-72 को)	34	191	225

(ग) वांछित सूचना संलग्न विवरण में है।

(घ) इस अवधि में किसी कम्पूटर अथवा दूसरे सरकारी उपकरण का आयात नहीं किया गया।

वर्ष 1965-66 और 1972-73 में प्रधान मंत्री सचिवालय में वास्तव में कार्य करने वाले प्रत्येक दर्जे के राजपत्रित अधिकारियों की संख्या का विवरण।

पद का नाम	**1965-66 (31-3-66 को)**	**1972-73 (1-8-72 को)**
प्रधान मन्त्री जी के प्रधान सचिव	—	1
प्रधान मन्त्री जी के सचिव	1	1
प्रधान मन्त्री जी के संयुक्त सचिव	1	1
प्रधान मन्त्री जी के सूचना सलाहकार	1	—
निदेशक	—	1
प्रधान मन्त्री जी के विशेष सहायक	1	—
प्रधान मन्त्री जी के उप-सूचना सलाहकार	1	—

उप-सचिव	—	1
प्रधान मन्त्री जी के सचिव (उप-सचिव के समकक्ष)	1	2
प्रधान मन्त्री जी के विशेष सहायक (विज्ञान और तकनीक)	—	1
अवर सचिव	3	—
प्रधान मन्त्री जी के निजी सचिव (अवर सचिव के समकक्ष)	5	2
प्रधान मन्त्री जी के सामाजिक सचिव	—	1
प्रधान मन्त्री जी के अतिरिक्त निजी सचिव	3	6
प्रधान मन्त्री जी के सहायक निजी सचिव	—	1
प्रधान मन्त्री जी के वैयक्तिक सहायक	7	6
सचिव के निजी सचिव	1	—
प्रधान सचिव के निजी सचिव	—	1
गुप्त सहायक व लेखाधिकारी	1	—
अनुभाग अधिकारी	9	8
वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	—	1
	35	34

आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबन्द किये गये राजनैतिक बन्दी

548. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तिरक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत देश में अब तक कुल कितने राजनैतिक बन्दी नजरबन्द हैं ;

(ख) उनका किन राजनैतिक दलों से सम्बन्ध है और उन्हें कितने कितने समय के लिए नजरबन्द रखा गया ; और

(ग) नियमानुसार इन व्यक्तियों की नजरबन्दी के कारणों की सूचना देने में सरकार की असफलता के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) और (ख): आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के उपबन्ध किसी व्यक्ति को नजरबन्द करने के लिए केवल इस दृष्टि से समर्थन करते हैं कि उसे भारत की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का प्रतिकूल कार्य करने, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के सम्बन्धों पर प्रतिकूल असर डालने, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुँचाने अथवा लोक व्यवस्था भंग करने अथवा संभरण तथा सामूहिक आवश्यक सेवा बनाये रखने में बाधा डालने से रोका जाये। किसी भी व्यक्ति को राजनैतिक सम्बद्धता के आधार पर नजरबन्द नहीं किया जा सकता है। नजरबन्द किए गए व्यक्तियों की राजनैतिक सम्बद्धता के सम्बन्ध में

उपलब्ध सूचना का एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 3233/72]

(ग) अधिनियम की धारा 8 (1) के अन्तर्गत नजरबन्द करने का आदेश देने वाले प्राधिकारी के लिए नजरबन्द किये गये व्यक्ति को उन कारणों का बताना आवश्यक है जिन के आधार पर ऐसा आदेश दिया गया है। नजरबन्दी का आदेश देने वाले प्राधिकारी इस आवश्यकता का पालन कर रहे हैं।

लोक सभा द्वारा पास किए गये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक में किये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में जनता को बताना

549. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक में किये गये कतिपय परिवर्तनों की जानकारी जनता को देने तथा अज्ञानता तथा भ्रम को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं क्योंकि देश के कुछ भागों में इन्हीं बातों के परिणामस्वरूप हड़तालें तथा साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 की आवश्यक रूपरेखा को स्पष्ट करने तथा गलतफहमी को दूर करने के लिए प्रचार के सभी माध्यमों का बहुत प्रयोग किया गया है। जनता को जानकारी देने लिए विभिन्न भाषाओं में पुस्तिकाओं का प्रकाशन, आकाशवाणी से प्रसारण, प्रेस संवाददाताओं से भेंट गोष्ठियां इत्यादि करना उक्त अभियान के भाग हैं।

देश में आपात् की स्थिति समाप्त करना

550. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिमला समझौते को ध्यान में रखते हुए देश में लागू आपात् की स्थिति समाप्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार कब निर्णय करेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ़० एच० मोहसिन) : (क) अभी तक नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तरिक्ष अनुसंधान आयोग के मुख्यालय की बंगलौर में स्थापना

551. श्री वायलार रवि : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तरिक्ष अनुसंधान आयोग के मुख्यालय को बंगलौर में स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य के लिये थुम्बा के बारे में विचार न करने के क्या कारण है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्टानिस मंत्री, गृह मंत्री सूचना और प्रसारण

मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री, (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) विभिन्न वैकल्पिक स्थानों, जिनमें थुम्बा भी शामिल है, को ध्यान में रखते हुए अन्तरिक्ष आयोग का मुख्यालय बंगलौर में स्थापित करने का निर्णय किया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुख्यालय एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से अन्तिरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख केन्द्रों नामतः त्रिवेन्द्रम, श्रीहरिकोट एवं अहमदाबाद की प्रबन्धन व्यवस्था सुविधापूर्वक संचालित की जा सके, बंगलौर को मुख्यालय के लिए चुना गया ।

अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिये रूस से समझौता

552. **श्री वयालर रवि** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन में अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्य में पारस्परिक सहयोग के लिए रूस से कोई समझौता किया है ;

(ख) यदि हां तो उक्त समझौते का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समझौते के अन्तर्गत भारत को रूस से किस प्रकार की सहायता प्राप्त होगी ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्टानिक्स मंत्री गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) मई, 1972 में हस्ताक्षरित करार के अन्तर्गत, सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी तथा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन, पूर्णतः भारत में ही अभिकल्पित एवं निर्मित एक वैज्ञानिक उपग्रह को सन् 1974 में छोड़ने की व्यवस्था करेंगे। इस उपग्रह को सोवियत राकेट कैरियर की सहायता से तथा सोवियत संघ के क्षेत्र से छोड़ा जायेगा। इस उपग्रह की सहायता के अनेक वैज्ञानिक परीक्षण किए जायेंगे।

(ग) उपग्रह छोड़ने के लिए राकेट केरियर की व्यवस्था करने के आलावा सोवियत संघ इस परियोजना में कार्यान्वियन के लिए आवश्यक परामर्श एवं तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा।

थुम्बा अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र में सी० आई० ए० की गतिविधियां

553. **श्री वयालार रवि** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रिवेन्द्रम से प्रकाशित होने वाले केरल छात्र संघ के मुखपत्र "कानसल" में 15 जून 1972 को "सी०आई० ए० एक्टीविटी इन थुम्बा स्पेस रिसर्च स्टेशन" शीर्षक अन्तर्गत प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) इस केन्द्र में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए है ?

प्रधान मन्त्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री. गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी हां। थुम्बा स्थित अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र से सम्बन्धित सभी विषयों पर जिनमें केन्द्र के कर्मचारियों के कार्यकलापों से

सम्बन्धित शिकायतें एवम् आरोप शामिल हैं, समुचित ध्यान दिया जाता है तथा उन पर यथावश्यक समुचित कार्यवाही की जाती है।

पुलिस आवासन और पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता

554. श्री वयालार रवि : क्या गृह मंत्री पुलिस आवासन और पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु केरल को सहायता देने के बारे में 19 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3230 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच वर्ष 1972-73 के लिए राज्यों को पुलिस आवासन और पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु सहायता देने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु केरल राज्य के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए केरल सरकार को 49 लाख रुपयों की राशि उपलब्ध की गई है तथा पुलिस आवास योजना के अन्तर्गत उनको 50 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

नारियल के खोलों और चावल की भूसी से सक्रिया कार्बन का निर्माण

555. श्री वयालार रवि : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने नारियल के खोलों और चावल की भूसी से सक्रिय कार्बन बनाने की कोई तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस खोज का क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इसका व्यापारिक स्तर पर उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में नारियल के खोलों और चावल की भूसी से सक्रिय कार्बन निर्माण करने सम्बन्धी खोजबीन जारी है।

(ख) (1) इस प्रविधि के विकास से नारियल के खोल और चावल की भूसी जैसे कृषि व्यर्थों का आर्थिक उपयोग करने का तरीका प्राप्त होगा।

(2) औषधि उद्योग में चावल की भूसी के सक्रिय कार्बन का प्रयोग उपयुक्त होगा।

(3) नारियल के खोलों के सक्रिय कार्बन को गैस-मुखपट, उर्वरकों और रेयन उद्योग में तथा विलायकों को प्राप्त करने के काम में लाया जा सकता है।

(ग) आंध्र प्रदेश में इसका एक संयंत्र स्थापित करने के लिये आंध्र प्रदेश लघु औद्योगिक विकास निगम के साथ बातचीत चल रही है। व्यापारिक उपयोग के लिए प्रविधियां राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन० आर० डी० सी०) को भी भेजी जा रही हैं।

Telephone Facilities in Singoli M. P.

556. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the traders of 'Singoli' have several times demaned for telephone facilities and many traders are also prepared to have personal telephone connections: and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Requests for opening Public Call office at Singoli were received from Deputy Chief Minister, Madhya Pradesh Government and from Sarpanch, Gram Panchayat Singoli. Eleven persons have applied for telephone connections at this place.

(b) The proposal to open a Public Call Office at Singoli has been examined and is found to be unremunerative; the loss is beyond the permisible limits for this category of stations.

Public Call office at Singoli could not be sanctioned on loss. It can be opend on rent and guarantee basis of some interested party is willing to indemnify the P.&.T. department against anticipated loss.

Accommodation of C.R.P. at Neemuch

557. **Dr. Laxminarayan Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Battalions at Central Reserve Police Headquarters, Neemuch at present;

(b) whether residential accommodatlon (family) is available for all the jawans of these battalions and if not, the reasons therefor,

(c) whether a jawan, proceeding on duty outside the Headquarters has to vacsate the quarter as a result of which his family faces a lot of difficulty, and

(d) the general rules and conditions governing the allotment of residential accommodation to jawans of the battalions and other concerned employees ?

Tha Deputy Minister in the Ministry of the Home Affiairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) There is no battalion of the C.R.P. stationed at Neemuch at present. However, staff of the Headquarters of the Group Centre. Neemuch which catres to 4 battalions (No. 1, 34, 48 and 51) is stationed there.

(b) Residential accommodation (family) for jawans at Neemuch is provided at the approved scale.

(c) Normally a jawan proceeding on duty outside the Headquarter is not required to vacate the quarter.

(d) Allotment of residential accommodation to jawans and other employees is governed according to the rules and conditions contained in the CRPF Manual.

Chinese Literature Found in Ratlam and Shazapur district of Madhya Pradesh

558. **Dr. Laxminarayan Pandey :**
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that large quantity of Chinese literature was found at certain places in Ratlam and Shazapur Districts of Madhya Pradesh during the first week of June, 1972,

(b) if so, the full facts thereof, and

(c) whether the said literature was dropped from air and the steps Government propose to take in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) Facts are being ascertained.

रेडियम किरणों द्वारा औषध उत्पादों को कीटाणु रहित करने के लिए संयंत्र

559. श्री बी०के० दासचौधरी : क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियम किरणों द्वारा औषध उत्पादों को कीटाणु रहित करने वाले प्रायोगिक संयंत्र ने ट्राम्बे में कार्य प्रारम्भ कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) डाक्टरी कामकाज में आने वाले उत्पादों का निर्जर्मीकरण करने के लिए ट्राम्बे में एक निदर्शन संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है और इसके सन् 1973 के अन्त तक बनकर तैयार हो जाने की सम्भावना है ।

अन्तरिक्ष आयोग

560. श्री बी०एन०पी० सिंह :
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नये स्थापिम किये गये अन्तरिक्ष आयोग की मुख्य बातें, जो विशेषतया इसके संगठनात्मक ढांचे और इसको सौंपे गये कार्य से संबंधित है, क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अंतरिक्ष आयोग की स्थापना करने के लिए जारी किये गए सरकारी प्रस्ताव, जिसमें उस आयोग की संगठन-व्यवस्था तथा उसे सौंपे गए कार्यों का निर्धारण भी किया गया है, की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3234/72]

राजस्थान परमाणु बिजलीघर के लिए "कैलेण्ड्रिया" की सप्लाई में विलम्ब

561. श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की एक गैर-सरकारी फर्म द्वारा राजस्थान परमाणु बिजलीघर को अभी "कैलेण्डिया" की सप्लाई की जानी है ;

(ख) यदि हाँ, तो राजस्थान परियोजना की समय अनुसूची पर इस असफलता का क्या प्रभाव पड़ा ; और

(ग) "कैलेण्ड्रिया" की सप्लाई शीघ्र कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

प्रधानमंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां

(ख) केवल कैलैन्डिया की प्राप्ति में हुई देरी के परिणामस्वरूप परियोजना के कार्यक्रम पर पड़ने वाले प्रभाव की अलग से पता लगा सकना कठिन है।

(ग) कैलेन्डिया का निर्माण तेजी से करने का प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि इसकी प्राप्ति में और अधिक देरी न हो। निर्माण की प्रगति का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है और इस विभाग के इंजीनियर इसका पूरा ध्यान रखते हैं।

भूमिगत अणु परीक्षण

562. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत अणु शक्ति आयोग ने केवल सैद्धान्तिक अध्ययन मात्र से बढ़ कर भूमिगत अणु परीक्षणों की दिशा में कोई वास्तविक प्रगति की है ;

(ख) क्या भूमिगत अणु परीक्षणों के उपयुक्त स्थानों का पता लगाने के लिए देश के विभिन्न भागों में गहरी खुदाइयां की हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो भूमिगत अणु परीक्षण स्थानों के लिए उपयुक्त स्थानों के लिए उपयुक्त स्थानों की खोज का कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा।

प्रधान मन्त्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) भूमि के नीचे परमाणु विस्फोट करने की तकनीक में हुई प्रगति का पुनरीक्षण परमाणु ऊर्जा आयोग सैद्धान्तिक एवं परीक्षणात्मक दोनों ही दृष्टियों से लगातार कर रहा है।

(ख) और (ग) भारत के विभिन्न भागों से उपलब्ध सूचना के सन्दर्भ में इस प्रकार के भूमिगत विस्फोटों का अध्ययन आर्थिक दृष्टि से किया जा रहा है। पर्यावरण एवं वनस्पति तथा जीवधारियों पर इसके परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जा रहा है। इन सभी समस्याओं के संतोषप्रद उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् ही शान्तिमय उपयोगों के लिए भूमिगत परीक्षण यथार्थ में करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

तारापुर अणुशक्ति संयंत्र में परिवर्तन

513. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर अणुशक्ति सयंत्र के प्रथम एकक में हाल ही में हुई गड़बड़ को देखते हुए इस संयंत्र के दोनों एककों में आवश्यक परिवर्तन कर लिए गए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इन परिवर्तनों पर कितना खर्च हुआ है ; और

(ग) क्या राणा प्रताप सागर तथा कलपक्कम स्थित संयंत्रों में भी इसी प्रकार के परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्री मती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) इन परिवतनों के लिए 1.83 लाख रुपये खर्च होंगे।

(ग) क्योंकि राणाप्रताप सागर तथा कलपक्कम स्थित संयंत्रों का रियेक्टर प्रणाली तारापुर संयंत्र की रिऐक्टर प्रणाली से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए इन संयंत्रों में ऐसे परिवर्तन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कलपक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर के लिए टर्बो-सैट

564. श्री बी० एन० पी० सिंह : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भोपाल के हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अधिकारियों ने कलपक्कम में बनने वाले फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर के लिये टर्बो-सैट बनाने के परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रयादेश को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मंन्त्री, गृह मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) तथा (ख) हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल ने उन्हें भेजे गये विनिर्देश के मसौदे के सन्दर्भ में एक फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर की आवश्यकताओं के अनुरूप टर्बो-सैट का विकास करने में अपनी अभिरुचि अभिव्यक्त की है। तथापि टैस्ट रिऐक्टर के लिए अपेक्षित टर्बो-सैट के पहले चरण का डिजायन 500 मेगावाट क्षमता के बड़े टर्बाइनों पर निर्भर करता है। इसलिए, इस विषय पर भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के बड़े टर्बाइनों के अभिकल्पन, विकास तथा उनके निर्माण से सम्बन्धित नीति के सन्दर्भ में विचार किया जा रहा है :

C. I. A. Agents is Lucknow University

565. Shri Krishna Chandra Pandey : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that some C.I.A. agents are active in Lucknow University; and

(b) if so; their reaction thereto.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) & (b). While Government do not have any such information, utmost vigilance is, however, maintained in regard to the activities of all foreign intelligence agencies.

Firing on a Congress Procession on 12th March 1972 in New Delhi

566. Shri Krashna Chandra Pandey : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether somebody had fired on a Congress procession at Lajpat Nagar, New Delhi, on the 12th March 1972.

(b) whether two children, watching the procession, were badly injured; and

(c) if so, the action taken so far by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) According to information received from the Delhi Administration, on the 12th March 1972 when a procession was being taken out in Lajpat Nagar to celebrate the victory of the Congress candidate in the Metropolitan Council election, a person fired two gun shots causing injuries to two children. The injuries to one of them were simple, while the injury to the other was grievous, resulting in the loss of an eye.

(c) A case has been registered under section 308 of the I.P.C. and is being investigated according to law. The assailant was arrested.

लघु उद्योगों में शेविंग ब्लेड बनाने का कार्य

567. श्री वसन्त राव पुरूषोत्तम साठे : क्या औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शेविंग ब्लेड बनाने वाली कितनी फर्में हैं तथा प्रत्येक कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन करती हैं; और

(ख) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में ब्लेडों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) संगठित क्षेत्र के सेफ्टी रेजर ब्लेडों के निर्माताओं और 1971 की अवधि में उनके द्वारा किये गये उत्पादन का प्रतिशत बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सेफ्टर रेजी ब्लेड लघु क्षेत्र के कुछ एककों द्वारा भी बनाये जा रहे हैं। अतः ठीक-ठीक विवरण उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्र० सं०	एकक का नाम	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1.	मै० हरवंशलाल मलहोत्रा एण्ड संस लि०, कलकत्ता।	40.7
2.	मै० विद्युत मेटलिक्स लि० बम्बई (महाराष्ट्र)।	20.9
3.	मै० इंडो-स्विग (प्रा०) लि०, हैदराबाद (आंध्रप्रदेश)।	18.3
4.	मै० नेशनल रेजर एण्ड ब्लेड्स लि०, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।	3.5
5.	मै० सेंटर्न इंडस्ट्रियल एलाइंस लि० बम्बई।	3.5
6.	मै० शार्पेज लि०, नई दिल्ली।	11.1

बम्बई नगर के दोनों भागों का विकास

568 **श्री वसन्त राव पुरूषोत्तम साठे :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को, बम्बई नगर के दोनों भागों के किस प्रकार से और कितना विकास करने के बारे में जानकारी दे दी गई है और इस पर सरकारी और गैर सरकारी कितनी पूंजी लगेगी;

(ख) क्या योजना आयोग ने इस परियोजना पर इस दृष्टि से विचार किया है कि देश में क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या न बढ़े; और

(ग) कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के केन्द्रीकरण की अस्वस्थकारी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए योजना आयोग का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

थाना क्रीक के आधार पर बम्बई नगर के दो भागों के सम्बन्ध में प्रस्तावित परियोजना महाराष्ट्र सरकार की राज्य योजना में सम्मिलित की गई है । इस परियोजना में 10 से 20 लाख तक की जनसंख्या के दो नए नगरों की स्थापना की परिकल्पना की गई है ताकि बम्बई द्वीप से रोजगार तथा लोगों का संचलन हो सके, वर्तमान नगर में दबाव कम हो सके तथा जनसंख्या में भविष्य में होने वाली वृद्धि को खपाया जा सके और शहरीकरण की प्रक्रिया को संयत किया जा सके, क्योंकि ऐसा न होने पर वर्तमान नगर पर ही दबाव बढ़ेगा । नया नगर बसाने का प्रस्ताव क्षेत्रीय योजना बोर्ड द्वारा तैयार की गई बम्बई की क्षेत्रीय योजना को सिफारिशों पर आधारित हैं और थाना क्रीक के आरपार यह नगर बसाये जाने से सम्बन्धित निर्णय इस भाग में स्थापित किए जाने वाले नवशिव नामक नए बन्दरगाह से सम्बद्ध है ।

2. महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1971-72 की वार्षिक योजना में भूमि अधिग्रहण के लिए 1.60 लाख रुपये की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था परन्तु भूमि अभिग्रहण की कठिनाइयों के कारण इसमें से अधिकांश राशि व्यय नहीं की जा सकी । 1972-73 की वार्षिक योजना में इसी प्रकार के एक प्रयोजन से 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस नगर के विकास का काम सरकार की एजेंट कम्पनी के रूप में गठित नगर तथा औद्योगिक विकास निगम को सौंपा है ।

3. इस परियोजना का विस्तृत व्यौरा नगर तथा औद्योगिक विकास निगम के प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया जा रहा है । अन्य बातों के साथ साथ प्रस्तावित नगर के भावी आर्थिक क्रियाकलापों के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है और न अभी नए नगर की कोई वृहद योजना को ही अन्तिम रूप दिया गया है । अतः सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में होने वाले कुल निवेश का भी अभी अनुमान नहीं लगाया गया है ।

4. विभिन्न वार्षिक योजनाओं में प्रस्तावित नगर के लिए भूमि-अभिग्रहण के लिए योजना व्यवस्था का अनुमोदन करते समय योजना आयोग महाराष्ट्र सरकार को यह सलाह देता रहा है कि वह समस्या के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाए जिसमें नए नगर से क्षेत्रीय सम्पर्क की

व्यवस्था की आवश्यकता तथा नए नगर और बम्बई द्वीप के बीच परस्पर यातायात का सम्भावित प्रभाव तथा उसके लिए अपेक्षित दीर्घकालीन निवेश की आवश्यकता पर विचार करना सम्मिलित है। विदित हुआ है कि राज्य सरकार इन बातों पर विचार कर रही है।

5. इस नगर की स्थापना से बम्बई क्षेत्र में उद्योगों के और सकेन्द्रण के सम्बन्ध में भी योजना आयोग महाराष्ट्र सरकार से पत्र-व्यवहार करता रहा है और राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस नगर के भावी आर्थिक कार्यों के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है परन्तु यह बताया गया है कि सी०आई०डी०सी०ओ० अपने समकक्ष संगठन एस०आई०सी०ओ०एम० के साथ सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य में संतुलित शहरीकरण करने की नीति अपनाने के लिए वचनबद्ध है। राज्य सरकार की सहायता से सी०आई०डी०सी०ओ० ने महाराष्ट्र में औद्योगिक स्थानों का अध्ययन आरम्भ कर दिया है। अध्ययन में ये बातें सम्मिलित होंगी—(क) अगले 10-30 वर्षों में महाराष्ट्र में प्रारम्भ की जा सकने वाली औद्योगिक परियोजनाएं, (ख) महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक संसाधनों तथा लाभों का निर्धारण, (ग) इन विभिन्न क्षेत्रों के विकास के खर्च में अवस्थापनाओं की जाँच तथा (घ) राज्यों में औद्योगिक स्थापना के लिए अपेक्षित कसौटी की सिफ़ारिश करना। इसके बाद ही नए नगर के भावी कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश डाक सर्किल का गठन

569. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में एक पृथक डाक सर्किल का गठन करने के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह निर्णय किस तिथि तक किया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) इस मामले की जांच की जा रही है और इस पर निर्णय लेने में अभी कुछ समय लगेगा।

आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रकाशित करने वाली सरकारी पत्रिकायें

570. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रकाशित करने वाली सरकारी पत्रिकाओं के नाम क्या है;

(ख) क्या उन सभी क्षेत्रीय भाषाओं में, जिनमें कार्यक्रम प्रकाशित होते हैं; कम से कम एक पत्रिका में यह कार्यक्रम प्रकाशित होते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उन भाषाओं और बोलियों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसी पत्रिकाएं नहीं हैं; और

(घ) क्या इन भाषाओं और बोलियों में ऐसी पत्रिकाएं प्रकाशित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ०के० गुजराल): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी और सिंधी किसी भी बोली के लिए अलग से कोई कार्यक्रम पत्रिका नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

सरकार द्वारा प्रकाशित आकाशवाणी के कार्यक्रम छापने वाली पत्रिकाओं की संख्या तथा उनके नाम

1. स्वदेश सेवा :

क्रम संख्या	पत्रिका का नाम	भाषा	आवधिकता
1.	आकाशवाणी (अंग्रेज़ी)	अंग्रेज़ी	साप्ताहिक
2.	आकाशवाणी (हिन्दी)	हिन्दी	पाक्षिक
3.	आवाज़	उर्दू	तथैव
4.	बेतार जगत	बंगला	तथैव
5.	आकाशी	असमिया	तथैव
6.	बनोली	तमिल	तथैव
7.	वाणी	तेलुगु	तथैव
8.	नभोवाणी	गुजराती	तथैव

उपर्युक्त पत्रिकाओं के अतिरिक्त, मराठी में "नभोवाणी" नाम से एक पाक्षिक कार्यक्रम पत्रिका सरकार की अनुमति से केसरी मराठा ट्रस्ट आफ पूना द्वारा प्रकाशित की जाती है।

2. वैदेशिक सेवाएं :

क्रम संख्या	नाम	भाषा	आवधिकता
1.	इण्डिया कालिंग	अंग्रेज़ी	मासिक
2.	अजात अमन उल-हिन्द	अरबी	त्रैमासिक
3.	ले-दैगा अथन	बर्मी	तथैव
4.	यिनीदिज शैंग	चीनी	त्रैमासिक
5.	ल इन्डे-बोस पार्ले	फ्रांसीसी	त्रैमासिक
6.	स्वारा पेंघुबंग	इन्डोनेशी	तथैव
7.	भारत को-वाणी	नेपाली	तथैव
8.	सदाए हिन्द	फारसी	तथैव
9.	डी. हिन्द आवाज	पश्तो	तथैव
10.	सौतिया इण्डिया	स्वाहिली	तथैव
11.	ग्या-गर-गी-द्रा तान	तिब्बती	तथैव

तांबे के तार की चोरी

571 **श्री नारायण चन्द पाराशर :**

श्री अमर नाथ चावला :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक भागों से ताम्बे के तार की चोरी की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर 1971 से जून 1972 तक राज्यवार चोरी के कितने मामले पकड़े गये;

(ग) दोषियों को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या निर्बधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया है।

(ग) बाहर के जिन व्यक्तियों पर चोरी का इल्जाम होता है, उन सब पर पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया जाता है।

(घ) सुरक्षा के तरीकों को मजबूत बनाने के लिए राज्य के पुलिस प्राधिकारियों से मिल कर कार्यवाई की जा रही है क्योंकि यह मामला कानून और व्यवस्था से संबंधित है।

विवरण

सर्किल का नाम	**नवम्बर, 1971 से जून 72 के बीच पकड़ी गई ताम्बे की चोरी की वारदातें।**
पोस्टमास्टर जनरल, त्रिवेन्द्रम	69
,, ,, बंगलूर	18
,, ,, लखनऊ	31
,, ,, पटना	16
,, ,, शिलांग	15
,, ,, हैदराबाद	1533
,, ,, बम्बई	908
,, ,, अहमदाबाद	1
,, ,, जयपुर	183
,, ,, भोपाल	1089
,, ,, मद्रास	24
,, ,, कलकत्ता	कुछ नहीं
,, ,, भुवनेश्वर	16
,, ,, अम्बाला	692
निदेशक डाक तार, श्रीनगर	1

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पृथक विभाग की स्थापना करना

572. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए योजना आयोग में एक पृथक विभाग स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह विभाग कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा; और

(ग) क्या इस विभाग के कार्य-संचालन में इस क्षेत्र के संसद सदस्य को सहयोजित करने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क) जी, हां।

(ख) इस विशेष विभाग (सेल) को जो काम सौंपने का विचार है वह योजना आयोग के समुचित प्रभाग द्वारा पहले ही किया जा रहा है। इस काम के लिए अतिरिक्त पदों के सर्जन के प्रस्ताव की स्वीकृति की इन्तजारी की जा रही है। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी और नये सर्जित पदों पर नियुक्तियां हो जायेंगी, विशेष विभाग द्वारा यह काम शुरू कर दिया जायेगा।

(ग) योजना आयोग की एक औपचारिक बैठक बुलाने का विचार हैं, जिसमें विचारों के प्रारम्भिक आदान-प्रदान करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के संसद सदस्यों को आमंत्रित किया जायेगा। योजना आयोग तथा संसद सदस्यों के मध्य निरंतर सम्पर्क बनाये रखने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अथवा प्रणाली अपनाई जाय तथा पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं की समीक्षा करने तथा उनके समाधान की दिशा में क्या प्रगति हुई है आदि प्रश्नों पर इस बैठक में विचार किया जायेगा।

Payment of pension to Freedom Fighters Exiled by British Government or Those Who Assumed 'Fake Names'

574. **Shri Lambodar Baliyar :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) Whether the persons who had been exiled by British Government or who gave fake names on being arrested to evade the payment of fine, have not been included in the list of freedom fighters for the grant of pension;

(b) if so, the main points of the scheme drawn up by Govrnment for such persons, the time by which it would be implmented and the steps being taken by Government to ensure that the pension is given only to the right persons: and

(c) the number of persons of tribal areas of Madhya Pradesh likely to get the benefit of pension under the said scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) : Persons who had been exiled by British Government will be considered for pension provided the period of exile was for six months or more subject to production of necessary evidence. Persons who gave fake names on being arrested to evade the payment of fine will also be considered for pension on the production of certificates from MPs/ex—MPs or the members of State Legislature/ex-members of State Legislature who were in jails with the freedom fighters.

(c) The Government of Madhya pradesh have intimated that upto 29th July, 1972 1146 applications have been received from Districts having tribal areas. Scrutiny of cases

is in progress and unless verification work is complete it is not possible to indicate the number of persons of tribal areas likely to get benefit of pension under the Central Scheme.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में 'अप्रोच पेपर' में दिए गए उद्देश्य

575. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में 'अप्रोच पेपर' में दिए गए उद्देश्यों के नीति सम्बन्धी आशयों, यथा उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण को तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें किस तारीख तक 5वीं योजना में सम्मिलित करने के लिए तैयार कर लिया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क): जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पांचवी योजना के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट रूपरेखा केवल 1973 के अन्त में ही स्पष्ट हो सकेगी।

पूर्वी बंगाल के लोगों की तरह कश्मीरियों से व्यवहार के बारे में शेख अब्दुल्ला का वक्तव्य

576. श्री नरेंद्र सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक सार्वजनिक सभा में यह मांग की है कि भारत को कश्मीरियों के साथ उसी ढंग से व्यवहार करना चाहिए जैसा उसने पूर्व बंगाल के लोगों के साथ किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में ऐसी प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) सरकार समझती हैं कि शेख का उक्त वक्तव्य अनावश्यक तथा तथ्यों से सम्बन्धित है। दोनों स्थितियों की तुलना करना बिल्कुल असंगत है।

आणविक विस्फोट के द्वारा खनिज निकालना

577. श्री नरेंद्र सिंह :
श्री फूल चंद वर्मा :

क्या **परमाणु** ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग के विशेषज्ञों द्वारा किये गये अध्ययन से यह पता चलता है कि भारत तांबा और यूरेनियम निकालने के लिए शांतिपूर्ण आणविक विस्फोट कर सकता है; और

(ख) क्या इस विस्फोट की आर्थिक सम्भाव्यता का अध्ययन कर लिया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्री-ती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा आयोग ऐसी परिस्थितियों का अध्ययन कर रहा है जिनके अन्तर्गत शांतिमय कार्यों के लिए किए गए भूमिगत परमाणु विस्फोट पर्यावरण सम्बन्धी संकट उत्पन्न किए बिना भी आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं ।

राजनैतिक दल परिवर्तन को रोकने के लिए विधान

578. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजनैतिक दल परिवर्तन को रोकने के लिए संसद में विधान प्रस्तुत करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख). पिछले सत्र में गृह मंत्रालय की अनुदान माँगों पर बहस का उत्तर देते हुए प्रधान मंत्री ने उन रूपरेखाओं का उल्लेख किया था जिन पर दल बदलने की समस्या निपटने के लिए विधायी प्रस्तावों के क्षेत्र का, जिसपर राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ पहले विचार विमर्श किया गया था विस्तार किया जा रहा था। मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही संसद में विधान पुरःस्थापित किया जायेगा ।

पंजाब के भूतपूर्व मन्त्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए दबे आयोग

579. श्री सतपाल कपूर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे दबे आयोग ने सुनवाई पूरी कर ली है ;

(ख) जांच इस समय किस स्थिति में है; और

(ग) क्या आयोग को अपना प्रतिवेदन देने के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है;

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). पंजाब राज्य के कुछ भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये कतिपय आरोपों की जांच पड़ताल करने के लिए नियुक्त आयोग ने कुछ आरोपों के संदर्भ में पार्टियों की सुनवाई कर ली है और जांच कार्य प्रगति पर है। आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह 31 मार्च, 1973 तक अपना प्रतिवेदन पेश करे।

दिल्ली में कारों और स्कूटरों की चोरी

580. श्री सतपाल कपूर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार चोरों द्वारा कुल कितनी कारों तथा स्कूटरों की चोरी की गई;

(ख) इनमें से कितनी कारों तथा स्कूटरों को वर्ष-वार बरामद किया गया और उनके मालिकों को सौंपा गया।

(ग) शेष कारों तथा स्कूटरों के बरामद न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, कितने कार तथा स्कूटर चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

(क)

वर्ष	कार	स्कूटर
1969	275	278
1970	395	365
1971	489	515

(ख)

वर्ष	कार		स्कूटर	
	बरामद की गई	मालिक को दी गई	बरामद किया गया	मालिक को दिया गया
1969	250	250	199	199
1970	347	347	233	233
1971	425	425	317	317

(ग) पुलिस द्वारा अथवा प्रयत्न करने के बावजूद भी शेष कार तथास कूटर बरामद नहीं हो सके क्योंकि अपराधी साधारणतः नम्बर पट्टीका बदल देते में, चेसी तथा वाहन के इन्जन के नम्बर मेंफेर बदल कर देते हैं और नकली कागजात बना कर उन्हें कही दूर स्थानों में बेच देते हैं।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गिरफ्तार किए गए चोरों की संख्या तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

वर्ष	कार/स्कूटर	गिरफ्तार किए व्यक्तियों की संख्या	चालान किये गये	सजा दी गई	छोड़े गये	विचारण के लिए मामले	जांच के लिए मामले	मुक्त किए गये
1969	कार	112	93	24	16	53	—	19
	स्कूटर	61	52	19	9	24	—	9
1970	कार	129	103	17	4	82	4	22
	स्कूटर	79	62	11	9	42	—	17
1971	कार	133	91	4	1	81	20	27
	स्कूटर	78	54	3	2	49	12	12

फिल्म परिषद्

581. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच फिल्म परिषद् का गठन कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के क्या नाम हैं और इसके क्या कार्य कलाप हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी एजेन्ट/जासूस

582. **श्री सतपाल कपूर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा पाकिस्तान के बीच दिसम्बर, 1971 में हुये युद्ध से लेकर अब तक तथा पिछले तीन महीनों में पंजाब में कुल कितने पाकिस्तान एजेन्ट/जासूस गिरफ्तार किये गये; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्रीराम निवास मिर्धा) : (क). पंजाब सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 3—12—1971 से 30—6—1972 तक की अवधि के दौरान पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के सन्देह में 23 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे जिनमें से 17 व्यक्ति पिछले 3 माह के दौरान गिरफ्तार किए गये।

(ख) इन व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किए गये मामलों की जांच पड़ताल हो रही है।

राजा गार्डन, फरीदाबाद में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

583. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए राजा गार्डन, पुराना फरीदाबाद (हरियाणा) के निवासियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या मुख्य संसदीय सचिव (हरियाणा) समेत कुछ संसद सदस्यों ने भी एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की सिफारिश करते हुए समय-समय पर अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क). जी हाँ।

(ख) जी हां।

(ग) प्रारम्भ में पी० सी० ओ० के लिए एक रिहायशी मकान का सुझाव दिया गया था। क्योंकि उस स्थान तक आम जनता की आसानी से पहुंच नहीं हो सकती थी, इसलिए इसे उचित नहीं समझा गया। गुरुद्वारा कमेटी के उपप्रधान ने गुरुद्वारा गोपी कालोनी के अहाते में एक और स्थान का सुझाव दिया था। यह स्थान उचित समझा गया और पी० सी० ओ० की मंजूरी दे दी गई है। ज्योंही वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती है, जिनमें डिमांड नोट की अदायगी भी शामिल है, पी० सी० ओ० की व्यवस्था की जा सकती है।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कर्मचारी संघ, हरिद्वार का ज्ञापन

584. मौलाना इसहाक सम्भली : क्या औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 19 मई, 1972 को हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड कर्मचारी संघ, हरिद्वार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मांगें की गई हैं,

(ग) क्या सरकार ने उनकी माँगों पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) मांगे संलग्न अनुबन्ध में सूचीबद्ध की गई हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3235/72]

(ग) और (घ). मांगों पर संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया है तथा इस बात पर सहमति हो गई है कि शीघ्र समझौता कर लेने के विचार से माँगों पर प्रबन्धकों और संघ के प्रतिनिधियों के मध्य बातचीत की जायेगी।

Analysis of Sensus Figures

585. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Rana Bhahadur Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether an analysis of the Census figures has revealed that the population of Hindus in the country is going down, where as the population of Muslims and Christians is increasing beyond anticipation; and

(b) If so, the reasons therefor and the setps proposed to be taken to remove the public resentment as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The 1971 Census figures show that the growth rate of population of Hindus was 23.69% Muslims 30.85% and Christians 32.60% in the country during the decade 1961—71. But it cannot be said that the population of Hindus is going down.

(b) Certain Socio-Cultural factors that have a bearing on the length of the period that women in child-bearing age are exposed to the chance of maternity very from religious group to religious group and these affect the fertility patterns. There is no need for public resentment in this regard.

Implementation of Recommendations of Khosla Committee Report

587. Shri R. B. Bade :
Shri K. Mallanna :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the time by which Government propose to implement the recommendations of the Khosla Committee report; and

(b) the decisive policy of Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) and (b). It is the policy of Government to accard the most careful consi·deration to the recommondations of Commissions/Committees oppointed by them, in consultation with the various interests and organisations concerned. In this case the process of consultation with the State Governments and various organisations conneced with the film industry has taken sometime. The decisions are likely to be taken shortly.

ट्रैक्टर निर्माण उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

588. श्री रामसहाय पांडे : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों का निर्माण करने वाले अधिकांश औद्योगिक एकक अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम क्षमता पर कार्य कर रहे हैं, जबकि देश में ट्रैक्टरों की मांग तेजी से बढ़ रही है;

(ख) क्या उनमें ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय उत्पादन में लगे 6 ट्रैक्टर एककों में से एक को छोड़कर शेष सभी एककों में स्थापित क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है। ट्रैक्टर विक्रेताओं के पास खरीददारों के पंजीकरण से यह पता लगता है कि एक विशेष मेक को अधिक वरीयता दी जाती है। कुल एककों में से तीन एककों में बने ट्रैक्टरों के प्रकारों की चालू मांग उनकी स्थापित क्षमता से काफी कम है और यही कारण है कि इन एककों में उत्पादन कम होता है।

(ख) और (ग) सरकार ने समीक्षाधीन वर्ष 1972-73 में 40,000 से अधिक ट्रैक्टरों के उत्पादन के तथ्य की प्राप्ति के लिए ट्रैक्टर एककों को कच्चे सामान और हिस्से पुर्जों के आयात की सुविधा दे दी है और उत्पादन का यह स्तर तभी उपलब्ध हो सकता है जबकि ट्रैक्टरों की उचित बिक्री हो सके।

अमृतसर और बम्बई के टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना में प्रगति

589. श्री रामसहाय पांडे : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमृतसर और बम्बई में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री आइ० के० गुजराल): **अमृतसर टेलीविजन ट्रांसमीटिंग केन्द्र**: परियोजना के सिविल कार्य लगभग मुकम्मल हो चुके हैं, 100 मीटर का एक टेलीविजन टावर पहले ही स्थापित किया जा चुका है। ट्रांसमीटर, स्टूडियो तथा टेलीसिने सम्बन्ध उपकरण जो जापान से मंगाए गए हैं, शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं। केन्द्र के वर्ष 1972 की समाप्ति से पहले चालू हो जाने की उम्मीद है।

बम्बई टेलीविजन केन्द्र : सिविल तथा विभागीय कार्य लगभग मुकम्मल हो गए हैं। टेली-विजन एण्टेना को ऊंचा उठाने के लिए 300 मीटर का एक टावर स्थापित किया जा चुका है। एण्टेना की स्थापना का कार्य चालू है। टेलीविजन स्टूडिओ तथा ट्रांसमीटर उपकरण लगाये जा चुके हैं और उनका परीक्षण किया जा रहा हैं। केन्द्र के अक्टूबर, 1972 तक चालू हो जाने की उम्मीद है ।

आकाशवाणी के गीत तथा नाट्य प्रभाग के कलाकारों का आंदोलन

590. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी के गीत तथा नाट्य प्रभाग में कार्य करने वाले कलाकारों ने बेहतर सेवा शर्तों सम्बन्धी अपनी मांगें मनवाने के लिए हाल ही में आन्दोलन किया था;

(ख) यदि हां, तो माँगों का ब्यौरा क्या है; ओर

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है और इस मामले में इस बीच समझौता हो गया हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) गीत और नाटक प्रभाग के कुछ स्टाक आर्टिस्टों के निलम्बित किये जाने पर 5 जुलाई, 1972 को एक प्रतिनिधि मण्डल अपनी तकलीफों को बताने के लिए सूचना और प्रसारण उप-मंत्री से मिला था।

(ख) तकलीफें सेवा शर्तों और दौरे के दौरान स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा अनुभव की गई कठि-नाइयों से सम्बन्धित थी ।

(ग) तकलीफों पर विचार किया गया हैं और अन्य बातों के साथ-साथ एक परामर्शदात्री व्यवस्था का प्रबन्ध करने के लिए कार्रवाई की गई है जो प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच समय समय पर पैदा होने वाली आपसी समस्याओं पर नियमित रूप से विचार-विमर्श करेगी ।

Waiting List of Telephone Connections in the Conntry

591. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of persons on the Waiting List for telephone connections in the four biggest cities of the country and the country as a while: and

(b) the time by which telephone connections are likely to be provided to all of them ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The wait list as on 31.3.1972 is furnished below :—

Bombay Telephones	83,905
Culcutta	40,090
Delhi	51,057
Madras	7,410

Total waiting list all over the country : 341,102.

(b) With the present limited supplies of telephone equipment, the present waiting list is likely to be cleared by 1976-77 ?

केन्द्र-राज्य सम्बन्ध

592. श्री पी० वैकंटासुब्बया :
श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं; और

(ख) इसके अब तक क्या परिणाम निकलें हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने स्पष्ट रूप से सिफारिश की है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का नियन्त्रण करने वाले संविधान के उपबन्ध किसी ऐसी स्थिति का मुकाबला करने अथवा किसी ऐसी समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त हैं जो इस विषय में उत्पन्न हो। केन्द्र व राज्यों के समान हित की समस्याओं और केन्द्र व राज्यों के बीच मतभेदों पर औपचारिक तथा अनौपचारिक बातचीत में विचार-विमर्श किया जाता है और केन्द्र व राज्यों के बीच सद्भावपूर्ण सम्बन्ध रखे जाते हैं।

आंध्र प्रदेश में छोटी कार परियोजना के लिए भूमि

593. श्री पी० बैकंटासुब्बया : क्या **प्रौद्योगिक विकास तथा विज्ञान और औद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित छोटी कार परियोजना स्थापित करने हेतु 3000 एकड़ भूमि तथा अन्य प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग). राज्यों द्वारा इस परियोजना के लिए भूमि और अन्य सुविधायें देने पर विचार करने का प्रश्न अभी पैदा नहीं हुआ है क्योंकि सरकारी क्षेत्र में यात्री कार परियोजना स्थापित करने के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अमरीका की आई०टी०टी० कम्पनी द्वारा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री के साथ सहयोग

594. श्री सरजू पांडे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका के एक विशाल इन्टरनेशनल टेलीग्राफ एण्ड टेलीफोन कारपोरेशन के प्रतिनिधियों द्वारा हाल ही में किए गये इस दावे की ओर आकर्षित किया गया है कि भारत के टेलीफोन उद्योग के साथ उनकी कम्पनी का सहयोग संतोषजनक रहा है; और

(ख) क्या उक्त निगम की ओर से यह भी दावा किया गया है कि उसने जानकारी तथा विशेषज्ञ प्रदान करने के बारे में अपनी वचन बद्धता निभाई है और सहयोग करार के अनुरूप अधिकतम उत्पादकता की स्थिति पैदा की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) सरकार ने समाचार पत्रों में रिपोर्टें देखी है। सरकार को आई०टी०टी० से इस प्रकार के दावे के बारे में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

बम्बई में हरिजन बौद्धों द्वारा आयोजित प्रदर्शन

595. श्री एच०एम० पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 जून, 1972 को बम्बई तथा महाराष्ट्र के दूसरे भागों में हरिजन बौद्धों ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया था; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के हरिजन बौद्धों ने किस प्रकार की शिकायत अथवा कठिनाइयां रखीं और इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 12 जून, 1972 को कौंसिल हाल, बम्बई में भारतीय रिपब्लिकन दल के प्रतिद्वन्दी दल तथा बम्बई प्रदेश कांग्रेस समिति ने नव-बुद्ध धर्माव-लम्बियों तथा हरिजनों पर तथाकथित अत्याचार के विरोध में मोर्चे संगठित किये थे। राज्य सरकार से लगाये गये विशिष्ट आरोपों तथा उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

राज्यों को योजना कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता के वितरण की कसौटी

596. श्री भान सिंह भौरा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को योजना कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता के वितरण के बारे में मुख्य मंत्रियों की बैठक में केन्द्र सरकार ने कौन सी नई कसौटी रखी थी;

(ख) इस नये प्रस्ताव पर मुख्य मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) मुख्य मंत्रियों की बैठक (कदाचित् राष्ट्रीय विकास परिषद् की 30 तथा 31 मई, 1972 की बैठक) में केन्द्रीय सहायता के वितरण के सम्बन्ध में कोई नई कसौटी नहीं रखी गई।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतें

597. श्री भान सिंह भौरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों पर चर्चा करने हेतु गृह मंत्रालय से एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन करने के लिए कहा है;

(ख) क्या इस बैठक का आयोजन किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) प्रधान मन्त्री ने किसी ऐसी उच्च स्तरीय बैठक के बुलाने के लिए नहीं कहा, किन्तु गृह मन्त्री भी होने के नाते वह दिल्ली पुलिस के कार्यों तथा दिल्ली से सम्बन्धित अन्य मामलों से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं।

डाक तथा तार विभाग के उड़ीसा सर्किल में आवास के लिए नियत राशि

599. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में डाक तथा तार विभाग के उड़ीसा सर्किल को पुरी पोस्टल डिवीजन में भुवनेश्वर, जटनी, खुर्दा, बालागन तथा अन्य स्थानों के डाक तथा तार कर्मचारियों को मकानों की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत रूप रेखा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) उड़ीसा सर्किल में 1971-72 में निम्नलिखित स्थानों पर क्वार्टरों के निर्माण के लिए 407000 रुपये की राशि अलाट की गई थी :—

भुवनेश्वर	...	3,02,000 रुपये
पुरी	...	55,000 रुपये
जटनी	...	50,000 रुपये

इसके लिए 1972-73 में 1,36,000 रुपये की रकम अलाट की गई थी। पुरी डाक डिवीजन में बालागन, खुर्दा और अन्य क्षेत्रों के लिए कोई राशि अलाट नहीं की गई थी।

आकाशवाणी के इंजीनियरों द्वारा ज्ञापन

600. **श्री फूलचन्द्र वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के 70 से भी अधिक इंजीनियरों ने एक ज्ञापन के द्वारा मांग की है कि सीधी भर्ती के नियमों में तत्काल परिवर्तन किया जाय जिससे उनकी पदोन्नति प्रभावित न हो; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने जो कार्यवाही की है उसकी विस्तृत रूप रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई०के० गुजराल) : (क) इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद आकाशवाणी के सहायक केन्द्र इंजीनियर तथा सहायक इंजीनियर के ग्रेडों में सीधी भर्ती का कोटा क्रमशः 70 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत से घटा कर 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया है।

सभा के कार्यवाही वृतान्त से शब्दों को निकाल दिये जाने के बारे में

Re. Expunctions from Proceedings

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्वर) यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आप किन परिस्थितियों में शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : किसी भी अपमानजनक शब्द को निकाला जा सकता है। आप किसी महिला का नाम नहीं ले सकते हैं। यह उचित नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : May I know the point which will be expunged

Mr. Speaker : The point of the speech where I told him to stop will be expunged.

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम विलकुल स्पष्ट है। यदि कोई अपमानजनक अथवा अशिष्ट शब्द कहे गये हों तो उन्हें निकाला जा सकता है। परन्तु श्री कछवाय ने जो कुछ कहा उसमें कुछ भी अपमानजनक नहीं था। आप अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग न करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय ने कारों के मूल्यों को निर्धारित करने के भिन्न बात की थी जो मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आप यह कह सकते हैं कि यह असंगत है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप असंगत बातों को निकालने का आदेश नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शिमला समझौते के बारे में दूसरे पक्ष ने अनेक असंगत बातें कहीं। परन्तु आपने उनको सभा के कार्यवाही वृतान्त से नहीं निकाला।

श्री एस० ए० शमीम (**श्री** नगर) : क्या असंगत तथा गैर-संसदीय बातों में कोई अन्तर नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आप को कुछ निर्धारित नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए। यदि कार्यवाही वृतान्त से शब्दों को निकालने की शक्ति के प्रयोग के लिए आपके आदेश को लागू करना है तो यह उस शक्ति का उचित प्रयोग नहीं है श्री शशि भूषण ने कोका-कोला के बारे में जो भाषण किया था वह सारा भाषण असंगत था परन्तु उसमें से कुछ भी नहीं निकाला गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री कछवाय ने जो कुछ कहा है उसे रिकार्ड में रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु इस समय कोई प्रस्ताव नहीं रख सकते।

श्री एस० ए० शमीम : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाय तथा जो कुछ रिकार्ड हो चुका है उसको निकाल दिये जाने में बहुत अन्तर है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं इसकी अनुमति देता हूँ तो यह एक गलत बात होगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी और माननीय मंत्री ने उसका उत्तर भी दे दिया था।

अध्यक्ष महोदय : उक्त प्रश्न तथा उसके उत्तर को रिकार्ड में रखा जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बात को रिकार्ड किया जाये कि यदि श्री हुकमचन्द कछवाय द्वारा कही गई बात को कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने का आपका निर्णय अन्तिम है तो मैं कहूँगा कि आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं और ऐसा करने का आप को कोई अधिकार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे द्वारा रोके जाने से पूर्व की सभी बातों को रिकार्ड किया जायेगा परन्तु इसके बाद भी यदि वह कुछ कहते हैं तो वह बात रिकार्ड नहीं की जा सकती ।

श्री पीलू मोदी : (गोधरा) इस शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस से सहमत हूं ।

श्री पीलू मोदी : केवल गैर-संसदीय बातों को ही कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिए । आप की बातों से ऐसा लगता है कि आप ने कुछ असंगत बातों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया है, मेरा सुझाव हैं कि उनको रिकार्ड पर ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य मेरे मना करने पर भी अनुपूरक प्रश्न पूछता है तो वह रिकार्ड नहीं की जा सकती । हम अनेक वर्षों से इसी प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : रिकार्ड की गई बातों को रिकार्ड से निकाल देने का आदेश देने की शक्ति किसी नियम में आपको नहीं दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्ट रूप में बता देना चाहता हूँ कि सदस्यों को मेरी अनुमति लेकर ही बोलना चाहिए । मेरी अनुमति के बिना जो कुछ कहा जायेगा उसको रिकार्ड नहीं दिया जायेगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of urgent Public Importance

उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के मछरिया गांव में दस हरिजनों को जिन्दा जला दिये जाने का समाचार

श्री हरी सिंह (खुर्जा) : श्री मान मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के मछरिया गांव में 10 हरिजन स्त्रियाँ और बच्चों को जिन्दा जला दिये जाने की हाल की घटना के समाचार"

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : इससे पूर्व कि माननीय मंत्री वक्तव्य दें मेरा निवेदन है कि इसको किसी अन्य दिन के लिए स्थगित कर दिया जाये क्योंकि विवरण के अनुसार सरकार के पास पूरी जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे मंत्री महोदय का वक्तव्य सुन लेने दीजिए ।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : उत्तर प्रदेश

सरकार से इस बारे में जानकारी मांगी गई थी। उनके पास अभी जानकारी नहीं है। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात सभापटल पर विवरण रख दिया जायेगा।

Shri B. P. Maurya (Hapur) : I rise on a point of order. This incident happened about one and a half week before. The hon. Minister should have collected the necessary information or he should have asked for more time.

Mr. Speaker : The Minister gets very little time for collecting information because the notices are received only one day in advance.

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : This issue has already been discussed in the U.P. legislation Assembly.

Mr. Speaker : You are also speaking without my permission.

Shri Attal Behari Vajpayee : Please post-pone it for tomarrow.

Mr. Speaker : It will be taken up after five or seven days or as soon as the information comes.

सभा–पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table.

पत्रों के वितरण के लिए पी०आई०एन० कोड को लागू करने के बारे में विवरण और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) पत्रों के वितरण के लिये पी०आई०एन० कोड लागू करने के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी—3217/72]

(2) (एक) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतगंत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) भारतीय टेलीग्राफ (पहला संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 1 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 411 में प्रकाशित हुए थे।

(ख) भारतीय टेलीग्राफ (तीसरा संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र दिनाँक 16 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 280 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग) भारतीय टेलीग्राफ (चौथा संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 जून, 1972, में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 305(ड.) में प्रकाशित हुए थे।

(घ) भारतीय टेलीग्राफ (पाँचवां संशोधन) नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 781 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त मद (क) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी—3218/72]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवाऐं अधिनियम, 1951, की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1972, में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 301 (ड.) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन नियम, 1954, का वर्ष 1972 का सातवां संशोधन जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1972, में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 302 (ड.) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) अखिल भारतीय सेवाए (अध्ययन अवकाश) संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 666 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अन्तिम परीक्षा) दूसरा संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 667 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 जून, 1972, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 695 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी—3219/72]

(2) आयुध अधिनियम, 1959, की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आयुध (संशोधन) नियम, 1972, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 590 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी—3220/72]

अखिल भारतीय सेवाए अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचनाए

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ।

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (संदर्भ में पद-संख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 20 मई, 1972, में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 596 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954, का वर्ष 1972 का तीसरा संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 597 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी—3221/72]

गैर--सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
Committee on Private Members Bill and Resolutions

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायन्तशासी जिले): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सबंधी समिति का पन्द्रहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अन्तर्गत प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)
Re : Motion under Rule 377 (query)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मैंने सूचना दी थी और सचिवालय की ओर से मुझे सूचित किया गया है कि मामला विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी इसे नहीं देखा है। यह निश्चित समय के बहुत बाद पहुँचा है। जब तक मैं इसे देख नहीं लेता तब तक इसे उठाने की अनुमति नहीं दे सकता।

कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972
Coknig Coal Mines (Nationalization) Bill, 1972

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोहा तथा इस्पात उद्योग की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिए आवश्यक कोककारी कोयले के स्रोतों की सुरक्षा, संरक्षण और उनके वैज्ञानिक विकास की प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ कोककारी कोयला खानों तथा संयंत्रों का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोककारी कोयला खानों के स्वामियों के अधिकार, हक और हित का और ऐसे कोक भट्ठी संयंत्रों के, जो उक्त कोककारी कोयला खानों में या उनके आसपास हैं, स्वामियों के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने का और उससे सम्बद्ध या आनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक का उद्देश्य इन खानों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को पूरा करना है। लगभग नौ महीने पूर्व सरकार ने इन खानों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लिया था। सरकार ने इस अवधि में इन के कार्यकाल तथा आस्तियों के बारे में अनुमान लगा लिया है। यही कारण हैं कि इस विधेयक को सभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सका। खानों की आस्तियों का पता लगाने के लिए सरकार ने लेखापालों के पांच दल गठित किये थे। राष्ट्रीयकरण कोयला विकास निगम के सिविल, इलैक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल इन्जीनियरों के दल भी इस कार्य हेतु गठित किये गये थे। इन सभी के कार्य को समन्वित करने हेतु सरकार ने एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया था।

विधेयक में उस राशि का उल्लेख किया गया है जो कि एक कोयला खानों/संयंत्रों के मालिकों को दी जायेगी। मुआवजा का भुगतान नकदी में किया जायेगा।

विभिन्न कारणों में कोककर कोयले का उत्पादन 1969-70 में कम हो गया था। आशा है कि वैगनों की सप्लाई में सुधार होगा तथा बोकारो इस्पात कारखाने के चालू हो जाने से इसकी माँग भी बढ़ेगी।

कोककर कोयला खानों का नियंत्रण जब सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया था तब उसमें कर्मचारियों की संख्या 70,000 थी। अब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में नियमित कर्मचारियों की संख्या 1.15,000 हो गई है। यह सरकार की सफलता की द्योतक है।

कोककर कोयला खानों को अधिकार में लेने के बाद उन्हें 24 ग्रुपों में बांटा गया था और प्रत्येक ग्रुप को एक कस्टोडियन के नियंत्रण में रखा गया था। ऐसा पाया गया कि बहुत सी खानें अलाभप्रद थी और उन में वैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य नहीं हो सकता था। अतः भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में एक योजना सैल की स्थापना की गई है।

झरिया की खानों में उत्पादन में वृद्धि तभी सम्भव हो सकती है जब कि खानों का पुनर्निर्माण और पुनर्गठन वैज्ञानिक ढंग से किया जाये। विधेयक को पारित करने के बाद ही खानों के पुनर्गठन का कार्य प्रभावकारी ढंग से किया जा सकेगा। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये :—

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि लोहा तथा इस्पात उद्योग की बढ़ती हुई माँगों की पूर्ति के लिए आवश्यक कोककारी कोयले के स्रोतों की सुरक्षा, संरक्षण और उनके वैज्ञानिक विकास की प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ कोककारी कोयला खानो तथा संयंत्रों का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोककारी कोयला खानों के स्वामियों के अधिकार, हक और हित का और ऐसे कोक भट्ठी संयंत्रों के, जो उक्त कोककारी कोयला खानों में या उनके आसपास हैं, स्वामियों के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने का और उससे सम्बद्ध या आनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस पर श्री मूल चन्द डागा का एक संशोधन है। क्या वे उसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि लोहा तथा इस्पात उद्योग की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिए आवश्यक कोककारी कोयले के स्त्रों की सुरक्षा, संरक्षण और उनके वैज्ञानिक विकास की प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ कोककारी कोयला खानों तथा संयंत्रों का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोककारी कोयला खानों के स्वामियों के अधिकार, हक और हित का और ऐसे कोक भट्ठी संयंत्रों के, जो उक्त कोककारी कोयला खानों में या उनके आसपास हैं, स्वामियों के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने का और उससे सम्बद्ध या आनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक" को निम्नलिखित 9 सदस्यों की प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे अगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाये :—

"सर्व श्री अरविन्द नेताम, एस० एम० बनर्जी, एस० मोहन कुमार मंगलम, विक्रम महाजन,

कार्तिक उरांव, दामोदर पाण्डे, डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, श्री आर० एन० शर्मा, श्री एस० एन० सिंह ।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : गैर-सरकारी प्रबन्धकों के अधीन कोककर कोयला खानों में पूंजीपतियों के कदाचार का बोलबाला है। वे विकसित तकनीक का लाभ उठाने में असफल रहे हैं । वे अपना उत्पादन कम और व्यय बहुत अधिक दिखाते हैं और कर्मचारियों की फर्जी सूची तैयार कर राज्य को उसकी आय और कर्मचारियों को उनकी बकाया धनराशि से वंचित रखते हैं ।

राष्ट्रीयकृत उपक्रमों को जनता के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए और उनमें उचित प्रबन्ध व्यवस्था होनी चाहिए । लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे समाचार प्राप्त हुए कि गत वर्ष प्रबन्ध व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के पश्चात्, कोयला खानों में कोयले के उत्पादन में भारी कमी हुई है। ऐसे समाचार भी प्राप्त हुए हैं कि कोयला खानों को चलाने का खर्च बहुत बढ़ गया है और कोयले के उत्पादन तथा वितरण के मामले में बहुत रूकावटें आई हैं । हम चाहते हैं कि राष्ट्रीयकृत कोयला खानों तथा कोक भट्ठी संयंत्रों में कुशलतापूर्वक कार्य हो ।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि ये कोयला खाने और कोक भट्ठी उचित प्रबन्धकों के अधीन हो । इन उपक्रमों का कार्य भार ऐसे तकनीकी कर्मचारियों को सौंपा जाना चाहिए जिनमें प्रबन्धकों जैसी योग्यता भी हो क्योंकि तकनीक में काफी उन्नति हो रही है और हमें भी इस विकास के अनुकूल काम करना चाहिए ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये, जिससे जनता इनके राष्ट्रीयकरण से पूरा लाभ उठा सके और उसका समाजवाद में विश्वास समाप्त न हो ।

विधेयक के कुछ उपबन्धों का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए तथा कुछ उपबन्धों में संशोधन करना आवश्यक है ।

अनेक कोयला कम्पनियों को बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि आवंटित करने का क्या आधार है ? क्या कुछ कम्पनियों को, जो अपना कार्य उचित ढंग से नही कर रही है, वही दर्जा दिया जा रहा है जो उन कम्पनियों को दिया जाता है जो अपना काम उचित ढंग से कर रही है । फर्जी हानि दिखाने वाली कम्पनियों से कैसे व्यवहार किया जा रहा हैं ? इस बारे में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिये । इस बात का भी आश्वासन दिया जाना चाहिए कि किसी विशेष कम्पनी के मालिक के साथ पक्षपात नहीं किया गया है ।

संविधान में संशोधन के बाद यह मामला न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया है । कोई भी व्यक्ति निर्धारित राशि के अपर्याप्त के बारे में चुनौती नहीं दे सकता ।

अतः हम इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी चाहते हैं ।

विधेयक का खंड 9 श्रमिकों से सम्बन्धित है । इसमें यह उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय सरकार पूर्व दायित्वों के लिए जिम्मेवार नहीं है । इन पूर्ण दायित्वों में मजदूरी, बोनस, भविष्य निधि, पेंशन, उत्पादन आदि दायित्व शामिल है । इस आशय का स्पष्ट उपबन्ध किया गया है कि मजदूरों को देय राशि के लिए उन्हें भूतपूर्व मालिकों अथवा मैनेजरों के पीछे भागना पड़ेगा और सरकार मजदूरी, भविष्य निधि, उपदान, पैंशन आदि की बकाया राशि का भुगतान करने के किसी दायित्व के बिना उपक्रम को नियंत्रण में लेगी । इससे कम्पनियां लाभान्वित होंगी । निर्धन

कर्मचारियों को क्यों हानि उठानी पड़े ? ये सब सरकार के दायित्व होने चाहियें। इसीलिए हमने खंड 9 में संशोधन का सुझाव दिया है कि इन लोगों को अपने पुराने नियोजकों की दया पर नहीं छोड़ा जाये।

सरकार के अधीन किसी उद्योग में उसके राष्ट्रीयकरण के पश्चात् श्रमिकों के रोजगार को बनाये रखने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम के खंड 17 के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है। लेकिन उसमें यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे मामलों में उनका रोजगार तब तक बना रहेगा जब तक उसे समाप्त नहीं कर दिया जाता अथवा जब तक केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तों में विधिवत रूप से तबदिलयां नहीं की जातीं। इस बात का आश्वासन दिया जाना चाहिये कि परिवर्तन कर्मचारियों के लिए कम लाभदायक नहीं होंगे।

कर्मचारियों की सेवाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये। कम्पनी का नियंत्रण अपने अधिकार में लेने के बाद मुख्यालय के कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अनेक ऐसे कर्मचारियों का कोयला खानों में स्थानान्तरण कर दिया गया है जो सेवा निवृत्त होने वाले हैं। मंत्री महोदय को मुख्यालय में सेवा की सुरक्षा का आश्वासन देना चाहिये।

खंड 23 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यदि श्रमिकों को पारिश्रमिक देने के लिये कम्पनी के पास परिसम्पत्ति नहीं होगी तो श्रमिकों को अपनी मजदूरी नहीं मिल सकेगी और राशियां समान अनुपात में कम हो जायेंगी। यह बहुत अनुचित बात है। श्रमिकों के सम्बन्ध में यह बहुत कठोर उपबन्ध है।

धनराशि की व्यवस्था करने का काम केन्द्रीय सरकार का है। केन्द्रीय सरकार न केवल प्रबन्ध को अपने हाथ में ले रही है बल्कि कम्पनी की सब परिसम्पत्तियों और दायित्वों को भी अपने अधिकार में ले रही है। मन्त्री महोदय को इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये और इस सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में कोयला क्षेत्रों की स्थिति बहुत अनिश्चित हो गई है। कर्मचारी और मजदूर वहां जाने में असमर्थ है। वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखनी चाहिये। अब जब केन्द्रीय सरकार ने वहां कोयला खानों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है, वहां ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये जिससे कोयला खानों का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान् भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Subha then adjourned for Lunch till fouteen of the Clock

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक-सभा 2 बजकर 4 मिनट म०प० पर पुन: समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Four Minutes Past Fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Depnty Speaker *in the Chair*

***श्री सी चित्तिबाबू** (चिंगलपट) : हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। इस विधेयक द्वारा 214 कोककर कोयला खानों और 12 कोक भट्टियों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। खंड 10 के अन्तर्गत कोयला खानों और भट्टियों के मालिकों को 16.37 करोड़ रुपया मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है।

मालिकों को मुआवजा प्रमाण पत्रों और बांडों के रूप में दिया जाना चाहिये।

ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री की बिहार और पश्चिम बंगाल कोयला कर्मचारियों की तुलना में माउन्ट रोड कर्मचारियों के प्रति अधिक सहानुभूति है। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय सरकार मजदूरी, बोनस भविष्यनिधि और अन्य बकाया राशि देने के लिये जिम्मेदार नहीं है। मंत्री महोदय को साधारण जनता के मन से इस प्रकार का सन्देह दूर करना चाहिये।

यह केवल 16.37 करोड़ रुपये के मुआबजे का प्रश्न नहीं है। विधेयक के खंड 4 और 5 के अन्तर्गत मालिकों को 1 मई, 1972 से इस अधिनियम के लागू होने की तारीख तक 3.50 लाख रुपये प्रतिमास और दिये जायेंगे। मैं इस उपबन्ध का समर्थन नहीं करता। इसके अतिरिक्त, आयुक्त द्वारा मालिकों को भुगतान करने की तारीख तक 5.46 लाख रुपये ब्याज के रूप में दिये जायेंगे। मंत्री महोदय पूंजीपतियों के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखाते हैं ? मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नही हैं कि जनता के धन का इस प्रकार दुरूपयोग किया जा रहा है।

इन खानों के कस्टोडियनों की योग्यताओं आदि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। भुगतान आयुक्त के बारे में कुछ नहीं कहा गया क्या उसकी आवश्यकता भी है ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि 16.37 करोड़ रुपये के प्रतिकर का हिसाब कैसे लगाया गया है। जब सभा से यह विधेयक पास करने को कहा जाता है तो सभी संगत जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिये।

विधेयक में श्रमिकों को दिए जाने वाले लाभों की कोई गारंटी नहीं दी गई है, जिससे निजी मालिक उन्हें वंचित रखते रहे हैं। श्रमिकों को देय बकाया राशि मालिकों को दिए जाने वाले प्रतिकर में से काट ली जानी चाहिये और संगत खण्ड का उचित संशोधन किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीयकृत खानों में श्रमिकों को पुनः रोजगार देने की भी कोई गारंटी नहीं दी गई, इसे कस्टोडियनों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। हाल ही में रोटरी क्लब की एक बैठक में मंत्री महोदय के भाई जनरल कुमारमंगलम ने कहा था कि यद्यपि क्या करना चाहिये इस बारे में काफी कुछ कहा जाता है परन्तु किया बहुत कम जाता है। यह बात वह अपने भाई के बारे में ही नहीं, पूरे शासक दल के बारे में ही कह रहे थे।

आशा है मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे और विधेयक में आवश्यक संशोधन करेंगे।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेज़ी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech deilvered in Tamil.

Shri R.N. Sharma (Dhanbad) : We were expecting this Bill to be brought in October last but due to certain technical difficulties, its introduction has been delayed. The delay has created further complications.

Although the contention of the hon. Member of DMK regarding compensation is justified but Provident Fund dues alone exceed the entire amount of compensation to be paid to the colliery owners. Then, what about other dues like D.A., State Government royalty, Mines Board Tax, water tax and many such dues.

Maximum protection should have been accorded to the weakest Sections i.e. the Workers and they alone suffer the most due to lacunee in legislation. The priorities fixed for payment of dues leaves us in no doubt that workers shall not get anything as a result thereof. Workers do not expect Government to stand by its pronouncements and honour the promises handed out to them before such take over. Let there be no controversy about first charge or last charge. Workers' dues should be paid to them first of all.

I have through my amendments tried to set certain things right. These may be examined and accepted.

There is a flaring mistake at page 20, item No. 121, where the owner's name is wrong. It should be Horiva Decol Co.

I am sure priority shall be given to safeguarding the workers' rights.

With these words. I welcome the Bill.

Shri R.V. Bade (Khargone) : When through an Ordinance issued on 16th October, 1971, Government took over the management of 214 coking coal mines, it was a half-hearted attempt to set things right in industry, but it gave rise to utter confusion and resulted in a loss of Rs. 1.26 crores. Now, through this Bill, the ownership shall also be taken over by Govetnment to set things right.

Government have sought the assistance of Polish experts to develop our mines. Thus our own engineers have been denied the chance, though they are no less expert in this field.

The powers of proposed Custodians of these 214 mines have not been specified. This should be done.

Clause 17 says that workers shall have to go to comes in order to get their outstanding dues. Liabilites should also go along with the ownership to Government. They should first pay the outstanding dues of workers and only the pay any compensation to the colliery-owners.

In the end I submit that this Bill can have any meaning only when workers' rights are protected and there is industrial peace.

Shri M.C. Daga (Pali) : Although this step has been hailed by everyone, yet some points remain unanswered. We do not know how much Government has spent on taking them over, how they are functioning and how labour-laws are being applied there. It has also been declared that Government wants the workers' interest protected, but through which agency, nobody knows.

The Colliery-owners have been exploiting this natural wealth for years, therefore there is no need to pay them any compensation.

The qualifications and functions of Custodians have also not been specified.

When Government have stepped into the shoes of colliery-owners, they should own all their liabities and assets etc.

I do not want to delay this legislation, but workers' interest should not be ignored. They should be safeguarded.

श्री के० बालदण्डायुतम (कोयमबतूर) : मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। शायद इस्पात मंत्री होने के नाते उन्होंने इस्पात के लिए कोककारी कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण की ही आवश्यकता समझी, परन्तु मेरे विचार से सभी प्रकार की कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये था। यह बात पश्चिम बंगाल विधान सभा और ईंधन आयोग ने भी कही है। अब भी ऐसा किया जा सकता है।

यदि ये खान मालिक खानों का सर्वनाश ही करते रहे हैं, जैसा कि अनेक सदस्यों का और मेरा भी विचार है, तो उन्हें मुआवजा किस लिए दिया जा रहा है ?

मेरा निवेदन है कि जितना ख्याल मंत्री महोदय ने मालिको के हितों का रखा है, अब उतना ही श्रमिकों के हितों का भी रखें, क्योंकि उनके सहयोग के बिना, इस राष्ट्रीयकरण को सफल नहीं बनाया जा सकता, फिर भी यह कहा जा रहा है कि मालिकों को तो मुआवजा मिलेगा परन्तु श्रमिकों को अपनी बकाया राशि के लिए न्यायालय के द्वारा खट-खटाने होंगे। सरकार को तो यह कहना चाहिये कि क्योंकि आप ने (मालिकों ने) कोई तुलन-पत्र नहीं रखा, इसलिए मुआवजा भी नहीं मिलेगा।

मेरा निवेदन है कि श्रमिकों को कहा जाये कि वे अपने दावे भुगतान आयुक्त के यहां दाखिल करायें जो उन्हें बकाया का भुगतान करें। मैं सरकार से इस बात का उत्तर चाहता हूँ और यह भी चाहता हूँ कि इस विधेयक में इसके लिए उपबन्ध किया जाये। सरकार इस बात की जिमेदारी ले कि मुआवजा श्रमिकों का बकाया चुकाने के बाद ही मालिकों को दिया जाये।

इन खानों को अपने नियन्त्रण में लेने के बाद भी, सरकार ने श्रमिकों की स्थिति में सुधार नहीं किया है। ठेके पर काम करने वाले श्रमिक सरकारी प्रबन्ध वाली खानों में अब भी नियुक्त किये जाते हैं।

खानों के पुनर्गठन के कार्य का अध्ययन करने के लिए इस दल की पोलैण्ड-यात्रा का हम स्वागत करते हैं, परन्तु खान सुरक्षा के महा-निदेशक को भी वहाँ पर भेजा जाना चाहिए था।

किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने पर उसका प्रबन्ध केवल अभिरक्षक को ही नही सौंप देना चाहिए। प्रबन्ध और नीति-निर्धारण में श्रमिकों के चुने हुए प्रतिनिधियों का अवश्य सहयोग लिया जाना चाहिए, जैसी संसद की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने भी सिफारिश की है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूँ कि इन खानों के प्रबन्ध में भाग लेने के लिए श्रमिकों की चुनी हुई सांविधिक समिति का प्रावधान इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

Shri Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : I rise to support the Coking Coal Mines (Nationalisation) Bill. The frist thing I want to say is that the custodian should at least be Mining Engineers. The Local people should be given preference in the matter of appointments, and outsiders should be appointed only when qualified local persons are not available. There should be departmental labour in place of contract labour. The Govt. should provide all facilities such as Hospitals, schools, drinking water and residential quarters to the Labour.

The machinery of Coke Oven plant has become worn out. Therefore new machinary should be manufactured with the help of Central Designs Bureau. Only one labour union should be recognised in a mine. The mine, owners, who have removed their machinery or have done any other type of damage should be dealt with strictly ?

Before giving any compensation to the employers, they should be asked to pay all dues to the labour such as bonus and gratuity as well as all the taxes and bills of the Government.

A provision should be made in this law to prevent the employers from going to the court.

Whenever an industry is taken over in the public sector its production drops therefore strong action should be taken against the concerned officials. The remaining Coal mines should also be taken over immediately.

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : कर्मचारियों के दावों का निपटान करने के पश्चात अधिकांश मुआवजे की राशि की अदायगी भविष्य के लिए स्थगित रखी जानी चाहिए। कर्मचारियों से अपने दावे संक्षम प्राधिकारियों के समक्ष सिद्ध करने की आशा की जाती है, परन्तु पंचाटों के बारे में क्या स्थिति है ? उनका कहना है कि हमें उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं करनी है।

कोयला खानों में काम करने वाले कर्मचारियों की मांगों को मंजूर नहीं किया गया है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। न्यायाधिकरणों के समक्ष विचाराधीन मामलों पर निर्णय होने में 8-9 वर्षों का समय लग सकता है और उसके बाद सर्वोच्च न्यायायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने में और अधिक समय लग सकता है। इसलिए इस प्रकार के प्रावधान अस्वास्थ्यकर तथा हानिकर है। मुआवजे की राशि की नकद अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी की भी आशा नहीं की गई थी।

खण्ड 9 (1) और 2 (क) (ख) और (ग) के अनुसार पिछली देनदारियों के लिए स्वयं केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। खण्ड 17 (2) के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दावों को क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता। खण्ड 19 सेवा निवृत्ति, कल्याण एवं अन्य निधियों से सम्बन्धित है, परन्तु सरकार की कोई भी जिम्मेदारी इस बारे में नहीं होगी, जो अनुचित है।

खण्ड 24, खण्ड 23 (क) (ख) (ग) और (घ) का सम्बन्ध दावों से है। कर्मचारियों को देय राशियों और सरकार एवं अन्य प्राधिकारियों को देय राशियों को साथ रखा गया है। कर्मचारियों को देय राशियों को मुआवजे में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

खण्ड 30 और 31 कम्पनी द्वारा किए गए अपराधों के बारे में है। दण्ड सम्बन्धी खण्ड निरर्थक है। जो कुछ हटाना था, उसे हटाया जा चुका है और खानों को नुकसान पहुँचाया गया है। इसलिए मुआवजा देने के प्रश्न पर काफी सावधानी के साथ विचार किया जाना चाहिए था।

अब मैं कर्मचारियों की संख्या और इन कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ के प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पहले इनमें 75,000 कर्मचारी थे और अब उनकी संख्या बढ़कर 1,50,000 हो गई है। खानें ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही थीं फिर उनके कर्मचारियों की संख्या एक दम 75,000 से बढ़कर 1,50,000 कैसे हो गई ? क्या सरकार ने पूरे मामले का उचित अध्ययन किया है ?

अगर ये खानें लाभप्रद नहीं है, तो सरकार उन्हें लाभप्रद बनाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? मैं इस मांग का भी समर्थन करता हूं कि अन्य कोयला खानों का प्रबन्ध भी सरकार को शीघ्र अपने हाथ में ले लेना चाहिए। कोयला खानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का इतना महत्व नहीं है जितना उनका ठीक प्रकार से संचालन। सदन के भारी बहुमत के बल पर इसे पारित करने के स्थान पर सरकार को अपनी ओर से संशोधन पेश करके इसे पारित कराना चाहिए।

Shri Jagannath Mishra (Madhnbani) : When Coking Coal Mines,(Emergency Provisions) Act, 1971 was passed in December. I had suported it at that time as well. The natoinalisation bill aims at grcwth of production of Coking Coal, its stocking, reservation, conservation and to maintain a balance in the cost of production.

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

There has not been any increase in the production. Efforts should be made to increase the production after nationalisation.

The Government has not paid due attention to conservation even after the take over of coking Coal mines. Now Bokaro steel plant is going to start shortly and we would require 1.40 Lakh tonnes of steel per month, but now would it be possible to produce steel with this limit ed stock.

The price of coking coal is Rs. 40/-- per ton, which is already a higher price. Nevertheless the price of hard coke and soft coke has also been increased which is not justified.

There should be equal treatment with all the categories of staff. The big officers have hot been newly appointed whereas junior officers have been newly appointed and new pay scales has been given to them. After bank nationalisation, the service conditions, scales of pay and grades of Bank employees were not changed at all. Similar steps should be taken in respect of employees of coking coal mines also. If the employees are not fully satisfied, it would have adverse effect on the production.

People from other states could be appointed there in technical posts. but people from other states should not be appointed, when local people are already available. Now when the management is in the public sector, the Government should try to put an end to this injustice with the local people,

Shri Shiva Chandika (Banka) : I support this bill. I know how the labour was being exploited by the management private owned coal mines.

A. D. M. K. member said that the hon'ble Minister had sympathy with workers of Tamilnadu but he had sympathy for the employers in Bengal and Bihar. This bill has been introduced here, because we have sympathy for the labour.

A member of Jan Sangh group said as to why compensation should be paid to the employers. The Jan Sangh Members had not supported us in the matter of privy purses, now they are shedding crocodile tears for the labour. Many trade union leaders say that arrears of Provident fund, bonus and dearness allowance are due towards the employers, but why this matter has not been raised has so far.

We are interested in the welfare of the workers and in the increase of Production. Nationalisation w s one of the measures to achieve those objection. There are certain Callieries where there are five or six Trade unions in each of them. I suggest that this system of forming more than one union in one undertaking should be stopped. So that better atmosphere may be created in all the Collieries.

It is not correct to say that during these 25 years of independence nothing has been done for the welfare of the workers of the coal mines. They have been provided with all the necessary facilities with the efforts of the coal mines Federation. Shri Mohan Kumar Mangalam who is an able man of radical approach to the problem, and incharge of this department, therefore. I hope be would certainly take all the necessary steps to ensure the welfare of workers. Besides, I personally met large number of workers who were satisfied with the step of nationalisation because of their increased wages and other facilities with these words, I support this Bill.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : श्रीमन लगभग 40 वर्ष पूर्व कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की गई थी। तब से अब तक इन खानों में गम्भीर दुर्घटनाएं होती रही हैं किन्तु उस सिफारिश को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

कोयला खान मालिकों का हमेशा यह दृष्टिकोण रहा है कि श्रमिकों को किसी प्रकार की सुविधा न दी जाये अन्यथा वे कार्य नहीं करेंगे। इसी आधार पर श्रमिकों, उनके बच्चों और उनकी महिलाओं का भारी शोषण किया गया।

इन खानों के राष्ट्रीयकरण से एक लाभ तो यह होगा कि कोयला खानों में तथाकथित बत्तीस बाधाओं से मुक्ति मिलेगी जो भ्रष्टाचार के मूल कारण हैं।

दूसरा लाभ यह होगा कि कोकिंग कोल की बचत होगी। वास्तव में सरकार को (ब्लैन्डेबल) कोयला खानों का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहिये क्योंकि इस्पात बनाने के कार्य के लिये उपलब्ध कोकिंग कोल तथा ब्लेंडेबाल कोयला लगभग 40 वर्ष तक देश में उपलब्ध है। मेरा सुझाव है कि जब तक भूगर्भीय सर्वेक्षण से कोयले के नए निक्षेपों का पता नहीं चलता है तक तक कोयला खानों को समर्थ हाथों में दिया जाना चाहिये। कोयला खानों के सम्बन्ध में पोलैंड की तकनीकी जानकारी विश्व में सर्वोत्तम है तथा उनसे इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराना सराहनीय है।

राष्ट्रीय कोयला विभाग निगम के कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि 214 राष्ट्रीयकृत कोककर कोयला खानों के उत्पादन के लिए 'न हानि, न लाभ' की स्थिति निर्धारित की जानी चाहिये जब तक वहां ऐसी स्थिति न आये तब तक सरकार को बड़ी-बड़ी इमारतों और वातानुकूलित कार्यालय भवनों का निर्माण बन्द कर देना चाहिये। श्रमिकों में साझेदारी की भावना उत्पन्न करनी चाहिए तथा कोयला खानों की कठिनाइयों का मिलकर मुकाबला करना चाहिये।

कोयला खान क्षेत्रों में छोटे तापीय बिजली संयंत्र अवश्य लगाये जाने चाहिये तथा इन कार्यों के लिए सरकार को राज्य बिजली बोर्डों पर आश्रित नहीं रहना चाहिये। यदि सरकार श्रमिकों की सुरक्षा में विश्वास रखती है तो मुझे यह कार्य स्वयं ही करने चाहिये।

कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पर्याप्त आशा बंधी है किन्तु खान मालिकों को दिये जाने वाले 17 करोड़ रुपये के मुआवजे के कारण मार्ग में कुछ कठिनाईयां आ गई हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि खान मालिकों को मुआवजा की आधी राशि सात वर्षीय राष्ट्रीय बचत सार्टिफिकेटों के रूप में दी जानी चाहिये।

यह केन्द्रीय सरकार का दायित्व होना चाहिए कि वह श्रमिकों के हितों की रक्षा करे। खान मालिकों ने श्रमिकों को उनकी मजदूरी आदि का भुगतान नहीं किया तथा सरकार को इस

बारे में उचित कदम उठाना चाहिये ।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैं कोकर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972 का समर्थन करता हूँ किन्तु साथ ही मैं अध्याय 3 और 4 के आन्तरिक उपबन्धों का विरोध भी करता हूँ ।

जहां तक खान मालिकों को मुआवजा के देने का प्रश्न है मेरे विचार से उन्होंने इन वर्षों में उस पूंजी के अनुपात से बहुत अधिक लाभ अर्जित कर लिया है जितनी उन्होंने इनमें लगाई है । अतः इन्हें मुआवजा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है जबकि वह इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार की बातें करती है । इस विधेयक में भी उनका एक उदाहरण मिलता है कि श्रमिक उन्हें देय बकाया राशि की मांग मूल मालिकों से ही किया करे । सरकार को स्वयं उनकी राशि उनको दिलाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेना चाहिये । मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करें ।

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० मोहन कुमार मंगलम) : माननीय सदस्यों को धन्यवाद देते हुये मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य रूप से मुआवजे तथा मालिकों द्वारा श्रमिकों को देय राशि के सम्बन्ध में ही अधिकांशतः आलोचना की गई है ।

संविधान के अनुच्छेद 31 में संशोधन के पश्चात भी सरकार को किसी सम्पत्ति का अधिग्रहण करने के लिए कुछ राशि देनी पड़ती है । सरकार ने 214 कोयला खानों की परिसम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों को नियुक्त किया था जिसका कार्य इन खानों के गत कार्यकरण को ध्यान में रखकर मुआवजे की राशि निर्धारित करना था । वस्तुतः खान मालिकों द्वारा देय राशि को इन आंकड़ों में सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया गया था कि खान मालिकों की ओर विभिन्न व्यक्तियों की उसमें कितनी-कितनी राशि बकाया है ।

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया है कोयले का व्यापार सभी व्यापारों में गंदा है । अतः 214 खान मालिकों के पास उपलब्ध आंकड़ों को सही नहीं समझा गया । सरकार इन खान मालिकों को मुआवजे की राशि सीधे न देकर भुगतान आयुक्त के पास जमा कराएगी तथा जिन व्यक्तियों को इन मालिकों से कोई राशि लेनी है वे आयुक्त के पास अपने दावे दर्ज करा सकते हैं । उसके पश्चात् भुगतान आयुक्त उन दावों पर फैसला देकर मालिकों को उचित राशि का भुगतान करेगा ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह मामला कानूनी जटिलताओं से भरा पड़ा है । हम इस विधेयक को संसद में अप्रैल-मई में लाना चाहते थे किन्तु इन खानों की भी सम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण करने में लगे अधिकारों को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा तथा उसके परिणामस्वरूप यह विधेयक देर से लाया गया । प्रत्येक परिसम्पत्ति का वास्तविक मूल्य निर्धारण करना अत्यधिक कठिन कार्य है तथा सरकार ने यथासम्भव उनका सही मूल्य आंकने का प्रयत्न

किया है। यह भी प्रयत्न किया गया है कि इन खान मालिकों की ओर देय राशि का भुगतान किया जा सके।

जिस समय इन खानों को सरकार ने अपने अधिकार में लिया था उस समय उनकी ओर विभिन्न प्रकार की देय राशि थी। पहले प्रकार की देय राशि सुरक्षित ऋण के रूप में थी जो खान मालिकों को व्यक्तियों ने इस दृष्टिकोण से दी थी कि उनका धन कानूनी रूप से सुरक्षित रहेगा। हमने उनका धन इस लिए नहीं लिया क्योंकि वास्तव में खान मालिकों ने जो गलतियाँ की है उन में उन व्यक्तियों का कोई दोष नहीं है। इस लिए हमने देश के वर्तमान कानून में कोई परिवर्तन करना उचित नहीं समझा। लेनदारों के सुरक्षित वर्ग नहीं। देश के कानून के अनुसार संविदा अधिनियम की शर्तों के अनुरूप ऋण प्राप्त किये है। जो अब भी सब से आगे है। उन्हें कोई बड़ा लाभ नहीं पहुँचाया गया है अक्तूबर, 1971 में इन खानों को अपने नियंत्रण में लेने से पूर्व कानून के अनुसार उन्हें जो कुछ मिलना चाहिए था उन्हें वही मिलेगा। समस्त राशि भुगतान आयुक्त के पास जमा करा दी जायेगी। इस राशि पर पहला दावा इन लोगों का है जिन्होंने इस शर्त पर ऋण दिया था कि पहले मालिकों की सम्पत्ति पर पहला अधिकार उनका होगा। दूसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जिनका उल्लेख धारा 23 में किया गया है। राज्य सरकार और श्रमिकों को भुगतान के मामले में एक साथ रखा गया है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि भी जनता की राशि होती है। वर्तमान कानून के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना या ठेके सम्बन्धी करारों की उपेक्षा करना न्याय सगत नही होगा। हमने श्रमिकों को उन लोगों के बाद स्थान दिया है जिन्हें हमारे देश में वर्तमान कानून के अनुसार प्राथमिकता दी गई है। अभी हम मालिकों को कोई मुआवजा नहीं देने जा रहे हैं श्रमिकों को या उनकी ओर से श्रमिक संघों को नियोक्ता या पहले मालिक के विरुद्ध भुगतान आयुक्त को अपने दावे भेजने होंगे। उसके बाद प्राथमिकता के अनुसार जो अधिनियम में उल्लिखित है और जिसके अनुसार पहले सुरक्षित लेनदारों को उनका हक दिया जायेगा। तत्पश्चात श्रमिकों को देय राशि का और राज्य सरकारों को रायल्टी का भुगतान किया जायेगा। अन्त में साधारण लेनदारों का हिसाब किया जायेगा। इन सब का भुगतान करने के बाद जो राशि बच जायेगी वही मालिक को मिलेगी।

श्री एन० श्रीकान्त नायर (क्विलोन) : यदि श्रमिकों का कोई मामला श्रम न्यायाधिकरण के विचाराधीन है अथवा यदि उन्होंने कोई दावा दायर किया हुआ है कि दावों के अनुसार इतनी धन राशि मिलनी चाहिए और इस सम्बन्ध में जब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक मालिकों को कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। क्या मंत्री महोदय इस विधेयक के अनुसार इस प्रकार के भुगतान को रोक सकेंगे ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : भुगतान आयुक्त के पास जमा राशि में से मालिक को तब तक कोई भुगतान नही किया जायेगा जब तक इन सब दावों का फैसला नहीं हो जाता है। ये दावे अक्तूबर 1971 से पहले की अवधि के होने चाहिये। यदि अक्तूबर 1971 में पहले कोई ऐसा निर्णय हुआ है तो उसका दावा भुगतान आयुक्त के पास भेजा जा सकता है। जहां तक मालिक का सम्बन्ध है, वह उन्हीं देयताओं के लिए जिम्मेदार होगा जो उसके स्वामित्व की अवधि होगी।

जहां तक खण्ड 17 का सम्बन्ध है ऐसी शक्तियां प्रत्येक राष्ट्रीयकरण अधिनियम में बनाई जाती हैं। सरकार ने यह शक्तियां इस लिए प्राप्त की है कि यदि कोई असंगति हो तो उसे

उचित ढंग से दूर किया जा सके। इन शक्तियों का प्रयोग श्रमिकों को कोई नुकसान पहुंचाने के लिये नहीं बल्कि उन्हें लाभ पहुंचाने के लिये किया जाता है।

उप-खण्ड (2) अधिकारियों के बारे में हैं। हमने उनके हितों को नुकसान पहुंचाने का कोई प्रयत्न अभी तक नहीं किया है। परन्तु लगभग 50 ऐसे मामले हैं जिनमें 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के वेतन दिये जाते हैं फिर इनके अतिरिक्त उन्हें कई विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। ऐसे लोगों के साथ हमें उचित तथा ईमानदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए।

इस विधेयक का एक मात्र उद्देश्य इन 214 खानों का पुनर्गठन करने के लिये अधिकार प्राप्त करना है जिससे उचित वेतन लेने वालों को उचित स्थानों पर लगाया जा सके और जहाँ उन्हें वास्तव में उचित वेतन नहीं मिल रहा है उन्हें उचित वेतन मिल सके और अत्यधिक वेतन पाने वालों के वेतन उचित स्तर पर लाये जा सके।

माननीय सदस्यों ने इस बात की भी शिकायत की है कि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस का एक मुख्य कारण यह है कि हमें रेलवे वैगनों की कमी रही है। आज भी विभिन्न खानों के मुहानों पर कोयले का उतना ही भंडार जमा है और यह राष्ट्रीयकरण से पहले के समय से किसी भी हालत में कम नहीं हो पा रहा है। अतः उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है।

यह कहना भी गलत है कि हमने श्रमिकों के हितों की उपेक्षा की है। जब हमने कोयला खानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था तब कोकिंग खानों में 70,000 कर्मचारी कार्य करते थे परन्तु 1 अप्रैल, 1972 को उनकी कुल संख्या 1,28,400 थी। इसका अर्थ यह है कि 58,400 अन्य लोगों को रोजगार दिया गया है। पहले ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को नियमित श्रमिक बनाया गया था। दूसरे नियोक्ता बड़ी संख्या में श्रमिकों को नैमित्तिक रूप में रखते थे जो खान की वास्तविक आवश्यकता से अधिक होते थे। अब भारत कोकिंग कोल में काफी श्रमिक फालतू हो गये हैं उनको अलग करना भी मुश्किल है मजूरी बोर्डों ने प्रत्येक श्रमिक को मजूरी दिये जाने का आश्वासन दिया हुआ है बशर्ते कि वह ठीक ढंग से काम करे। हमने न केवल सभी श्रमिकों को इसमें शामिल किया है अपितु हम ने उन सभी 1,28,000 श्रमिकों को मजूरी बोर्ड की स्तर की मजूरी और अन्य सभी लाभ प्रदान किये हैं जो उनको मिलने चाहिएं। कोयले की लागत में वृद्धि का कारण अतिरक्त भुगतान है जो हम 3.50 रुपये प्रति टन के हिसाब से श्रमिकों को कर रहे हैं। मजूरी बोर्ड के अनुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि के अतिरिक्त भारत कोकिंग कोल में ऐसा कोई श्रमिक नहीं है जो 7.13 रुपये प्रतिदिन से कम मजूरी लेता हो। हमने एक मंत्रणा समिति भी गठित की है जिसमें केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधि रखे गये हैं जो इसे उचित श्रम नीति के अनुसरण के सम्बन्ध में सलाह और सहायता देगी। गत 35 वर्षों में खान मालिकों द्वारा किये गये इतने अधिक भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने और झरिया खान में भ्रष्टाचार समाप्त करने और उसके स्थान पर नया वातावरण बनाने आदि संबंधी बहुत ही कठिन कार्य हैं किन्तु मुझे विश्वास है कि हम इस कार्य को अवश्य पूरा कर सकेंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : इन भ्रष्ट मालिकों को आप मुआवजा क्यों देते हैं ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : माननीय सदस्य को पता है कि हमारे देश का एक संविधान है और उसी के अनुसार हमें कार्यवाही करनी होती है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Would your deposit the money of their

Provident Fund or take it from the owners ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जनसंघ के प्रतिनिधि द्वारा श्रमिकों का पक्ष लेने पर मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि श्रमिकों के संरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन विधेयक हम लाते रहे हैं उनका जनसंघ ने हमेशा विरोध किया है।

Shri Hukam Chand Kachwai : My query has not be replied.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य शायद उपस्थित नहीं थे। मन्त्री महोदय इस पर पहले बोल चुके हैं।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : कोयला खानों के लिए क्षतिपूर्ति निर्धारित करते समय रक्षित भंडारों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह भंडार किसी एक व्यक्ति नहीं अपितु राज्य की सम्पत्ति होती है।

श्री चित्तिबाबू की टिप्पणी के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अभिरक्षक किसी राजनीतिक दल के सदस्य नही होंगे। उनका यह समझना कि क्षतिपूर्ति निर्वाचनों के दौरान दिये गये वचनों के अनुसार दी जा रही है, गलत है। क्षतिपूर्ति लेखापालों और तकनीशनों के दल द्वारा निर्धारित की जाती है। हमने इस विधेयक को शीघ्र तैयार करने में भरसक प्रयत्न किया है।

इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने के श्री डागा के सुझाव के बारे में हमारा दृष्टिकोण यह है कि इसको लागू होने में लगभग 4 मास का विलम्ब हो जायेगा। 214 खानों का 50-60 एककों में समीकरण करने के कार्य में पहले ही पर्याप्त विलम्ब हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोहा तथा इस्पात उद्योग की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिए आवश्यक कोककारी कोयले के स्रोतों की सुरक्षा, संरक्षण और उनके वैज्ञानिक विकास की प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ कोककारी कोयला खानों तथा संयंत्रों का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोककारी कोयला खानों के स्वामियों के अधिकार, हक और हित का और ऐसे कोक भट्टी संयंत्रों के, जो उक्त कोककारी कोयला खानों में या उनके आसपास हैं, स्वामियों के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने का और उससे सम्बद्ध या आनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार संशोधन एक दिन पूर्व आने चाहिए ताकि उन्हें अध्ययन के लिए सदस्यों में परिचालित किया जा सके। बहुत से संशोधन आज ही प्राप्त हुये

हैं अतएव मेरा विचार है कि विधेयक पर खण्डशः विचार कल किया जाये ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मुझे बताया गया है कि विषय सूची में दिया गया अगला विषय श्री खाडिलकर का है । वह यहां है । यद्यपि मैं विधेयक को स्थगित करना तो नहीं चाहता हूँ परन्तु सदस्यों को संशोधनों पर विचार करने का अवसर देने के लिए इसे कल लिए जाने पर सहमत हूं ।

श्री के० नारायण राव (बोबली) : इस विधेयक के स्थगन का विधिवत प्रस्ताव रखा जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 89 के अधीन अध्यक्ष ऐसा कर सकता है ।

उपदान संदाय विधेयक

Payment of Gratuity Bill

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि कारखानों खानों, तेल क्षेत्रों बागानों, पत्तनों, रेल कम्पनियों, दुकानों अथवा अन्य स्थायों में लगे हुए कर्मचारियों को उपदान के संदाय के लिए एक स्कीम का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को प्रवर समिति द्वारा किये गये संशोधित रूप में पारित किया जाये । यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत मजदूरों को सुरक्षा एवं सेवा निवृत्ति पर सुविधाएं दी जाये । इस विधेयक द्वारा उपदान संदाय के सम्बन्ध में श्रमिकों की मांग की पूर्ति की जा रही है ।

विधेयक 21 दिसम्बर, 1971 को प्रवर समिति को सौंपा गया था और समिति ने अपना प्रतिवेदन 2 मई, 1972 को प्रस्तुत किया है । इनमें कई सुधार किये गये है जो मुख्य इस प्रकार है ।

(i) इस योजना के लिये 1000 रु० तक की उपलब्धियां पाने वाले कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाये ।

(ii) 30 वर्ष से अधिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए उपदान संदाय को 20 मास तक की मजदूरी दी जाये ।

(iii) विधेयक को कारखानों, खानों, बागानों दुकानों के अलावा तेल क्षेत्रों, पत्तनों तथा रेल कम्पनियों पर भी लागू किया जाये ।

(iv) उपदान संदाय की देय राशि के बारे में विवाद के मामलों में कर्मचारी नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन दे सके ।

(v) अदायगी न किये जाने की दशा में बकाया राशि 9 प्रतिशत मिश्र ब्याज के साथ देय हो ।

(iv) उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के लिए कारावास की क्या व्यवस्था हो।

(vii) खण्ड 11 के अधीन सम्बद्ध सरकारें दोषी नियोक्ताओं की गिरफ्तारी के आदेश जारी करें।

सरकार समिति की इस सिफारिश को एक अवैध हड़ताल की अवधि को 'अविच्छिन्न सेवा' में सम्मिलित किया जाये मानने को तैयार नहीं है।

उपदान की जब्ती के सम्बन्ध में प्रवर समिति ने सुझाव दिया है कि समूचे खण्ड 4(6) को छोड़ दिया जाये, ताकि उपदान को, जो एक कर्मचारी ने किसी अवधि की सेवा के द्वारा अर्जित किया है, इसके दुराचार के कारण जब्त न किया जा सके। दुराचार के अनेक दर्जे और श्रेणियां है और उपदान की जब्ती का प्रश्न केवल तभी उठाया जाना चाहिए जब कि बहुत विकट और गम्भीर बताया जाये। तकनीकी दुराचार और दुराचार का अन्तर भी बताया जाना चाहिए जिसके द्वारा नियोक्ता की सम्पत्ति नष्ट की गई हो अथवा जिसमें ढंगा करने का आचरण अथवा हिंसा का उपयोग निहित हो। इस दुराचार के विरुद्ध कुछ न कुछ उपाय अवश्य होने चाहिए और यही कुछ खण्ड 4(6) में उपबन्धित किया गया है।

प्रवर समिति के विभिन्न सदस्यों ने उपदान के शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के बारे में उत्सुकता व्यक्त की है। इस बारे में कई सुझाव भी दिये गये हैं जिनमें से मुख्य यह है कि एक न्यास कोष बनाया जाना चाहिए जिसके प्रति नियोक्ता प्रति वर्ष निर्धारित अंशदान करे और यह न्यास-कोष उपदान की देयता के समय इसके भुगतान के लिये उत्तरदायी होना चाहिए। सरकार ने इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके इस उद्देश्य से एक कार्यकारी दल का गठन भी किया है। इस दल ने पहले ही कार्य आरम्भ कर दिया है और मैं बताना चाहता हूं कि इस का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात इस मामले पर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

आशा है प्रगतिवादी श्रमिक संबंधी विधान के रूप में इस विधेयक का स्वागत किया जायेगा। देश भर के कर्मकार इस विधेयक को संविधि पुस्तक में शामिल करने के लिये उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहें है और हमें यथा शीघ्र ऐसा करना चाहिए।

कुछ सदस्य इस विधेयक को और बड़ा बनाना चाहते हैं और कुछ सदस्य कर्मचारियों को अधिक लाभ दिलाना चाहते हैं।

मेरा सुझाव है कि इन पर हम बाद में विचार करें।

मैं समझता हूं कि सदन के सभी वर्गों द्वारा इसका स्वागत किया जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह कदम जो अब उठाया गया है बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। यह उपाय पूरे दिल से नहीं किया गया है फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं।

अब से पूर्व उपदान की राशि नियोक्ता की इच्छा पर सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी को दिये जाने वाले तुच्छ उपहार के समान समझी जाती थी। अब इसे कानून द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। औद्योगिक कानून के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के लिये यह एक उचित दावा है और मैं समझता हूँ कि अब कोई नियोक्ता इसकी अवहेलना नहीं कर पायेगा। इसे प्राप्त करना कर्मचारियों का अधिकार है।

यह विधेयक कुछ ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिनकी ओर बहुत पहले ध्यान

दिया जाना चाहिए था। परन्तु इसकी कुछ धाराएं कर्मचारियों की अपेक्षा नियोक्ताओं के पक्ष में ही अधिक है।

मंत्री महोदय द्वारा प्रवर समिति की कतिपय सिफारिशों को अस्वीकार करने के लिये जो तर्क दिये गये हैं हम उनसे सहमत नहीं हैं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत छंटनी किये गये कर्मचारियों को दिये जाने वाले मुआवजे को इस योजना में सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता है ? अब इस विधेयक में उल्लिखित ठोस कदमों के कारण छंटनी किये गये कर्मचारी आसानी से इस विधेयक के अंतर्गत आ सकेंगे और राशि प्राप्त करने के तरीके सरल हो जाएंगे।

खण्ड 1 (खण्ड) द्वारा इस योजना को विभिन्न वर्गों के श्रमिकों पर लागू किये जाने को व्यवहार्य बना दिया गया हैं। प्रवर समिति के प्रतिवेदन से हमें पता चलता है और संलग्न असहमति कार्यवृत्त से दिखाई देता है कि कुछ वर्गों के मजदूरों पर इस योजना के अन्तर्गत प्रतिबन्ध न लगाने की निरंतर मांग रही है। कुछ वर्गों के मजदूरों को लाभ से वंचित रखने के लिये किसी संगत सिद्धान्त का संकेत नहीं किया गया है। विधेयक के क्षेत्राधिकार का और अधिक विस्तार किया जाना चाहिए।

खण्ड 2 (ग) पर हमें बहुत महत्वपूर्ण आपत्ति है। इस खण्ड में कहा गया है कि हड़तालों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। हड़तालों की वैधता अथवा अवैधता औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 22 और 23 के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम में उल्लिखित सांविधिक मानक सभी परिस्थितियों पर पूर्ण विचार नहीं कर सकते जिसमें मजदूरों की संस्था हड़ताल कर सकती है। मान लो एक दो दिन की हड़ताल होती है जो पूर्णतया न्यायोचित ही है तो इन मजदूरों को जो हड़ताल पर होंगे, धारा 2 उपखंड (3) के अन्तर्गत निरन्तर सेवा में दिये जा रहे लाभों से वंचित किया जायेगा। यह प्रतिगामी विधान है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के नियोजक हैं और उनके लिये गड़बड़ी पैदा करना कठिन नहीं होगा और वे इन उपबन्धों की व्यवहार्यता से छुटकारा पाएंगे अथवा मजदूरों को इस योजना के लाभों से वंचित करेंगे। सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस उपबन्ध में समुचित संशोधन करना चाहिए।

खंड 2(5) के अन्तर्गत कुछ भत्तों को वेतन का अंश नहीं समझा जायेगा। मजदूरों को इन भत्तों के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जिसे मजदूरी के रूप में समझा जा रहा है।

वर्ष में 15 दिन का उपदान अपर्याप्त हैं। इसे बढ़ाकर 30 दिन का किया जाना चाहिए। उपदान के लिए किसी आयु सीमा का रखा जाना अनावश्यक है। खण्ड 4 (3) के उप खण्ड (क) में निहित है कि यदि किसी कर्मचारी को उसकी भूल, लापरवाही के कारण होने वाली क्षति के कारण सेवामुक्त किया जाता है तो उसके उपदान में से क्षति की राशि काटी जा सकती है।

इस उपबन्ध से तो ऐसा मालूम होता है कि किसी उद्योग में यदि कोई कर्मचारी चाहे कितने दिनों से ही सेवारत है, दुराचरण के एक ही मामले से उसे उपदान की समूची राशि का नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि कर्मचारी के दुराचरण से नियोजक को नुकसान होता है तो जितना

नुकसान उसे उत्पादन में हुआ है, उस हद तक उपदान की राशि में से कटौती की जानी चाहिये तथा शेष राशि कर्मचारियों को अदा कर दी जानी चाहिए। अतः हम खड 4 (6) (ख) (एक) के उपबन्ध का घोर तथा कठोरता से विरोध करते हैं।

अब मैं खंड 11 के बारे में कुछ कहता हूं। यदि इस विशेष अधिनियम के पालन में व्यतिक्रम होता है तो यह बात राज्य सरकार पर क्यों छोड़ी जाये कि वह शिकायत करे ? आखिर नुकसान कर्मचारी को होता है। यदि कर्मचारी महसूस करता है कि अधिनियम के उपबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है तो यह कर्मचारियों पर क्यों छोड़ा जाये कि वे राज्य सरकार के पास जायें और उसे संतुष्ट करें ? हम जानते हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कार्य कोई भी व्यक्ति धारा 10 के अन्तर्गत राज्य सरकार को उल्लेख करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ऐसा उपबन्ध क्यों बनाया जाये। हम जानते हैं कि कितनी लालफीता शाही चलती है। नियंत्रण करने वाले प्रधिकारी सरकार की राज्य सरकार की इच्छानुसार मामले में कार्यवाही करेंगे।

इसके अतिरिक्त कार्यवाहियों पर किसका नियंत्रण होगा ? न तो कर्मचारी का इस पर नियंत्रण होगा और न ही श्रमिक संघों का, परन्तु सम्पूर्ण नियन्त्रण इसको लगाने वाले प्राधिकारी के हाथों में होगा। मंत्री महोदय को चाहिए कि इन सुझावों पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करें तथा विधेयक में आवश्यक परिवर्तन करें।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं इस प्रगतिशील विधेयक का स्वागत करता हूं।

[**श्री के०एन० तिवारी** पीठासीन हुए
Shri K.N. Tiwary *in the Chair*]

श्रम मंत्री महोदय ने कहा है कि उपदान श्रमिक के लिए एक प्रकार का पुरस्कार है जो उसकी सेवा की पूरी अवधि के लिए उसे दिया जाता है। उपदान श्रमिक का इनाम नहीं है परन्तु श्रमिक ऋण का एक प्रकार का भुगतान है। इसकी स्पष्ट परिभाषा करनी होगी कि क्या उपदान एक पुरस्कार है या एक प्रकार का दान है अथवा एक प्रकार का इनाम है अथवा मजदूर का उचित दावा है या श्रमिक ऋण है ?

मेरे विचार से हमारे समाजवादी समाज की विचारधारा का आधार है कि प्रत्येक नागरिक पूर्ण समता का अधिकारी है। उस संदर्भ में मैं सुझाव दूंगा कि हमें उपदान को श्रमिक के उचित दावे के रूप में समझना चाहिए तथा उसका उचित रूप में भुगतान करना चाहिए।

निरंतर सेवा के सम्बन्ध में मैंने देखा हैं कि बहुत से औद्योगिक उपक्रम छह महीने के लिए श्रमिकों को नियुक्त कर लेते हैं। कई प्रतिष्ठित संस्थानों में स्थायी रूप से नियोजित श्रमिकों का अनुपात अस्थायी रूप से नियोजित श्रमिकों की तुलना में 1 से 3 था। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि सिद्धान्तहीन नियोजक नियमित मजदूरों को अनियमित मजदूर न बनायें ताकि उन्हें उपदान देने जैसे प्रगतिशील विधान को लाकर हम उनकी नौकरियों की सुरक्षा और स्थायित्व को कम न करें जिन पर वे इस समय काम कर रहे हैं।

प्रवर समिति के तीन सदस्यों ने जो असहमति टिप्पण दिया है कि क्यों न उद्योग के कुछ क्षेत्रों को, जहाँ असंगठित मजदूर हैं, इस प्रगतिशील विधान के लाभों के अन्तर्गत लाया जाये ? जबकि हम संगठित मजदूरों के प्रति सद्भावना प्रकट कर सकते हैं तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों

की जो दशा है उस पर भी तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। असहमति टिप्पण में उपदान के प्रयोजन की वैधता के लिये हमारी आर्थिक व्यवस्था के इन विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने का जो सुझाव दिया गया है उस पर नये ढंग से विचार करने की आवश्यकता है।

हमारे देश में देश की एक तिहाई और कहीं कहीं आधी जनसंख्या गरीब है और जहां तक हमारी आर्थिक दशाओं का सम्बन्ध है इसका बहुत से ऐसे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा जिन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार करने पड़ते हैं। यदि मंत्री महोदय के शब्दों में जैसा कि उन्होंने कहा है कि वे गरीबी दूर करना चाहते हैं और जिसके लिये उन्हें हमारा पूर्ण समर्थन प्राप्त है, कुछ तथ्य है तो इस विधान में इस गरीब जनसख्या के बारे में भी कुछ प्रावधान होने चाहिये। श्रमिक विधान तथा श्रम मंत्रालय को इस पर गंभीरतापूर्वक कुछ करना चाहिये।

यह प्रशंसा का विषय है कि एक कार्यकारी दल उपदान फंड की शर्तें तैयार कर रहा है। परन्तु मैं चाहता हूँ कि इस संबंध में कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपाय किये जाने चाहिये।

मैं एक विशिष्ट मामले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैसूर के कुछ भागों में श्रमिकों के साथ कैसा अन्याय किया जा रहा है। हमारे वहाँ नमक बनाने वाले मजदूर हैं। ये लोग हरिजन परिवारों के हैं जिनकी संख्या लगभग 1,000 है और वे तीन पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। उन्हें मौसम आने पर नियुक्त किया जाता है। यदि हमें 'गरीबी हटाओ' नारे को सार्थक करना है तो मंत्री महोदय को नमक बनाने वाले मजदूरों तथा वनों में कार्य करने वाले मजदूरों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये कि उनकी स्थिति कितनी शोचनीय है।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : यह विधेयक प्रवर समिति में भेजा गया तथा इस विधेयक की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही आवश्यकता की पूर्ति मात्र है और इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री खाडिलकर ने अपनी प्रारम्भिक टिप्पणी में कहा है कि उत्पादन श्रम में लगे हुए लोगों को इसमें शामिल किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य मजदूरों जैसे परिवहन उद्योग में लगे, रेल लाइनों और पुलों के निर्माण में लगे मजदूरों को भी उत्पादक श्रमिकों में शामिल किया गया है? इसका क्षेत्र सीमित क्यों रखा गया हैं? क्या शिक्षा संस्थाओं आदि के कर्मचारी समाज के लाभ के लिये उत्पादन श्रम में नहीं लगे हुए हैं? इसको कारखानों के श्रमिकों तक ही सीमित रखना गलत है। पूर्व वक्ताओं ने जो सुझाव दिये हैं उस पर पुनर्विचार किया जाने का अब भी समय है।

मोटर परिवहन श्रमिकों को इसमें शामिल करना कठिन है परन्तु यदि सरकार ऐसा चाहे तो इसके लिये उपाय भी हैं और ऐसा किया जा सकता है।

खंड 2(ग) हड़ताल के अधिकार पर परोक्ष रूप से कुठाराघात है। हड़ताल अचानक ही नहीं हो जाती है। खेतड़ी तांबा परियोजना में पिछले 24 दिनों से हड़ताल चल रही है क्योंकि मजदूरों को उकसाया गया हैं और उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया प्रगट की है। अतः समाजवाद का प्रचार करने वाली सरकार को इस विशेष खंड को नहीं बनाना चाहिये था। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से प्रधान मंत्री और श्री खाडिलकर इस विचाराधारा को लाने का प्रयास कर रहे हैं कि मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार छोड़ देना चाहिये। परन्तु मजदूरों को यह

स्वीकार्य नहीं होगा और इस प्रश्न पर कि, उपदान जब्त किया जायेगा अथवा नहीं, अवश्य झगड़ा होगा।

खंड 4 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि जिन लोगों ने 5 वर्ष की सेवा पूरी की है उन्हें 15 दिन की मजूरी की दर पर उपदान दिया जायेगा परन्तु इस अवधि को एक मास किया जाना चाहिये तथा 5 वर्ष की अवधि को कम करके कम से कम 3 वर्ष की किया जाना चाहिये।

खंड 4(6) (ख) में व्यवस्था की गई है कि दंगा और अव्यवस्था करने के आचरण के मामले में उपदान जब्त किया जा सकता है। स्थायी आदेश अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरों को दंड देने की व्यवस्था है और अब वे उसी अधिनियम के अन्तर्गत पुन: दंडित किये जायेंगे। मैं समझा नहीं कि यह दोहरा दंड क्यों रखा गया है। दूसरी बात यह है इसका कौन निर्णय करेगा कि क्या यह उपद्रवी अथवा उत्पाती आचरण है? विधेयक में यह बात स्पष्ट नहीं है। श्री नायर का कहना है कि नियोक्ता निर्णय करेगा। हम नियोक्ताओं की प्रवृत्ति को जानते हैं। वे कोई पुलिस में मामला चला देंगे और श्रमिक को उपदान का अधिकार समाप्त हो जायेगा। यदि यह कहा गया हो, "यदि किसी न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया है।" तो बात समझ में आती है।

खण्ड 9 (2) में बताया गया है कि इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ता को एक वर्ष के कारावास का दण्ड दिया जा सकता है परन्तु परन्तुक में उल्लेख किया गया है कि उपदान का भुगतान न करने पर दंड तीन महीने से कम नहीं होना चाहिए। समझ में नहीं आता कि अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन और भुगतान करने में अन्तर क्या है? इससे तो ऐसा लगता है कि यह बात नियोक्ताओं को कठोर कारावास से बच निकलने में सहायता देने के लिए हैं।

खण्ड 10 में कहा गया हैं कि यदि नियोक्ता यह सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है कि वह उत्तरदायी नहीं है, अपितु कोई अन्य व्यक्ति उत्तरदायी है तो अन्य व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। यह भी नियोक्ताओं के लिए एक रियायत है।

खण्ड 11 में बताया गया है कि कोई भी न्यायालय किसी अपराध को नहीं मानेगा और केवल राज्य सरकार अथवा उपयुक्त प्राधिकारी इसे मानने और इस पर कानूनी कार्यवाही करने के अधिकारी हैं। इस उपबन्ध से कर्मचारियों को निश्चत रूप से हानि होगी।

भविष्य निधि अधिनियम के मामले को लीजिये। यदि कोई नियोक्ता श्रमिकों को धोखा देता है तो श्रमिक न्यायालय में नहीं जा सकते जब तक कि वे धरना अथवा प्रदर्शन करके राज्य सरकार के लिए कठिनाई उत्पन्न न करे। बम्बई विधान के अन्तर्गत इस बात की अनुमति दी गई है। यद्यपि प्रवर समिति के लगभग सभी सदस्यों ने सुझाव दिया था तो भी प्रवर समिति ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है।

मैं इतना कह कर ही अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि सीमाओं और त्रुटियों से परिपूर्ण होने पर भी यह विधान अच्छा है जो उस प्रयोजन को व्यर्थ कर सकता है जिसके लिए इसे लाने का विचार किया गया है।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इसके अन्तर्गत श्रमिकों को उपदान मिलेगा। यह विधेयक काफी समय पूर्व ही आ जाना चाहिए था। श्रमिकों के उपदान के अधिकार को अब सांविधिक मान्यता दी जा रही है।

मैं दो-तीन कारणों से इस विधेयक के उपबन्धों का स्वागत करता हूँ। प्रथम, यदि किसी उद्योग अथवा संस्थान अथवा प्रतिष्ठान में पहले से ही कोई उपदान योजना लागू है और जो इस विधेयक के उपबन्धों से अधिक लाभदायक है तो इस विधेयक को लागू करने से उस योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यद्यपि प्रवर समिति द्वारा जिन सुधारों के लिए सुझाव दिया गया था, सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है तथापि अब भी कुछ उचित शिकायतें हैं। जिनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस विधेयक को प्रयोजनात्मक बनाने और सेवा-निवृत्ति के समय कर्मचारियों को पूरा संरक्षण देने के लिए मन्त्री महोदय को चाहिये कि वह उन सुझावों को स्वीकार करें।

अब मैं गैर-कानूनी हड़ताल में श्रमिकों द्वारा भाग लेने अर्थात् खण्ड 2 (ग) के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ।

गैर-कानूनी हड़ताल में भाग लेने से जिससे श्रमिक को हानि हो सकती है और उसे अपनी सेवा की जोखिम उठानी पड़ सकती है, का यह अर्थ नहीं है कि उसे अपनी सेवा-निवृत्ति के लाभ खो देने की भी जोखिम उठानी पड़े। अतः अब भी सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

जहाँ तक खण्ड 4 (6) (ख) का सम्बन्ध है, सरकार ने प्रवर समिति के सदस्यों के सुझावों को स्वीकार नहीं किया है। सरकार को ये सभी सुझाव स्वीकार कर लेने चाहिए।

इस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय ने भी परस्पर विरोधी निर्णय दिये हैं।

परन्तु सरकार को इस मामले के गुणावगुणों पर विचार करके एक प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और श्रमिकों को उपदान से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई दुराचरण सम्बन्धी बात हो तो उसके लिए औद्योगिक स्थायी आदेश अधिनियम है, जिसके द्वारा निर्णय किया जा सकता है कि दुराचरण कहां है कितना है और किन परिस्थितियों में किया गया है। अतः सरकार को इस विषय में उदारता दिखानी चाहिए तथा श्रमिकों के पक्ष में निर्णय किया जाना चाहिए।

यह सच है कि सरकार ने कुछ संशोधनों को स्वीकार किया है परन्तु कुछ उद्योग तथा सेवायें ऐसी हैं जिन्हें सरकार ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। इस विधेयक द्वारा सरकार इस कानून को उन संस्थाओं पर भी लागू करने का अधिकार लेना चाहती है जिनका अभी उल्लेख नहीं किया गया है। आशा है कि सरकार उन सभी सेवाओं पर तुरन्त कानून लागू कर देगी जिनमें 10 से अधिक कार्मिक काम करते हो और चाहे वे परिवहन अथवा निर्माण की ही क्यों न हों।

सांविधिक उपदान के हो जाने से नियोक्ताओं के पास धनराशि बढ़ जायेगी और यह राशि उनके ही पास जमा रहेगी। भविष्य निधि कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान तथा अन्य ऐसी निधियों के पूर्व अनुभव को देखते हुए ऐसी निधियों को स्थायी रूप से नियोक्ताओं के पास रखना कर्मचारी वर्ग, सरकार अथवा देश के हित में नहीं है। अतः सरकार को ऐसी निधियों को हाथ में लेने के लिए, यदि संभव हो तो, इस विधेयक में संशोधन करने पर शीघ्र विचार करना चाहिये। एवं ऐसे न्यास अथवा स्वायत्त शासी निकाय की स्थापना की जानी चाहिए जहां सभी नियोक्ताओं से उपबन्ध की राशि जमा करने को कहा जाये और वह सरकार के हाथ में होनी चाहिये ताकि

भविष्य निधि की राशि की तरह इस राशि का भी आर्थिक विकास के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा सके।

***श्री सी० चित्तिबाबू** (चिंगलपट) : इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में मंत्री महोदय ने बताया है कि औद्योगिक श्रमिकों को उपदान की अदायगी के सम्बन्ध में यह आवश्यक हो गया है कि इस विषय में समूचे देश में उपदान की अदायगी का समान ढ़ंग सुनिश्चित किया जाये ? यदि सरकार का यही आशय है तो यह लाभ कुछ गिने-चुने क्षेत्रों के क्षमिकों को ही क्यों दिया जाये। आधारभूत न्यूनतम मजूरी के लिए कृषि श्रमिकों की बहुत समय पहले से की जा रही मांग का क्या हुआ ?

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है यह एक ऐसा श्रमिक विधान है जिसे आधा समर्थन प्राप्त है। इस विधान से तो आगामी 50 वर्षों में श्रमिक अपना सिर भी नहीं उठा सकेंगे।

उपदान के भुगतान सम्बन्धी योजना को फैक्ट्रियों, बागानों पत्तनों तथा रेलवे कम्पनी में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू किया गया है। उत्पादक उद्योग के अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों की क्या स्थिति होगी। मुझे आशंका है कि इस विधेयक से श्रमिक क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

मेरी समझ में नहीं आया कि अखिल भारतीय रेलवे को इस विधेयक में रेलवे कम्पनी कैसे कहा गया है। समूचे देश में रेलवे का संचालन रेलवे बोर्ड करता है। देश में दो-तीन छोटी सी गैर-सरकारी रेल कम्पनियां हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक में उल्लिखित वे रेलवे कम्पनी का अभिप्राय अखिल भारतीय रेलवे से है अथवा देश की दो-तीन गैर सरकारी रेलवे कम्पनियों से है। यह बात स्पष्ट की जानी चाहिये।

परिवहन कर्मचारियों निर्माण कर्मचारियों, अस्पताल कम्पनियों,जो कई लोगों की जान बचाते हैं। तथा शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को इस विधेयक के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है। जब कि बागान कर्मचारियों को उपदान का हकदार घोषित किया गया है और कृषि श्रमिकों को भी छोड़ दिया गया है।

मैं श्रम मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कृषि श्रमिकों के कल्याणार्थ एक व्यापक विधान लायेगी यदि इसे बाद में राज्य सरकारों ने उसके लिए कानून बनाना आरम्भ कर दिया। कुछ राजनीतिक दल राज्य सरकारें गिराने के लिए कृषि श्रमिकों का नाजायज फायदा उठाते हैं क्योंकि कृषि श्रमिकों के लिए यून्नतम मजूरी निर्धारित नहीं की गई है अतः वे आसानी से राजनीतिक दलों की चाल में आ जाते हैं।मैं श्रम मंत्री को चेतावनी देता हूँ कि बुनियादी न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी कृषि मजदूरों का यह आन्दोलन अखिल भारतीय स्तर तक फैल सकता है, यदि श्रम मंत्रालय इस बारे में कोई कानून नहीं बनायेगा।

यदि उपदान की राशि मालिकों के हाथ में रखी गई तो वे इसका उपयोग अपने कार्यों के लिये करेंगे। इस विधेयक में इस बात का जिक्र नहीं है कि उपदान निधि का प्रबन्ध किस प्रकार किया जायेगा। भविष्य निधि का बकाया करोड़ों में है। उपदान की राशि के प्रबन्ध हेतु ट्रस्ट बनाये जाने चाहियें, जिसका प्रशासन राज्य सरकारें चलायें।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English Translation of the speech delivered in Tamil.

इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले मालिकों को दण्ड की जो व्यवस्था की गयी है, वह बहुत कम है। यह दण्ड 5 वर्ष का कारावास अथवा 50,000 रुपये जुर्माना होना चाहिए।

उपदान की राशि के जब्त करने सम्बन्धी प्रावधान को इस विधेयक से हटाया जाना चाहिए क्योंकि उपदान न देने की चेष्टा करने वाला मालिक इस प्रावधान का दुरुपयोग कर सकता है।

अन्त में मैं यही कहूँगा कि देश भर के कृषि मजदूरों को बुनियादी न्यूनतम मजदूरी देने सम्बन्धी कानून बनाया जाये।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद): मैं मंत्री महोदय को यह कानून लाने के लिये बधाई देता हूं। इस विधेयक के अन्तर्गत जनसंख्या के एक प्रतिशत भाग को ही लाभ पहुँचेगा।

हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि सरकार भी बैंकों, बीमा कम्पनियों, कोयला खानों आदि आदि के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप स्वयं एक बड़ी मालिक बन गयी है। यदि यही रफतार रही, तो एक दिन ऐसा भी आयेगा जब केन्द्रीय बजट का 50 प्रतिशत भाग कर्मचारियों को उपदान के रूप में देना पड़ेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आय में विषमता है। सरकार इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ? हम अमीर और गरीब के बीच तो विषमता दूर करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन एक ही वर्ग की विषमता दूर करने की ओर हमारा ध्यान नहीं गया।

जिन कृषि मजदूरों की प्रतिमास आय 20 रुपये है, उनके लिये आप क्या कर रहे हैं ? इन लोगों के लिए कोई नहीं बोलता। इसका क्या कारण है ? उनके हितों की रक्षा भी ऐसे ही होनी चाहिये जैसे कारखाने के मजदूरों के हितों की रक्षा होती है।

जो श्रमिक अवैध रूप से हड़तालों में भाग लेते हैं, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री सोमचन्द सोलंकी : (गांधीनगर) : इस विधेयक में विभिन्न संस्थाओं, संगठनों तथा उद्योगों में काम कर रहे श्रमिकों को स्थान नहीं दिया गया है। स्थानीय निकायों के श्रमिकों, निर्माण उद्योगों के श्रमिकों, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों, सहकारी समितियों, रेलवे कम्पनियों तथा तकनीकी संस्थाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों पर भी यह विधेयक लागू होना चाहिये।

यदि कर्मचारी हड़ताल करते हैं, तो उन्हें उपदान योजना से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। विधेयक के खंड 2 के उपखंड (ग) विभिन्न उपबंधों से "अवैध हड़ताल" शब्द हटा दिया जाना चाहिये।उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि केवल उन्हीं वर्षों में, जिनमें कर्मचारियों ने 240 दिन सेवा की हो छंटनी के लिए क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था होनी चाहिये। उपरोक्त निर्णय के कारण कर्मचारियों को कुल अवधि के लिये की गयी सेवा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अतः सरकार को उनकी सेवा की निरंतरता की रक्षा करनी चाहिए।

उपदान का लाभ निर्धारित करते समय कुछ कर्मचारियों को उपदान स्थायित्व के उद्देश्य से दिया जाता है और सेवा की कुल अवधि से पहले की सेवा अवधि कम कर दी जाती है। उपदान देते समय पट्टे के विक्रय द्वारा या एकक को मिल या सहकारी समिति अथवा निगम द्वारा अपने हाथ में ले लेने के फलस्वरूप प्रबन्ध में होने वाले परिवर्तन से श्रमिकों की पहले की सेवा पर भी विचार किया जाना चाहिये।

"कर्मचारी" शब्द की परिभाषा 750 रुपये प्रतिमास वाले श्रमिक ही नहीं, 1600 रुपये प्रतिमास लेने वाले पर भी लागू की जानी चाहिये। ऐसा न करने पर स्टाफ के अन्य कर्मचारी सुविधाओं से वंचित हो जायेंगे। उपदान सारे स्टाफ को दिया जाना चाहिये।

कुछ ट्रस्टों की स्थापना की जानी चाहिए। और प्रबन्ध कार्य जीवन बीमा निगम को दिया जाना चाहिये ताकि वे श्रमिकों की सुविधाओं की रक्षा कर सकें भविष्य निधि धन तथा उपदान धन की कुछ कानूनों द्वारा रक्षा की जानी चाहिये। इस विधेयक का लाभ केवल स्थायी कर्मचारियों को होगा। अस्थायी श्रमिकों तथा अन्य अस्थायी कर्मचारियों को भी यह सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिये।

सभापति महोदय : श्री रामजी भाई वर्मा। श्री श्रीकान्तन नायर।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : सभापति महोदय...

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात लोक-सभा गुरूवार, 3 अगस्त, 1972/12 श्रावण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 3rd August, 1972/12th Sravana, 1894 (Saka)

Samer Printing Press. New Delhi-18